द्वितीय माला, खंड ५३—अंक ३९

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१
१७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रूपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२)	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका।	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५--सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची	पृष्ठ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	४१६८
लोक-लेखा समिति . . .	४१६८
पैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तीसवां प्रतिवेदन	४१६६
अनुदानों की मांगें	४१६६–४२११
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४१६६–४२१२
दैनिक संक्षेपिका	४२१२–१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ .	४२१९–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५	४२४५–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . .	४२५२–७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . .	४२७८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४२७८–७९
राज्य सभा से सन्देश	४२७९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	४२७९
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन .	४२७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तेईसवां प्रतिवेदन	४२७९
सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . .	४२८०–८१
विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में	४२८१–८२
अनुदानों की मांगें	४२८२–४३२७
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४२८२–४३३४
दैनिक संक्षेपिका	४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति--

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४६७४

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४-७५

समितियों के लिये निर्वाचन ४६७५-७६

१. प्राक्कनल समिति ४६७५

२. लोक लेखा समिति ४६७५-७६

लोक लेखा समिति--

राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . . ४६७७

अनुदानों की मांगें ४६७७--४७०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६७७--८१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४६८१--४७०६

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)

विचार करने का प्रस्ताव ४७०७--१९

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . . ४७१९--२१

विचार करने का प्रस्ताव ४७१९--२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१--२६

दैनिक संक्षेपिका ४७२७--३३

अंक ४०--सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२ . . . . . ४७३५--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४७५६-५७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२ ४७५७--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . . ४७६५--९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ४७९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४७९२

कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य ४७९२-९३

जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४७९३-९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१

१७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यमुना नदी पर दूसरा रेलवे पुल

+

*१३८१. श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के पुराने किले के समीप यमुना नदी पर रेल के दूसरे पुल के निर्माण में, जिस के लिये मंजूरी दे दी गई है, अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पाये, एबेटमेंट और उनकी नींव बनाने के लिये टेंडर १८-३-१९६१ को खोले गये हैं और उत्तर रेलवे उनकी जांच कर रही है। पुल के लिये जितनी प्राइवेट जमीन की जरूरत है, वह ली जा चुकी है और नजूल जमीन लेने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) यदि गर्डर के लिये इस्पात का सामान समय पर मिल गया, तो मार्च, १९६४ तक।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन जहां तक मुझे याद है इस पुल की चर्चा सन १९५५ से चल रही है। जब राजधानी में यह हाल है तो और जगहों की क्या हालत होगी ? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई और अब भी क्या हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : कोई खास देरी तो नहीं हुई। चर्चा तो बहुत सी बातों का बहुत पहले भी हो जाता है। ३० मार्च, १९५९ को इस पुल की मंजूरी हुई। उसके बाद पूना रिसर्च स्टेशन में इस पर कुछ खास माडल एक्स्पेरिमेंट्स करने थे, चूंकि यह बहुत पेचीदा मसला होता है, बहुत बड़े बड़े दरियाओं पर पुल बनाने का। जैसे नतायज हमारे सामने आये हैं, उनके मुताबिक काम शुरू करने की हमने सब तैयारियां कर ली हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो वर्तमान यमुना का पुल है उस की अपेक्षा यह मजबूती और आवागमन की दृष्टि से कैसा होगा ?

श्री शाहनवाज खां : बिल्कुल ठीक होगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह पुल पैदल चलने वालों तथा गाड़ियों के आने जाने के लिये खुला होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह केवल रेलवे पुल होगा। अभी इस बात पर विचार हो रहा है कि फुटपाथ वहां बनाया जाय या नहीं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे नजूल लैंड कितनी लेंगे और जो दूसरी जमीन है जो कि किसानों से ली गई है वह कितनी है। उसका कितना मुआवजा दिया गया है, और अगर अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, तो कब तक देने का इरादा है ?

श्री शाहनवाज खां : कुल जमीन ७६८ एकड़ चाहिये। उसमें से ४५७·४९ एकड़ नजूल की है बाकी जो है वह काश्तकारों की है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण के संबंध में सरकार के अनुमानित आंकड़े क्या हैं, कितना धन इस पर व्यय होगा ?

श्री शाहनवाज खां : हमने जो अन्दाजा लगाया है वह ३.५१ करोड़ का है। लेकिन जमीन की कीमत जो है जब तक उसका आखिरी निर्णय नहीं हो जाता तब तक यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुमकिन है कि उसके बाद दाम में कुछ बढ़ोत्तरी हो।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह पुल मार्च, १९६४ में बन कर तैयार होगा अगर गर्डर्स और इस्पात उपलब्ध हो गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह "अगर" क्यों लगाया जा रहा है ? और इसके लिये क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही है ताकि वह जल्दी बन सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई प्रश्न हैं। उन्होंने कई अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिये हैं। हमें एक ही प्रश्न पर इतना समय नहीं लेना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, मेरा मतलब यह है कि क्या गर्डर्स आदि की व्यवस्था करने के लिये कोई खास कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पुल के बनने में अब बहुत देरी न हो ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां। लेकिन सब इंतजाम करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टील प्रोडक्शन का प्रोग्राम होता है वह सही न निकले। इसलिये देर हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली में नर्सों के लिये स्कूल

†*१३८२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्सों को लोक-स्वास्थ्य और बुनियादी शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दू राव अस्पताल से संलग्न एक नर्सों का स्कूल खोलने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ३।। वर्ष का है। सामान्यतया हर साल १२ छात्र उस पाठ्यक्रम के लिये भरती किये जाते हैं। फिर भी, जगह की कमी के कारण इस साल केवल छः छात्र भरती किये गये हैं और पाठ्यक्रम १ अप्रैल, १९६१ से शुरू हुआ। जो नर्सें इस प्रशिक्षण स्कूल से योग्यता प्राप्त करेंगी, उन्हें दिल्ली नगर निगमों के अस्पतालों में कम से कम दो साल नौकरी करनी होगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस बात को देखते हुए कि दिल्ली में नर्सों की भारी कमी है क्या यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरी जगहों में चालू किया जायगा ?

†**श्री करमरकर** : जी हां। मैं यह देखता हूं कि २४ प्रतिष्ठानों ने भारत सरकार की इस योजना से लाभ उठाया है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या यह महिला नर्सों के लिये है या पुरुष नर्सों के लिए भी ?

†**श्री करमरकर** : यह महिला नर्सों के लिये है लेकिन मैं पुरुष नर्सों के लिए भी इसकी जरूरत महसूस करता हूं।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि प्रशिक्षित नर्सों को नौकरी नहीं मिली है ?

†**श्री करमरकर** : सम्भव है।

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्माण

†*१३८३. **श्री नजंप्प** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण को वैधानिक नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों से परामर्श किया गया हैं ;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला है ;

(घ) सरकार इस विधेयक को संसद् के समक्ष सम्भवतः कब पेश करेगी; और

(ङ) क्या वैधानिक कार्यवाही करने से पहले एक जांच समिति नियुक्त करना अथवा इस प्रस्थापना को एक उच्च शक्ति प्राप्त परिषद् को निर्देशित करना आवश्यक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण के नियन्त्रण की योजना पर विचार हो रहा है ।

(ख) और (ग). इस मन्त्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा था। १३ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने यह योजना मान ली है और दो राज्यों ने यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया है ।

(घ) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का नियंत्रण करने वाला बिल संसद् में कब पेश किया जायगा ।

(ङ) चूंकि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के नियंत्रण के प्रश्न के सभी पहलुओं की छानबीन की गयी है, कोई जांच समिति स्थापित करना या उच्चसत्ता परिषद् को योजना भेजना जरूरी नहीं समझा जाता ।

†श्री नजंप्प : आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों की फार्मोकोपिया तैयार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और यह काम किस को सौंपा गया है ?

†श्री करमरकर : आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् उस पर भी विचार कर रही है । उसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई हैं । आशा है कि उसमें शीघ्रता की जायगी ।

†श्री पलनियाण्डी : क्या सरकार ने तामिलनाड में प्रचलित सिद्ध औषधि प्रणाली की उन्नति करने पर विचार किया है ?

†श्री करमरकर : जी हां ।

†श्री नजंप्प : क्या राष्ट्रीय जड़ी बूटीशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया गया है और वह किन किन जगहों पर स्थापित की जायगी ?

†श्री करमरकर : आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् ने देश के विभिन्न भागों में जड़ी बूटी शालाएं स्थापित करने की सिफारिश की है । पूना में एक ऐसी ही शाला की उन्नति करने का विचार है । हम यथासम्भव देश के विभिन्न भागों में जड़ी बूटी शालाएं कायम करना चाहते हैं ।

†डा० सुशीला नायर : क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक फार्मोकोपिया तैयार करने में आयुर्वेदिक औषधियों के प्रमापीकरण का अभाव एक बड़ी कठिनाई है और यदि हां, तो इस प्रमापीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और क्या आयुर्वेदिक वैद्य इस प्रमापीकरण से सहमत हैं ?

†श्री करमरकर : इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है जी हां । प्रमापीकरण एक कठिन बात है और मुझे बताया गया है कि खास तौर से जब विभिन्न औषधियों और चूर्णों का मिश्रण किया जाता है तो उन्हें वैज्ञानिक ढंग से अलग करना सम्भव नहीं हो सका है । लेकिन हमें आशा है कि वे उस प्रयोजन के लिए प्रमापीकरण के कुछ तरीके ढूंढ निकालेंगे ।

डा० गोविन्द दास : जबकि सरकार यह विचार कर रही है कि इन दवाओं के ऊपर इस प्रकार का नियन्त्रण किया जाय तो क्या सरकार उसी के साथ इस पर भी विचार कर रही हैं कि इस तरह की दवाओं के निर्माण के लिये भी केन्द्र से या किन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा कोई प्रयत्न किया जाय।

श्री करमरकर : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : सरकार दवायें बनाने का प्रबन्ध कहां कहां कर रही है ?

श्री करमरकर : किन किन जगहों में करेंगे यह अभी निश्चित नहीं हुआ है । दवाओं के प्रोडक्शन के बारे में जो भी फैक्ट्रीज हैं उनका नियन्त्रण हो सके इसका प्रयत्न किया जा रहा है । किसी किसी स्टेट की इच्छा है कि उनके यहां प्रोडक्शन हो । जहां जहां पर इसके बारे में प्रयत्न किया जायेगा, उनको हम काफी अभिवृद्धि के लिये सहायता देंगे।

श्री पद्म देव : क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी संस्था स्थापित हुई है जहां पर औषधि निर्माण के लिये विशेष कार्यकर्ता तैयार किए जाएं ?

श्री करमरकर : अभी तक तो नहीं स्थापित हुई है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐलोपैथिक दवाओं के सम्बन्ध में भी सरकार कोई वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने की बात सोच रही है ? यदि नहीं तो केवल आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं पर ही प्रतिबन्ध लगाने की बात क्यों सोच रही है ? और क्या जो लखनऊ और भाव नगर में अनुसन्धान शालाएं हैं उन पर भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध रहेगा ?

श्री करमरकर : ऐलोपैथिक ड्रग्स पर तो ड्रग्स कण्ट्रोल एक्ट के अधीन जो नियम बने हैं उनके अनुसार प्रतिबन्ध लगा है । जहां तक अनुसन्धान शालाओं का सवाल है, उनका काम तो दवाओं को मैन्युफैक्चर करना नहीं है । यह एक अलग सवाल है । जो बनस्पतियों से औषधियां बनायी जाती हैं उनके बारे में बताया गया कि कभी कभी सब स्टैण्डर्ड ड्रग्स निर्माण होती हैं । तो उनकी ठीक व्यवस्था करने के लिये यह लोकोपकारी प्रयत्न किया जा रहा है ।

भाखड़ा बांध

†*१३८४ { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध के पूरा होने के निर्धारित समय को मई, १९६१ से दिसम्बर, १९६१ करने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) निर्धारित तिथि में परिवर्तन करने से कितना अतिरिक्त व्यय होगा; और

(ग) क्या इसका कारण 'होइस्ट मैम्बर' (बांध का फाटक उठाने गिराने का कक्ष) में हुई दुर्घटना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १,५०,००० रुपये । काफी देर तक मिट्टी, निकालने के काम में लगे प्रतिष्ठान में लगातार रोजगार के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ है ।

(ग) जबकि परिवर्तन अंशतः होइस्ट चेम्बर दुर्घटना के कारण हुआ है, उसका मुख्य कारण मिट्टी हटाने के कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा अधिक सघनता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : (क) से (ग) जिस समय होयस्ट चेम्बर की दुर्घटना हुई यह बताया गया था कि कुल व्यय ५५ लाख रुपया होगा । बाद में यह कहा गया कि अतिरिक्त व्यय ५ करोड़ रुपये होगा । इसमें कौन कौन सी मदें हैं और व्यय में इतनी वृद्धि का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : ५ करोड़ रुपये की रकम होइस्ट चेम्बर की दुर्घटना के कारण नहीं है। ५५ लाख रुपये की रकम इस कारण दी गयी थी कि वह मशीनें, जनरेटिंग सेट और दूसरी चीजों की मरम्मत तथा अन्य कुछ असैनिक निर्माण कार्यों के सम्बध में थी। इस ५ करोड़ रुपये में अन्य मदें भी शामिल हैं। वह भाखड़ा बांध के लिये जमीन की अधिक लागत, भाखड़ा नहरों आदि के लिये प्रतिष्ठान की अधिक लागत के सम्बन्ध में भी है। यह सब मिल कर ५ करोड़ रुपये होता है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि अधिक छिद्रण और मिट्टी निकालने का काम होइस्ट चेम्बर की दुर्घटना तथा वहां पानी भर जाने के कारण बांध के दाहिने भाग को खतरे के कारण हुआ है ?

†श्री हाथी : वह होइस्ट चेम्बर की दुर्घटना के कारण नहीं हुई है। ४५० फुट तक जाने के बाद हमें यह मालूम हुआ कि नींव के लिए और मिट्टी निकालने की आवश्यकता है। वह होइस्ट चेम्बर की दुर्घटना के फलस्वरूप नहीं हुआ है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं कि दुर्घटना से लगभग छः महीने पहले आरम्भ में ही ७६० फुट की कुल ऊंचाई की कल्पना कर ली गयी थी ?

†श्री हाथी : ज्योंही काम आगे बढ़ा, यह बात जाहिर हो गयी और इसलिए मिट्टी निकालने का काम होना था।

†श्री गोरे : मिट्टी निकालने का मूल अनुमान क्या था और अब अनुमान क्या है ?

†श्री हाथी : मुझे उस के लिए सूचना चाहिए।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या दिसम्बर, १९६१ तक भाखड़ा बांध पूरा हो जायगा या उसकी तारीख और आगे बढ़ाये जाने की संभावना है ?

†श्री हाथी : हम समझते हैं कि अभी फिलहाल वह तारीख आगे नहीं बढ़ानी पड़ेगी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सिंचाई काम के सम्बन्ध में देर नहीं होगी। सिंचाई जारी रहेगी और लाभ मिलता रहेगा।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त उच्च सत्ता समिति की सिफारिशों की छानबीन सरकार ने कर ली है और यदि हां, तो अधिक खर्च के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†श्री हाथी : मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार कार्यवाही करने वाली है।

†श्री गोरे : क्या यह सच नही कि पहले जितना सोचा गया था उससे अधिक मिट्टी निकालना अब जरूरी समझा गया है ?

†श्री हाथी : जी हां, मेरा ऐसा ख्याल है।

†श्री गोरे : इस वृद्धि की क्या प्रतिशतता है ?

†श्री हाथी : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। मिट्टी निकालने का काम बढ़ गया है इसमें कोई सन्देह नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या और अधिक मिट्टी निकालने का काम दुर्घटना के सम्बन्ध में नियुक्त खोसला समिति की सिफारिशों पर आधारित है या इस प्रयोजन के लिए कुछ अन्य विशेषज्ञों के साथ कुछ और परामर्श किया गया है ?

†**श्री हाथी** : वह परामर्शदाताओं के बोर्ड की सिफारिश पर आधारित है ।

नागपुर में रेल दुर्घटना

†*१३८५. { **श्री आसर :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर में १७ फरवरी, १९६१ को एक यात्री-डिब्बा दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप ६७ यात्री घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). १७-२-६१ को ११-३० बजे नागपुर स्टेशन पर १ डाऊन बम्बई हावड़ा मेल में जुड़ने के लिए ५ डिब्बे पीछे की ओर जब आ रहे थे तब वे इंजन से अलग हो गये, लुढ़क गये और गाड़ी के बाकी हिस्से से भिड़ गये ।

दुर्घटना का कारण यह था कि रेलवे कर्मचारियों ने संगत नियमों का पालन नहीं किया । इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी करार किये गये कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच नहीं है कि पिछले दो महीनों में इस तरह की दुर्घटनायें बढ़ गयी हैं, और उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं । दूसरी ओर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी दिखायी पड़ रही है ।

†**श्री आसर** : मेरा प्रश्न यह था कि इस ढंग की दुर्घटनाएं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल ईश्वर ही जानता है कि इस ढंग से क्या मतलब है । माननीय सदस्य यह मान कर चलते हैं कि कुछ तथ्यों को देखते हुए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं । माननीय मंत्री कहते हैं कि "नहीं" । आगे प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या दुर्घटना के कारण बहुत सख्त चोटें आईं या मामूली चोटें आयीं और कितने रेल कर्मचारी आहत हुए ?

†**श्री शाहनवाज खां** : एक आदमी को सख्त चोट आयी । २६ लोगों को मामूली चोट आयी और दूसरों को बहुत मामूली चोट लगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : दूसरे लोगों का ब्यौरा क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या सरकार ने आहत व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री सुबिमन घोष** : माननीय मंत्री ने बताया कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । वे लोग किस वर्ग के हैं, वर्ग ४, ३ या और ऊंचे वर्ग के ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऐसे मामलों में किसी भी सम्बन्धित रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है चाहे वह किसी वर्ग या श्रेणी का हो, बशर्ते कि उसकी जिम्मेदारी मुकर्रर की गयी हो ।

†**श्री सुबिमन घोष** : मैं इस खास मामले में वर्ग जानना चाहता हूं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : इस खास मामले में वर्ग ३ के कर्मचारी हैं ।

रेलवे के प्रशिक्षण स्कूल

†*१३८६. **श्री राम शरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के स्कूलों में जिन प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है उनका सर्वेक्षण करने के लिये और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविषयों के प्रमापीकरण के लिये उपायों की सिफारिश करने के वास्ते जो समिति नियुक्त की गयी थी, क्या उसने अब तक कोई रिपोर्ट दी है ;

(ख) क्या समिति ने भारतीय रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में और सुधार करने के उपायों की सिफारिश की है ; और

(ग) इस रिपार्ट तथा सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रिपोर्ट की एक प्रति, ज्योंही वह छप जायेगी, सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इन प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षार्थियों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं और ऐसे कितने प्रशिक्षण स्कूल हैं और उनमें कितने प्रशिक्षार्थी हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : प्रशिक्षण उन रेल कर्मचारियों के लिए है जो पहले से नौकरी में है और जिन्हें रेलवे सेवा आयोगों ने चुना है । रेलवे में काफी स्कूल हैं और काफी संख्या में प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहेहैं । मेरे पास अभी सारे आंकड़े नहीं हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जो ट्रेनिंग वह दे रहे हैं इसमें अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए भी क्या कोई रिजरवेशन है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो सब एम्पलाइज के लिये है, यह हर एक के लिए है । इसमें किसी का फर्क नहीं किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक विमान-चालक

\+
†*१३८८. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाजपेयी :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रशिक्षण प्राप्त असैनिक विमान चालकों में से, जो आजकल बेरोजगार हैं, कुछ व्यक्तियों को लेना मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ; और

(ग) इन प्रशिक्षण प्राप्त विमान चालकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित बेरोजगार असैनिक विमान चालकों के इंडियन एयर फोर्स के लिए चुनाव की योजना पर विचार कर रहा है ।

(ग) यद्यपि उपर्युक्त केन्द्र में प्रशिक्षित असैनिक विमान चालकों को नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाती फिर भी सरकार के निम्नलिखित निर्णय बेरोजगारी की हालत में सुधार करने में सहायक होंगे ।

(१) जिन विमान चालकों को २०० घंटे सोलो-फ्लाइंग का अनुभव हो उनके लिए असिस्टेंट एयरोड्रोम आफिसर के पद पर भरती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी गयी है । संघ लोक सेवा आयोग ने अभी हाल में असिस्टेंट एयरोड्रोम आफिसर की ग्रेड में छः पदों के लिए विज्ञापन दिया था ।

(२) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन संभवतः १० विमान चालकों की भरती करेगा और अन्तिम निर्णय होते ही समाचार पत्रों में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया जायगा ।

(३) तीसरी योजना अवधि में १५ नये फ्लाइंग क्लब खोलने के लिए व्यवस्था की गयी है ।

(४) फ्लाइंग क्लबों के लिए खोले गये सैटेलाइट केन्द्रों के लिए उन्हें राज सहायता देने का निश्चय किया गया है और एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है । इस प्रकार के सैटेलाइट क्लब खोलने से अधिक विमान चालकों की मांग बढ़ेगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मानीय मंत्री ने कल बताया कि असैनिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी बेरोजगार विमानचालकों को पत्र लिखा है । क्या यह सच है कि असैनिक विमान चालकों को यह मालूम करने के लिए पत्र लिखा गया है कि क्या वे अब भी बिना रोजगार के हैं और क्या वे विमान बल या असैनिक उड्डयन विभाग में नौकरी करना चाहते हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन में से कितनों ने उत्तर भेजा है और क्या उन सभी को पत्र भेजे गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : असैनिक उड्डयन महानिदेशालय ने उन से यह नहीं पूछा था कि वे इंडियन एयर फोर्स में नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। वह एक उचित प्रश्न नहीं होगा। मैं ने कल यह कहा था कि जिन्होंने अपना लाइसेंस नया नहीं बनाया है उनसे और शायद दूसरों से भी यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें पत्र लिखे गये थे कि उनके पते क्या हैं वे इस समय क्या कर रहे हैं, इत्यादि।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : विवरण के मद (२) में यह कहा गया है कि असैनिक विमानचालकों की बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ निर्णय किये गये थे। इन निर्णयों के अनुसार सरकार का क्या अनुमान है और कितने विमानचालक नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ने कल बताया है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन लगभग ९ या १० विमान चालक भरती करेगा। छः सहायक हवाई अड्डा पदाधिकारियों की भरती होगी। आयु सीमा के बारे में कुछ छूट मिलेगी। उन्हें उसके लिए लोक सेवा आयोग के सामने हाजिर होना पड़ेगा। मैं यह नहीं बता सकता कि कितने नियुक्त किये जायेंगे लेकिन उनके रोजगार के लिए गुंजाइश है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि केवल ३३ बेरोजगार विमान चालकों ने अपने लाइसेंस नये कराये और दूसरों ने नहीं कराये। क्या यह सच है कि जो बेरोजगार हैं उन्होंने कम से कम चार बार अपने लाइसेंस नये कराये? कितने लोगों ने अपने लाइसेंस नये कराये, कितनों ने नहीं कराये और बेरोजगार विमान चालकों की कुल संख्या क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल ३३ विमान चालकों ने अपने लाइसेंस नये बनाये हैं। दूसरों के बारे में जिन्होंने असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र से परीक्षा पास की है, इस सम्बन्ध में कि वे फिलहाल क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने लाइसेंस दोबारा क्यों नहीं बनाये, उन्हें पत्र लिखे गये हैं और यदि वे उत्तर दें तो हमें जानकारी मिल जायगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : औचित्य प्रश्न के हेतु। प्राक्कलन समिति ने अपनी ११५वीं रिपोर्ट में इसके लिए एक खास पैरा दिया है। मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है क्योंकि मंत्री कुछ और कहते हैं और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में कुछ और है। हम नहीं जानते कि इस खास मामले में क्या किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। बात स्पष्ट है कि जब तक प्रशिक्षित विमान चालक अपने लाइसेंस दोबारा नहीं बनाते, वे यह काम नहीं करना चाहते। वे और कोई काम करेंगे। मंत्री ने कई बार कहा है कि वे उन्हीं विमान चालकों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिन्होंने पुनः लाइसेंस नया बनाया है। इसके अलावा और कुछ नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : २३ फरवरी, १९६० को आपने यह मामला प्राक्कलन समिति को भेजा था। प्राक्कलन समिति ने पिछली २४ मार्च को सभा में पेश की गयी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वह सवाल पूछें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजराज सिंह** : सरकार कहती है कि ३३ विमान चालक बेरोजगार हैं । प्राक्कलन समिति कहती है कि प्रशिक्षित किये गये ११८ विमान चालकों में से पिछले साल केवल २६ विमान-चालकों को नौकरी दी गयी थी । उनके आंकड़ों के अनुसार, ९२ विमान चालक बेरोजगार हैं । सरकार इसका क्या कारण बताती है ? समिति ने यह भी बताया है कि सरकार ठीक ठीक आंकड़े नहीं रखती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : न तो श्री बनर्जी और न श्री अजराज सिंह ने ही इस तथ्य की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया कि उन्होंने भिन्न आंकड़े दिये हैं जब कि प्राक्कलन समिति ने यह कहा है कि ११८ प्रशिक्षित विमान चालकों में से केवल २६ को रोजगार दिया गया है । वह औचित्य प्रश्न उठाने की बजाय प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस बारे में कुछ गलतफहमी है । जैसा कि मैं बता चुका हूं कि असैनिक उड्डयन महानिदेशालय को उन लोगों के बारे में जानकारी है जो पास हुए हैं और जिन्होंने प्रत्येक वर्ष अपने लाइसेंस नये कराये हैं । जो लोग पास हुए हैं और जिन्होंने अपने लाइसेंस नये नहीं बनाये हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि मैंने पहले इस जानकारी के सम्बन्ध में उल्लेख किया था कि सरकार प्रत्येक विमान चालक पर ४०,००० रुपये या उससे अधिक खर्च कर रही है और कई विमान चालकों को रोजगार नहीं मिला है । तब माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि इतनी बरबादी क्यों हो रही है । उस सन्दर्भ में मैं ने वह मामला विस्तृत छानबीन के लिए प्राक्कलन समिति को सौंप दिया । प्रश्न उस रूप में पूछा गया हो या नहीं मंत्री महोदय को सभा को यह बताना चाहिये कि इतनी बरबादी क्यों हो रही है । एक दो बार अपने लाइसेंस नये बनाने के बाद निराश होकर शायद उन्होंने अपने लाइसेंस नये न कराये हों । मैं नहीं जानता था कि मैं ने यह विषय प्राक्कलन समिति को सौंप दिया है । मैं सारी स्थिति माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं । यदि वह नहीं बता सकते तो आज या कल इस पर आधे घंटे की चर्चा की जाये ।

†**श्री अजराज सिंह** : २४ जून, १९५८ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सरकार को लिखा था :

> "इस प्रकार यह दिखायी पड़ेगा कि अपने प्रतिष्ठान को पूरा करने के लिए हमें और ४२ विमान चालकों की जरूरत है । भविष्य में, एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिए हमें सालाना औसतन १० विमान चालकों और त्यागपत्र, चिकित्सा सम्बन्धी कारणों आदि से हानि पूरी करने के लिए ३० और ३५ विमान चालकों की जरूरत होगी ।"

इस पत्र पर हस्ताक्षर श्री पी० सी० लाल ने किये थे और तारीख २४ जून, १९५८ थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर आगे चर्चा के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगला प्रश्न ।

उड़ीसा में डाक्टरों की कमी

†*१३८९. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा के प्रत्येक जिले में कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और ऐलोपैथिक अस्पताल, औषधालय और प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरों के बिना चल रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रखी जायगी ।

उपरोक्त (ख) के अधीन मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि मुझे ज्ञात हुआ है कि स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार नीचे लिखी कार्यवाही कर रही है :—

(१) एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक, में भरती किये जाने वालों की संख्या में वृद्धि ।

(२) बुरला में एक और मेडिकल कालेज खोला गया है ।

(३) जिन अतिवयस्क चिकित्सा पदाधिकारियों को शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त और मानसिक दृष्टि से चुस्त पाया गया, उन्हें ६०वें साल के बाद भी आम तौर से पुनः नियुक्त किया जा रहा है ।

(४) १०० डाक्टरों की भरती के लिए अखिल भारतीय आधार पर १०० जगहों के लिए विज्ञापन दिया गया था ।

(५) ३०० डाक्टर भेजने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत शुरू की गयी है ।

(६) ५० की भरती कर बरहामपुर में एक दूसरा मेडिकल कालेज खोलने की योजना है ।

†**श्री कुंभार** : क्या यह सच है कि नये डाक्टर और नये ज्योतिषी पुरानों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे होते हैं और यदि हां तो क्या ये औषधालय और अस्पताल चलाने के लिए पुराने सेवा-निवृत्त डाक्टर नियुक्त करने की किसी योजना पर उड़ीसा सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उड़ीसा सरकार अतिव्वयस्क चिकित्सा पदाधिकारियों को जिन्हें उपयुक्त पाया गया, ६०वें वर्ष के बाद भी आम तौर से नियुक्त कर रही है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : मंत्री महोदय ने बताया कि कलकत्ते से डाक्टर बुलाने के लिए उड़ीसा सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत कर रही है । क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि कलकत्ते में कई डाक्टर उपलब्ध हैं फिर भी वे अस्थायी नियुक्ति होने के कारण उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते ?

†**श्री करमरकर** : मुझे जानकारी नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या उड़ीसा में डाक्टरों की कमी का कोई सर्वांगीण अनुमान लगाया गया है और यदि हां तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**श्री करमरकर** : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में हम ने तीन चार महिने पहले अनुमान लगाया था और हम ने यह देखा कि उस समय स्थापित २४०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग २० प्रतिशत कमी थी । उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकारें अपनी भरसक कोशिश कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : इस बात को देखते हुए कि भारत में डाक्टरों की सर्वांगीण कमी है और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में अतिरिक्त डाक्टर हैं, क्या भारत सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे सकती कि चिकित्सा विषयक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों का बराबरी से उपयोग किया जाये चाहे वे किसी भी राज्य के क्यों न हों ?

†**श्री करमरकर** : कोई निर्बन्धन नहीं है। वास्तव में हम ने उन राज्यों को जिनमें डाक्टरों की कमी है, अतिरिक्त क्षेत्रों से डाक्टर लेने की सलाह दी है और हम ने अतिरिक्त क्षेत्रों को भी यह सलाह दी है कि वे कमी वाले क्षेत्रों में अपने डाक्टर भेज दें। जो भी संभव है, हम कर रहे हैं। लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं दे सकते कि वह किया गया है या नहीं।

श्री भ० दी० मिश्र : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि प्रायः सभी राज्यों में ऐलोपैथिक डाक्टर देहातों में जाने के लि`तैयार नहीं होते हैं ?

श्री करमरकर : यह चीज़ ठीक नहीं है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सरकार के अनुसार उड़ीसा में तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में कितने डाक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी और कुल कितनी कमी है ?

†**श्री करमरकर** : हमने यह जानकारी मांगी है। मैंने यह कहा है कि यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हमने उड़ीसा सरकार को इस बा`में लिखा है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : राज्य सरकार ने अपनी तीसरी योजना संघ सरकार को प्रस्तुत की थी और इस पर योजना आयोग द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी चर्चा की गयी थी। उन्होंने राज्य में डाक्टरों की कमी के बारे में आंकड़ों का अनुमोदन किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय उससे इन्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जानकारी मांगी है और अभी तक उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या मैं जान सकता हूं कि समूचे देश भर में डाक्टरों की कमी को देखते हुए क्या सरकार का राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का विचार है कि अल्प-कालीन चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया जाय ताकि डाक्टर जल्दी ही उपलब्ध हो सकें ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक अल्प-कालीन पाठ्यक्रम का सम्बंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। दो राज्य सरकारों ने 'लाइसेंशिएट' पाठ्यक्रम चालू करने का सुझाव दिया है। भारत सरकार ने इस समस्या पर भली भांति विचार करने के पश्चात् यही सोचा है कि यह काम राज्य सरकारों का है कि वे जैसा उपयुक्त समझें वैसा पाठ्यक्रम चालू करें। जहां तक 'लाइसेंशियेट' पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है और हमारा मत यह है कि इस प्रश्न का फैसला करना राज्य सरकारों का काम है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम "चिकित्सा सहायक योजना" नामक योजना को शुरू करने की योजना के बारे में विचार कर रहे हैं। ये लोग डाक्टर नहीं होंगे किन्तु जहां पर उनकी आवश्यकता होगी, वहां पर ये लोग डाक्टरों की सहायता करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सरकार को बहरामपुर में एक तीसरा कालेज स्थापित करने के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है क्योंकि बजट में निर्धारित राशियों में से इस वर्ष किये जाने वाले आवंटन की निश्चित योजनाएं अभी बनायी जानी हैं ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा दिये जाने वाले में इतना आकर्षण है कि डाक्टर सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार हैं ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं, हमारी आवश्यकताओं में केवल डाक्टरों की उपलब्धता से कहीं अधिक वृद्धि हो गयी है । इस समय देश में ६० मैडिकल कालेज हैं और उनमें ६३०० विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया जाता है । जब इन मैडिकल कालेजों का पूरी तरह से विकास हो जायेगा और इन में से चिकित्सा स्नातक शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि देश में डाक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी । किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारी विकास-कार्यों सम्बन्धी योजनाओं में इतनी वृद्धि हो गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डाक्टरों की व्यवस्था करने के मामले पर पूरा ध्यान दिये जाने के बावजूद भी हमारे पास डाक्टरों की कमी है ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार चिकित्सक-सहायकों का एक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी, इसके अन्तर्गत किस प्रकार का प्रशिक्षण देने का विचार है और इन चिकित्सक सहायकों द्वारा किस प्रकार का कार्य किये जाने की आशा की जाती है ?

†**श्री करमरकर** : हमारे पास पहले ही इस कोटि के दो प्रकार के सहायक-चिकित्सा कर्मचारी हैं । एक तो सफाई-कर्मचारी हैं और दूसरे लोक-स्वास्थ्य कर्मचारी हैं । मेरा अनुमान है कि इन्हें ढाई से लेकर ३ वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता है । चिकित्सा-सहायकों का पाठ्यक्रम इन दो किस्म के कर्मचारियों के समान ही होगा किन्तु उसमें एक अन्तर यह होगा कि इन चिकित्सा-सहायकों को रोगों और औषधियों की प्रारम्भिक जानकारी भी दी जायेगी ताकि ये लोग डाक्टरों के साथ उनके सहायकों के रूप में कार्य कर सकें ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

*१३९०. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश में कितने मील लम्बी २४ फुट चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ ;

(ख) इस में से कितना सरकार की देख रेख में और कितना ठेकेदारों द्वारा सम्पादित किया गया ; और

(ग) ठेकेदारों द्वारा बनायी गई सड़कों पर कितना व्यय हुआ और सरकार द्वारा बनायी गई सड़कों पर कितना ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुल ३०१ मील लम्बाई में २४ फीट चौड़ाई वाली सड़कें हैं ।

(ख) और (ग) . सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि जो सड़कें खुद सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, उन का व्यय अधिक होता है बनिस्बत उन सड़कों के, जो कंट्रैक्टर्ज़ के द्वारा बनाई जाती हैं, जब कि सुपरविज़न का खर्चा कंट्रैक्टर को खुद बर्दाश्त करना होता है और सरकार के अपने हाथ में होता है ?

श्री राज बहादुर : मैं आम तौर से यह बात नहीं कह सकता। जहां तक मेरा अनुमान है, जो सड़कें सीधे विभाग के द्वारा बनाई जाती हैं, उन का खर्चा कम होना चाहिए।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तीन सौ मील लम्बी सड़कें हैं। "हैं" का क्या मतलब है ? प्रश्न तो यह किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी बनी हैं।

श्री राज बहादुर : द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ३०१ मील बनी हैं।

श्री पद्म देव : वे कहां कहां हैं ? वे कौन कौन सी सड़कें हैं ?

श्री राज बहादुर। यह तफ़सील मेरे पास नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : इन सड़कों की चौड़ाई चौबीस फ़ीट की दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उस समय दी जाती है, जिस समय कि सड़क बनाई जाती है, या हमेशा रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और उन की चौड़ाई बहुत कम रह जाती है।

श्री राज बहादुर : आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाने का तरीका यह है कि पहले ट्रेक बनाया जाता है। फिर उस को इम्परूव करने के लिये एक एक तरफ वाली इकेहरी सड़क बनाई जाती है। फिर दो तरफ़ वाली दोहरी सड़क बनाई जाती है, जो चौड़ी हो जाती है। पहली जो सड़क होती है, उस की चौकी को, अंग्रेज़ी में जिस को फार्मेशन कहते हैं, चौड़ा किया जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सड़क निर्माण के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या उसकी पूर्ति हो गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम लक्ष्य से भी आगे बढ़ चुके हैं। वस्तुतः, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए ४२७.५० लाख रु० का वित्तीय आवंटन किया गया था। योजना के पहले चार वर्षों में ४००.०७ लाख रु० व्यय किया गया। योजना के अन्तिम वर्ष में १७८.८६ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल व्यय ५७८.९३ लाख रु० हो जायेगा, जब कि दूसरी योजना की अवधि में ४२७.५० लाख रु० का आवंटन किया गया था। मीलों की दृष्टि से भी हम निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ चुके हैं।

मत्स्यपालन प्रशिक्षण संस्था

†*१३९१. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यपालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था खोलने के वास्ते कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो क्या;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या इस संस्था को शुरू करने के लिए साजसामान हासिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यह संस्था कब खोली जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (घ). इस संस्था के बारे में एक अस्थायी योजना बनायी जा चुकी है। हमारे देश में इस प्रकार का प्रशिक्षण एक नई चीज़ है इसलिए इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी विदेशी विशेषज्ञ की सेवाओं को हासिल करना आवश्यक है। इस संस्था के लिए अभी तक कोई साजसामान नहीं खरीदा गया। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाने और उसे सरकार की मंजूरी मिल जाने के पश्चात ही साजसामान की खरीद की जायेगी। इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि संस्था में कब खुल जायेगी।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से किसी अन्य देश के साथ बातचीत शुरू की गयी है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : जी नहीं। जब हमें इस योजना को तैयार करने के लिए किसी अन्य देश से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त हो जायेंगी तो हमे ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री मणियंगाडन** : जक्या उन्होंने इस बात का निर्णय किया है कि वह किस देश से बातचीत करेंगे ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : हम ने अभी तक इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया। हम खाद्य तथा कृषि संगठन को इस विषय का एक विशेषज्ञ भेजने के लिए कह सकते हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : मैंने अभी हाल में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों में पढ़ा है कि गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए अमरीका का सहयोग लिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी और इस संस्था के कार्य में अमरीकी सहयोग प्राप्त करेगी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : यह समाचार मत्स्यपालन उद्योग के बारे में है। पिछले दो तीन वर्षों में भारत में मत्स्यपालन उद्योग का बड़ी तेजी से विकास हुआ है। हमारे समुद्र तटों पर बहुत सी कम्पनियां बनायी गयी हैं और अमरीकी सहयोग और जापानी सहयोग से कुछ अन्य कम्पनियों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय सदस्य उस कम्पनी का उल्लेख कर रहे हैं जिसकी स्थापना आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में की जा रही है।

†**श्री कोडियान** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

श्री मों० वें० कृष्णप्पा : इस संस्था में मुख्यतः 'स्किपर्स', 'मास्टर फिशरमैन', 'मेट्स', 'इंजन ड्राइवरों,' 'बोट एण्ड शोर' प्रविधिज्ञों और अन्य विभिन्न किस्म के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अस्थायी योजना के अनुसार तीसरी योजना के दौरान इस पर ७७ लाख रु० व्यय होगा।

†**श्री कुन्हन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और इस संस्था के चालू होने में कितना समय लगेगा ? क्या तीसरी योजना के दौरान यह योजना तैयार हो जायेगी अथवा चौथी तथा पांचवीं योजना के दौरान ? इस सभा में यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। अब यह कहा गया है इस पर विचार किया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

---

†नल अंग्रेज़ी में

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस सभा में यह प्रश्न पहली बार पूछा गया है। हम चाहते हैं कि कोचीन में यह संस्था जल्दी से जल्दी चालू हो जाये क्योंकि देश को इस प्रकार के बहुत से प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है क्योंकि आजकल ६ करोड़ रु० की मछलियों का विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। यह उद्योग बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है। हमें बहुत से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है और सरकार इस संस्था को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने की इच्छुक है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रशिक्षण संस्थाओं में केवल उन्हीं लोगों को दाखिल किया जायेगा जिनका सम्बन्ध मछली पकड़ने वाले लोगों की जाति से है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : भारत के सभी भागों के लोगों को इस संस्था में दाखिल किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या केवल मछली पकड़ने वाली जातियों के लोगों को इस संस्था में प्रविष्ट किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मछली पकड़ने वाली जातियों के शिक्षित नवयुवकों को प्राथमिकता दी जायेगी और इसके बाद अन्य लोगों को।

†**श्री मणियंगाडन** : पिछली बार जब मछली पकड़ने वाले लोगों की प्रशिक्षण संस्था का प्रश्न उठाया गया था तो केरल और बम्बई दोनों राज्य यह चाहते थे इस प्रकार की संस्थाएं उनके राज्यों में खोली जायें और तब तक यह निर्णय किया गया था कि दोनों राज्यों में ऐसी एक संस्था खोली जाये। मछुवों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं अतः इस संस्था को तुरन्त खोलने का निर्णय किया गया। दूसरी संस्था की स्थापना इस वर्ष की जा रही है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि कोचीन में प्रशिक्षण संस्था की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : केवल तीन महीने पहले यह वायदा किया गया था। इसके पश्चात् हमारे मंत्रालय के विशेषज्ञों ने मिल कर एक अस्थायी योजना तैयार की। बम्बई वाली संस्था पहले शुरू की गयी क्योंकि इसके लिए प्रविधिक साज सामान और इस प्रकार की अन्य चीज़ों की अधिक आवश्यकता नहीं थी। यह एक शिक्षा संस्था है, जहां पर जिला स्तर के मत्स्य पालन-अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अतः उस संस्था के बारे में हम बिना अधिक साज सामान के भी प्रगति कर सकते हैं। किन्तु कोचीन वाली संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके लिए हमें बहुत से साजसामान की आवश्यकता है; और इसके शुरू होने में देर होने का कारण भी यही है। हम इसे यथासम्भव शीघ्र चालू करना चाहते हैं।

दिल्ली में विद्युत् संभरण

+
†*१३९४. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी, जिसकी मुख्य धारा आजकल नदी के पूर्वी किनारे के साथ प्रवाहित हो रही है, में जल प्रवाह के अकस्मात् बन्द हो जाने के कारण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित दिल्ली के केन्द्रीय बिजली घर के विद्युत् जनित्रों (जेनरेटिंग मशीन्स) पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विद्युत् संभरण की व्यवस्था में गड़बड़ होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । स्थिति यह है कि यमुना नदी के पूर्वी किनारे की मुख्य धारा से बिजली घर की अन्तर्ग्रहण नहर तक जल का प्रवाह २०-३-१९६१ को घट गया था । इसका कारण यह था कि नदी में पानी का स्तर अकस्मात् नीचे हो गया था जिसके परिणामस्वरूप बिजली घर को उपलब्ध होने वाले ठंढे पानी की मात्रा कम हो गयी ।

(ख) दिल्ली विद्युत् संभरण प्राधिकार द्वारा अन्तर्ग्रहण नहर में तलकर्षण का कार्य और मुख्य धारा के आर पार रेत की बोरियों का एक बांध बनाने का कार्य तुरन्त शुरू कर दिया गया था ताकि पश्चिमी किनारे की जलधारा के प्रवाह को मोड़ा जा सके । बांध बनाने का कार्य ३१-३-१९६१ को पूरा हो गया था । बिजली के सम्भरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आयी ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की प्रविधिक कठिनाई को, जैसी कि अब पैदा हो गयी है, दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री हाथी** : हम ने दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम को एक शीतकारक स्तम्भ की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि इससे इस कठिनाई का निवारण हो सकेगा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विवरण से यह पता चलता है कि मुख्य जलधारा के आर पार रेत की बोरियों का एक अस्थायी बांध बनाया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का पक्का बांध बनाने की कोई प्रस्थापना है ताकि इस प्रकार की कठिनाई दुबारा उत्पन्न न हो ?

†**श्री हाथी** : इसीलिए तो मैंने शीतकारक स्तम्भ की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली को विद्युत सम्भरण के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : जहां तक ठंढे पानी का सम्बन्ध है, दिल्ली यमुना नदी के पानी पर निर्भर करती है । किन्तु कई बार इस नदी में मिट्टी, रेत आदि इकट्ठी हो जाती है इसलिए इसकी सफाई करानी पड़ती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम शीतकारक स्तम्भ की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं, जिसकी सहायता से यह कठिनाई हमेशा के लिए दूर हो जायेगी ।

पंचायतें और पंचायत समितियां

†*१३९५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पंचायतों और पंचायत समितियों को नये वित्तीय तथा कार्यकारी अधिकार देने का निर्णय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो उन्हें क्या अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं; और

(ग) क्या अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों ने भी ऐसा किया है अथवा उनका ऐसा करने का विचार है।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के सभी विकास कार्यों के लिये, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शामिल है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों को जिम्मेवार बनाया गया है। खण्ड विकास समितियों को, जिनको अभी हाल में 'खण्ड पंचायत समितियों' का नाम दिया गया है, खण्डों के लिये विकास योजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वित करने के तथा पंचायतों के आय-व्ययकों को मंजूर करने के अधिकार दिये गये हैं। मुख्य आयुक्त के सभापतित्व में एक समिति इस बात की जांच कर रही है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिक तथा विकास कार्य आजकल दिल्ली नगर निगम द्वारा किये जा रहे हैं, वे इन पंचायत समितियों को सौंप कर इन समितियों के अधिकारों में वृद्धि की जाये।

(ग) हर क्षेत्र में स्थिति भिन्न भिन्न है। हिमाचल प्रदेश में संविहित ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें हैं। दोनों पर विकास-कार्यों की जिम्मेदारी है। तहसील पंचायतों को अधिक कृत्य, अधिक अधिकार और अधिक संसाधन प्रदान करने की एक प्रस्थापना है। मनीपुर, त्रिपुरा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पहली बार पंचायतें स्थापित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया है कि मुख्य आयुक्त कुछ प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में लगभग कितना समय लगेगा।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं पक्की तरह से कुछ नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। किन्तु यह कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान और अन्य राज्यों की पंचायतों और पंचायत समितियों को दिये गये अधिकारों की तुलना में दिल्ली की पंचायतों और पंचायत समितियों को क्या अधिकार प्राप्त हैं।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : राजस्थान में एक राज्य विधान मण्डल है जबकि दिल्ली एक केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र है और यहां पर कोई विधान मण्डल नहीं है। इसलिए दिल्ली के पंचायत राज की तुलना राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य के पंचायत राज के साथ नहीं की जा सकती।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता था कि दिल्ली में पंचायतों और पंचायत समितियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे अन्य राज्यों में इसी प्रकार के संगठनों को दिये गये अधिकारों की तुलना में क्या हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : उन राज्यों में जहां पंचायत राज का अस्तित्व है और जहां पंचायत समितियों और तहसील समितियों का निर्वाचन हो चुका है, वहां पर अधिकार प्रदान किये गये हैं किन्तु दिल्ली, राज्य और अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या अधिकारों का प्रत्यायोजन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और स्त्रियों आदि के, जो पिछड़े हुए लोग हैं, परित्राण के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : स्त्रियां पिछड़ा वर्ग नहीं हैं ।

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने कहा है, "और अन्य पिछड़े वर्ग ।"

†अध्यक्ष महोदय : स्त्रियों का उल्लेख अन्य पिछड़े वर्गों के साथ कैसे किया जा सकता है ।

†श्री ब० सू० मूर्ति : प्रश्न में स्त्रियों के बारे में भी उल्लेख था । इसलिये मैंने यह बताया है कि स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है ।

†श्रीमती रेणुका राय : यह तो बड़ा अस्पष्ट तथा व्यापक सा उत्तर है । उनके पर्याप्त तिनिधित्व के सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री रघुवीर सहाय : क्या इन संघ क्षेत्रों के लिये जिनमें दिल्ली भी सम्मिलित है-त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर आदर्श विधान बनाने के सम्बन्ध में कोई विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय प्रणाली लागू करने को सुकर नहीं समझता । परन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है ।

†श्री वेंकट सुब्बया : बलवन्तराय मेहता के सुझाव पर शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण के लिये विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधान पारित कर दिये गये हैं । क्या सरकार विभिन्न राज्यों की शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण के लिये एक अखिल भारतीय प्रणाली बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : बलवन्तराय मेहता ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है । उसने तो विभिन्न राज्यों को विकल्प का अधिकार दिया है । राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी इसे स्वीकार किया है कि प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार पंचायत राज को अपना सकते हैं ।

श्री रा० स० तिवारी : वैसे तो हिन्दुस्तान में जहां पर भी पंचायतें बनी हैं, वे नाम के लिये ही बनी हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन वे पंचायतें कहलाती हैं । लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन से प्रदेश हैं जहां पर पंचायतें बनाई गई हैं और केन्द्रीय सरकार की तरफ से कौन से सुझाव दिये गये हैं, उसके बारे में ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं समझता हूं कि यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है जिसके बारे में सभी राज्यों से सलाह लेनी पड़ेगी ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री का यह कहना है कि वे तो विभिन्न राज्यों को केवल परामर्श मात्र दे सकते हैं, कार्यवाही करना भी राज्य सरकारों का काम है । राज्यों को इस सम्बन्ध में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अतः प्रश्नकाल में इन सारी बातों का उत्तर कैसे दे सकते हैं ।

श्री पद्म देव : माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हिमाचल की पंचायतों को सर्वाधिकारपूर्ण बनाने का प्रस्ताव है । मैं जानना चाहता हूं कि उनको अधिकार देने के पहले अधिकारी बनाने के लिये क्या क्या योजनायें सोची जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं बता चुका हूं कि यह श्न अभी विचाराधीन है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली की जो पंचायतें हैं उनमें म्यूनिसिपल कारपोरेशन का और ब्लाक डेवेलपमेंट का अलग अलग हिस्सा रहता है, और बराबर इन दोनों विभागों में संघर्ष चलता रहता है और उससे पंचायतें सफर करती हैं।

†श्री ब० सू० मूर्ति : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इस बारे में एक समिति स्थापित कर दी गयी है । मेयर ने यह प्रार्थना की है कि इस बारे में सुझाव देने के ,लये कुछ समय और दिया जाये ।

†श्री बलराज मधोक : निगम और पंचायतों की शक्तियों के दुहरेपन को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । निगम का क्षेत्राधिकार ग्राम्य क्षेत्रों पर है और पंचायतों का भी वही क्षेत्राधिकार है । इस दुहरेपन को समाप्त करने के लिये क्या क्या का 'वाही की जा रही है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : दिल्ली में 'चायतों को अधिक शक्तियां देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । एक समिति स्थापित की गयी है जिसमें दिल्ली प्रशासन और दिल्ली निगम के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । इसकी बैठक हुई है और मेयर ने अपने सुझाव देने के लिये कुछ समय और मांगा है ।

इम्फाल-तमेंगलांग सड़क पर चट्टान का गिरना

+

*†१३९७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ले० अचौ सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ मार्च १९६१ की रात को इम्फाल-तमेंगलांग सड़क के किनारे श्रमिकों के शिविर पर चट्टान के गिरने से १० श्रमिक जिन्दा दब गये और तीन घायल हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

राज्य परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

इम्फाल-तमेंगलांग सड़क पर भूमि के गिरने की यह दुर्घटना ३ मार्च, १९६१ को ८ बजे प्रातः हुई थी जिसमें दस श्रमिक मारे गये और तीन घायल हो गये थे । यह घटना अत्यधिक तथा लगातार वर्षा के कारण हुई थी । उस घटना के समय श्रमिक अपनी झोंपड़ियों में थे जो कि उस पहाड़ी के पास लगी हुई थी । वे श्रमिक भारत सेवक समाज द्वारा नियुक्त किये गये थे ।

एक श्रमिक को, जो कि इस घटना से बच गया था, पहले ही इस घटना का आभास हो गया था और उसने दूसरों को भी सुझाव दिया था कि वे अपनी झोंपड़ियों से बाहर रहें, परन्तु उन्होंने उसकी चेतावनी की कुछ भी चिन्ता नहीं की थी ।

घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था और वहां उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है । भारत सेवक समाज ने मृतक श्रमिकों के परिवारों को कुछ अन्तरिम सहायता दी है और अब वे उन परिवारों को और अधिक अनुदान देने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : दस आदमियों का उस में देहान्त हो गया और तीन आदमी घायल हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि जो आदमी घायल हुए या मर गये, भारत सेवक समाज ने उन के लिये कोई कम्पेन्सेशन दिया या नहीं, अगर नहीं दिया तो सरकार क्या इन्तजाम कर रही है कि उन गरीबों को कुछ प्राप्त हो जाय ?

श्री राज बहादुर : भारत सेवक समाज की ओर से ५०० रु० की राशि उसी समय दी गई रिलीफ के तौर पर। इस के अतिरिक्त कुछ और कम्पेन्सेशन कहिये या ग्रान्ट कहिये, उस की बात चल रही है। अभी वह विचाराधीन है। जब निर्णय हो जायेगा तो बतलाया जायेगा।

†**श्री अमजद अली :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की घटनायें होती ही रहती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मानव का जीवन बचाने के लिये सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां क्यों नहीं की गयी थीं ?

†**श्री राज बहादुर :** इस प्रकार की दुर्घटनाये प्राकृतिक अथवा दैवी कारणों से होती हैं। वहां लगातार अत्यधिक वर्षा होती रही और उसी के परिणोमस्वरूप चट्टानें गिर गयी थीं। परन्तु जो एक व्यक्ति बच गया था उसका कहना है कि उसने सभा को सचेत कर दिया था और झोंपड़ियों से बाहर आ जाने के लिये कहा था। परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया और दुर्भाग्यवश यह घटना हो गयी थी। मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर से यह कहा था कि वह इस बारे में जाच करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह सड़क भारत सेवक समाज द्वारा बनायी जा रही थी। क्या समाज ने इन श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया हुआ था या कि वे मजदूर लोक निर्माण विभाग के थे ?

†**श्री राज बहादुर :** यह सड़क सामान्य अर्थों में भारत सेवक समाज द्वारा नहीं बनायी जा रही थी। वह सड़क तो मनीपुर प्रशासन द्वारा बनायी जा रही थी। भारत सेवक समाज ने तो अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सड़क के कुछ टुकड़े के निर्माण का कार्य अपने ऊपर लिया था।

नंगल उर्वरक कारखाना

†*१३९८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धारित समय पर विद्युत का संभरण न होने के कारण नंगल उर्वरक कारखाने में, उसके पूरे हो जाने के बाद, काम नहीं हो सक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को बिजली कब दी जा रही है ताकि यह काम शुरू कर सके ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** नंगल उर्वरक कारखाने को कब प्रारम्भ करना था और वास्तव में वह कब तक प्रारम्भ किया गया है ?

---

†भूल अंग्रेजी मे

†**श्री हाथी :** दिसम्बर, १९६० में वे १५०० से २००० किलोवाट बिजली चाहते थे और वह संभरित कर दी गयी थी ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस उर्वरक कारखाने को गंगूवाल या कोटला बिजली घर से कोई बिजली संभरित की गयी है ?

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं कि केबल एक ग्रिड है । अब उन्हें ७०,००० किलोवाट बिजली संभरित की जा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** बिजली पैदा करने का कार्यक्रम क्या है और इस कारखाने की मांग कितनी है ।

†**श्री हाथी :** इस कारखाने को १६०,००० किलोवाट बिजली की जरूरत होगी । भाखड़ा बिजली घर ७०,००० किलोवाट दे रहा है । तीसरा यूनिट जून, १९६१ में चालू होगा, चौथा अगस्त, १९६१ में और पांचवा १९६१ में प्रारम्भ होगा ।

†**श्री आचार :** क्या इस कारखाने में भारी पानी का उत्पादन करने के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री हाथी :** वह विषय इस मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि भाखड़ा नंगल में पैदा की जा रही बिजली इस कारखाने में इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी क्योंकि तीन में से केवल एक ही कॉम्प्रैसर काम कर रहा है ?

†**श्री हाथी :** जहां तक पंजाब विद्युत बोर्ड का सम्बन्ध है, उसे तो मांग की यही अनुसूची भेजी गयी है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** इस कारखाने को संभरण का मूल कार्यक्रम क्या निर्धारित किया गया था और कितनी क्षमता संभरण न होने के कारण काम में नहीं लायी गयी है ?

†**श्री हाथी :** कारखाने को अन्त में १६०,००० किलोवाट की जरूरत होगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** १९५९ में संभरण के सम्बन्ध में मूल कार्यक्रम क्या निर्धारित किया गया था ?

†**श्री हाथी :** वहां पर परीक्षण दिसम्बर, १९६० से प्रारम्भ किये गये थे । उस समय उस कारखाने के लिये १५०० से २००० किलोवाट की जरूरत थी । वह बिजली दे दी गयी थी । २६ जनवरी से २ फरवरी तक बिजली नहीं दी जा सकी । परन्तु उसके बाद पूरी बिजली दी जा रही है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** संभरण की कमी के कारण नंगल उर्वरक कारखाने को कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका ?

†**श्री हाथी :** जरा भी क्षमता व्यर्थ में नहीं गयी है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि कोटला और नंगल बिजली घरों ने इस कारखाने को बिजली संभरण करने में अब कमी कर दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : मुझे ज्ञात नहीं है ।

†श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री का यह कहना है कि बिजली के संभरण में कोई कमी नहीं की गयी है, तो फिर कारखाने में उत्पादन में कमी क्यों हो गयी है ?

†श्री हाथी : इसका उत्तर सम्बन्धित मंत्रालय से मांगा जाये ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : गत सप्ताह संसद सदस्यों का एक दल भाखड़ा नंगल गया था । हमें वहां यह बताया गया था कि भाखड़ा बिजली घर में ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है और इससे भी अधिक पैदा की जा सकती है । फैक्टरी में केवल एक ही काम्प्रैसर चल रहा था, दूसरा खराब है और तीसरा फ्रांस भेज दिया गया था । तो इस प्रकार से कारखाने में कम बिजली का उपयोग होगा । शेष बिजली का उपयोग कैसे किया जायेगा ? आगामी मास में अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल कैसे किया जायेगा ?

†श्री हाथी : बिजली की मांग बहुत अधिक है । यदि उस कारखाने को जरूरत नहीं होगी तो किसी और उपभोक्ता को संभरित कर दी जायेगी ।

विमान द्वारा तस्कर व्यापार

†*१३९९. श्री आसर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैवन सीज़ एयरलाइन के एक स्काईमास्टर विमान को २० मार्च, १९६१ को नागपुर से ५ मील दूर उतरने पर बाध्य किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुयें और घड़ियां पायी गयीं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सैवन सीज़ एयरलाइन का एक स्काईमास्टर विमान, जो कि लक्षेमबर्ग से टोकियो की एक अननुसूचित सेवा के रूप में जाता था, २० मार्च, १९६१ को भारतीय समय के अनुसार प्रात: ४—३० बजे बम्बई से बेंकाक के लिये चला । १$^1/_2$ घंटे के उपरान्त इंजन में खराबी का अनुभव किया गया और वह नीचे की ओर आने लगा । वह अन्त में सोनगांव विमान अड्डे से लगभग ३ मील की दूरी पर टूट कर भूमि पर आ गिरा । विमान को अत्यधिक क्षति पहुंची है और आठ चालकों में से दो को कुछ चोटें आयी थीं ।

उस जहाज में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त जवाहरात का एक पैकेट था जिसमें लगभग एक किलोग्राम के जवाहरात थे और घड़ियों के चार पैकेज थे जिनमें लगभग ६० किलोग्राम घड़ियां थीं ।

†श्री आसर : विवरण में बताया गया है कि विमान में जवाहरात का एक पैकेट और घड़ियों के चार पैकेट थे । क्या उन वस्तुओं का सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : ये वस्तुएं विमान में पायी गयी थीं। उनकी एक नियमित सूची भी थी। केन्द्रीय प्रशुल्क अधिकारियों ने उन वस्तुओं को अपनी सुरक्षा में रखा था और जब दूसरा जहाज आया तो इन वस्तुओं को उस विमान में भेज दिया गया। हमारा सम्बन्ध तो उस विमान दुर्घटना की जांच से है।

†**श्री साधन गुप्त** : यह विमान किसका था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह विमान, सैवन सीज़ एयरलान्स का था और वह टोकियो जा रहा था।

†**श्री साधन गुप्त** : वह कम्पनी किस देश से सम्बन्ध रखती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरा विचार है कि वह अमरीका में पंजीबद्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा उद्घाटन उड़ानें

†*१३८७. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल की उद्घाटन-उड़ानों के लिए आमंत्रित व्यक्तियों के चुनाव में सरकार का भी कोई हाथ होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किस आधार पर आमंत्रित किया जाता है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) यह तो कारपोरेशन का अपना निजी मामला है और इसका निर्णय करना उसी का काम है।

(ख) आमंत्रित व्यक्तियों का चुनाव एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा व्यापारिक दृष्टि से तथा जन सम्बन्धी और प्रचार की दृष्टि से किया जाता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१३९२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में बाह्य रोगी विभाग के निर्माण का ठेका एक गैर-सरकारी ठेकेदार को दिया गया है ;

(ख) ऐसे कार्य को गैर-सरकारी ठेकेदार को देने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा भारत सरकार के राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को न सौंपे जाने का यदि कोई विशेष कारण है, तो वह क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि समाचारपत्रों में इस कार्य के बारे में विज्ञापन नहीं दिये गये थे और चुनी हुई फर्मों से निजी तौर पर टेंडर मांगे गये थे ; और

(घ) क्या प्रत्येक फर्म द्वारा इस कार्य के लिए पेश प्रस्तावों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) इसका कोई विशेष कारण नहीं था। परन्तु १९५८ में यह निर्णय किया गया था कि संस्था का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाये।

(ग) यह सच नहीं है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुमानित लागत	३०,२४,८२२ रुपये
फर्म का नाम	जितने का टेंडर भेजा था
१. मेसर्स संतोष सिंह बी०ए०एण्ड ब्रादर्स	३०,४८,९२२.०० रुपये
२. मेसर्स तीर्थ राम	३१,८४,०८२.११ रुपये

इम्फाल-गोहाटी तार संचार

†*१३९३. श्री ले० अचो सिंह: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण दिसम्बर, १९६० से इम्फाल और गोहाटी के बीच तार-संचार की स्थल सर्किट लाइनें कट गई थीं और अव्यवस्थित हो गयी थीं और तार साधारण डाक द्वारा भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या बेतार के तार (वायरलैस) द्वारा तार भेजने की कोई व्यवस्था की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी तार बेतार के तार (वायरलैस) द्वारा भेजे जाते हैं अथवा केवल कुछ तार बेतार के तार द्वारा भेजे जाते हैं और शेष साधारण डाक द्वारा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां। भूमि के सर्केट कई बार बार खराब हो जाते हैं और उस समय तारें साधारण डाक के द्वारा भेजी जाती हैं ;

(ख) जी, हां।

(ग) वे सन्देश यथासंभव दूरी तक बेतार के द्वारा भेज दिये जाते हैं और शेष एयर मेल के द्वारा भेज दिये जाते हैं ;

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय

†*१३९६. श्री उस्मान अली खां : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे पर चलते फिरते पुस्तकालय खोलने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब चालू होगी ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दक्षिण रेलवे में पुस्तकालय खोलने के सम्बन्ध में अभी कुछ महीने और लगेंगे। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में आशा है कि जून, १९६१ में एक पुस्तकालय खोल दिया जायेगा।

(ग) दक्षिण रेलवे पर लगभग ७२,००० रुपये और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर ११,००० रुपये।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१४००. **श्री वें० प० नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में बाह्य रोगी विभाग (आउट पेशेन्ट्स डिपार्टमेंट) और अस्पताल की ३ करोड़ रु० से अधिक लागत की प्रस्तावित इमारतों के निर्माण कार्य के स्थापत्य सम्बन्धी अधीक्षण का कार्य दिल्ली के दो स्थापत्य फर्मों को दिया गया है और यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस कार्य के लिये अन्य प्रतियोगियों द्वारा क्या शर्तें पेश की गयी थीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) बाह्य रोगी विभाग खण्ड के निर्माण का कार्य, जिस पर ५७·६१ लाख रुपयों का खर्च आयेगा, संयुक्त रूप से दो फर्मों अर्थात् मेसर्स कानविण्डे एण्ड राय तथा मेसर्स सार्थ एण्ड कुठारी को दिया गया है। उन्हीं फर्मों को अस्पताल के निर्माण का कार्य भी सौंपने का विचार है। आशा है, इन इमारतों पर २६५.८० लाख रुपये की लागत होगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]

मलेरिया

†*१४०१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अभी हाल में की गयी इस खोज की ओर दिलाया गया है कि बन्दरों में मलेरिया के कृमि होते हैं और भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका इस कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि बन्दरों द्वारा मानव तक जो बीमारियां पहुंचती हैं, उनमें मलेरिया भी सम्मिलित है। उपलब्ध साक्ष्यों और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर यह समझा गया है कि भारत में मलेरिया के उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एस्कलेटर

†*१४०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्लेटफार्म से ऊपर के पुल पर आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए अभी हाल में एक एस्कलेटर (चलता-फिरता जीना) लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयी है ;

(ग) इसकी क्षमता कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या देश के अन्य मुख्य स्टेशनों पर भी इस प्रकार के एस्कलेटर लगाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। आशा है कि शीघ्र ही वह चालू कर दिया जायेगा ।

(ख) अनुमान है कि उसके निर्माण और स्थापना पर कुल लगभग एक लाख पचास हजार रुपयों की लागत आयेगी ।

(ग) आशा है कि उससे प्रति घण्टे में ६५०० यात्री आ जा सकेंगे ।

(घ) दिल्ली मेन स्टेशन पर होने वाले तजरबे को देख कर ही ऐसा विचार किया जायेगा ।

पंजाब में बिजली का उत्पादन

†*१४०३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव नदी के, जो भारतीय क्षेत्र में से होकर बहती है, जल से ३० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने का सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो हमारी विद्युत् और इस्पात के उत्पादन को महत्व देने की नीति को दृष्टि में रखते हुए इस सम्भावना को मूर्त्त रूप देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ताकि इस नदी के पानी से बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में वृहद् योजना तैयार की जा सके ।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

†२८९२. **श्री पांगरकर :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में राजस्थान में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन्स दिये और अभी कितने आवेदन पत्र (जिले वार) विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) (१) नये टेलीफोन कनेक्शन्स की सख्या इस प्रकार है :—

१९५९–६० में	१९६०–६१ (३१–१–६१ तक)
७९४	९०४

(२) अभी तक विचाराधीन आवेदन पत्रों (जिलेवार) की संख्या दिखाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अलग अलग टेलीफोन कनेक्शन देने पर खर्च निर्धारित करना सम्भव नहीं है। १९५९-६० में टेलीफोन के नामे डाले गये कुल खर्च ५·७ लाख पया और १९६०–६१ में (३१–१–६१) तक करीब ३·४ लाख रुपया था।

यात्री तथा माल यातायात से आय

†२८९३. **श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० १९६०–६१ के दौरान मध्य रेलवे में जलना स्टेशन पर माल और यात्री यातायात से कितनी आये हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १९५९–६० और १९६०–६१ में जलना स्टेशन पर माल और यात्री यातायात से आय इस प्रकार है :

वर्ष	माल रुपये	यात्री रुपये	कुल रुपये
१९५९–६०	९,४७,२४४	८,६२,७२७	१८,०९,९७१
१९६०–६१ (फरवरी तक)	७,७९,६२४	८,३३,६६१	१६,१३,२८५

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

†२८९४. **श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में उड़ीसा में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च किया गया; और

(ग) कनेक्शन्स के लिये अभी कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बारायन)** : (क) ४०७ (३१–१–१९६१ तक)

(ख) अलग अलग टेलीफोन कनेक्शन्स पर ठीक ठीक कुल खर्च का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। १९६०–६१ में ३१ जनवरी, १९६१ तक टेलीफोन कनेक्शन्स पर सीधे किया गया खर्च लगभग १,०५,००० रुपये था।

(ग) ५७७।

एस० एस० "इंडियन नैविगेटर" का डूब जाना

†२८९५. **श्री कालिका सिंह :**
श्री रामशंकर लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलिश चैनल में एस० एस० "इण्डियन नेविगेटर" डूब जाने और "इण्डियन सक्सेस" के १३ नाविकों की मृत्यु के बारे में जांच से क्या नतीजा निकला;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें नष्ट हुए माल का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) नौका और माल निकाले जाने के सम्बन्ध में क्या सम्भावना है ;

(घ) नौका का पुस्तक-मूल्य क्या है और उसका टन-भार कितना है; और

(ङ) कितने कर्मचारी हताहत हुए ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एस० एस० इण्डियन नेविगेटर के डूबने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि एक महत्वपूर्ण गवाह का जो अभी ब्रिटेन में अस्पताल में पड़ा है, आना बाकी है। अनुमान है कि वह शीघ्र ही पूरी हो जायगी। एस० एस० इण्डियन सक्सेस के १३ नाविकों की मृत्यु के बारे में जांच भी रुकी पड़ी है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण गवाह का जो अभी भारत से बाहर हैं, आना बाकी हैं।

(ख) यह तो जांच पूरी होने के बाद ही मालूम हो सकेगा।

(ग) यह विषय मूल्य चुकाने वालों के लिए है क्योंकि इंडिया स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ने यह नौका छोड़ दी है।

(घ) उसका सकल पंजीकृत टन भार ७६६० था और शुद्ध टन भार ४५४० था। उसका पुस्तक-मूल्य मालूम नहीं है लेकिन जहाज का बीमा मूल्य ४,७५,००० पौण्ड था।

(ङ) इण्डियन नेविगेटर का केवल एक जहाज लापता है और यह समझा जाता है कि उसकी जान चली गयी है। इण्डियन सक्सेज पर सैल्वेज पार्टी के १३ आदमी लापता हैं और उनके भी मर जाने का अनुमान है।

उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची

†२८९६. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय सेवा में (श्रेणीवार) भविष्य में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की कोई सूची रखता है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भारतीय रेलवे में और सचिवालय में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची में अब तक कितने उम्मीदवार हैं;

(ग) उनमें से अब तक कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उड़ीसा को दी गयी चीनी और गेहूं

†२८९७. श्री कुम्भार : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक उड़ीसा के प्रत्येक जिले को कितनी चीनी और गेहूं दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अवधि में अब तक वहां (जिलेवार) कितनी मात्रा की खपत हुई ; और

(ग) अभी कितना स्टाक बचा हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों वें कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार अप्रैल, १९६० से फरवरी, १९६१ तक स्थिति इस प्रकार रही:—

(मेट्रिक टनों में)

जिला	चीनी			गेहूं		
	प्राप्त	मात्रा खपत	शेष	प्राप्त	मात्रा खपत	शेष
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१ कटक.	९१७६	८४१४	७६२	६९३५	६९३५	यह मान लिया जाता
२ बालासोर .	३३४५	३२२४	१२१	२३००	२३००	है कि सेन्ट्रल स्टाक्स
३ बालंगीर	७७५	६९१	८४	८१७	८१७	से व्यापारियों को
४ ढेंकानल	८५३	८०५	४८	४३०	४३०	दियेगये गेहूं की मात्रा
५ गंजम. .	४२३३	४१७८	५५	१०४३	१०४३	का उपभोग हो चूका
६ कालाहांडी .	५५८	५०६	३२	२३०	२३०	है । फूटकर व्यापारियों
७ कीनझर	३३९	३१८	२१	१२३	१२३	तथा दूसरे व्यापारियों
८ कोरापुट	१५३८	१५०४	३४	—	—	के पास समय समय पर
९ मयूरभंज	१०७०	९९४	७६	१०३०	१०३०	कितना स्टाक था इस
१० फूलबनी	२५६	२०६	५०	१६	१६	बारे में जानकारी
११ पुरी	२०४९	१९२७	१२२	३५६९	३५६९	उपलब्ध नहीं है ।
१२ सम्बलपुर	३७९३	३४२५	३६८	५०४६	५०४६	
१३ सुन्दरगढ़	१९९७	१८३४	१६३	३२३४	३२३४	

उड़ीसा में स्त्रियों के लिये चिकित्सा प्रशिक्षण

†२८९८. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अभी फिलहाल कितनी स्त्रियों को चिकित्सा प्रशिक्षण मिल रहा है और कितनी स्त्रियां नौकरी कर रही हैं;

(ख) उस राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कितनी स्त्रियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और कितनी नौकरी में हैं; और

(ग) प्रशिक्षण और नौकरी में भरती के लिये अनूसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाओं को क्या क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलों में भोजन व्यवस्था ठेकेदार

†२८९९. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय रेलों में ३१ मार्च, १९६१ को ऐसे कितने ठेकेदार थे जो चाय, पान, फल, किताबों की दूकानें तथा उपहारगृह चला रहे थे; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने ठेकेदार थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

खाये जा सकने वाले कुकुरमुत्ते

†२९०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाये जा सकने वाले कुकुरमुत्ते भारत में किस हद तक मिलते हैं; और

(ख) कुकुरमुत्तों का खाद्यान्न मूल्य दूसरी सब्जियों के मुकाबले में कम है या ज्यादा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) भारत में खाद्य कुकुरमुत्तों की पैदावार नहीं होती । वे गर्मी और बरसात में काफी मात्रा में पैदा होते हैं ।

(ख) कुकुरमुत्तों का खाद्यान्न मूल्य दूसरी सब्जियों के मुकाबले में अधिक है । उसमें ९२ प्रतिशत पानी, ४ प्रतिशत प्रोटीन, ·३ प्रतिशत चर्बी, ३.५ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोरस और पोटास होता है । कुकुरमुत्तों से थोड़ी मात्रा में विटामिन ए मिलता है लेकिन वह विटामिन बी के लिये भी एक अच्छा संसाधन है ।

वन महोत्सव

†२९०२. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'वन महोत्सव' सम्बन्धी योजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है और उन योजनाओं पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है; और

(ख) अनुमान के अनुसार जीवित वृक्षों की अभी फिलहाल कितनी संख्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). वन महोत्सव का उद्घाटन १९५० में हुआ था । १९५० से १९५८ तक लगाये गये पेड़ों और जीवित पेड़ों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	लगाये गये वृक्ष	जीवित वृक्ष
१९५० . . .	४,४३,१५,०००	१,७१,१८,०००
१९५१ . . .	३,५८,२१,०००	१,७६,९६,०००
१९५२ . . .	४,२२,४३,०००	२,२५,५२,०००
१९५३ . . .	२,३८,५२,०००	९५,६६,०००
१९५४ . . .	३,१७,३९,०००	१,५७,४७,०००
१९५५ . . .	३,९७,४०,०००	२,१०,८७,०००
१९५६ . . .	३,६६,९२,८८४	१,९४,८८,१९७
१९५७ . . .	४,३६,०२,९०७	२,११,८६,६४३
१९५८ . . .	३,६७,१०,७४२	१,९४,९६,६७८

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ : १७-८-१९६० को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया गया था कि आवश्यक जानकारी सभा पटल पर रख दी जायगी । वह इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत की जायगी ।

१९६० : जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । केन्दीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कोई खर्च नहीं करती ।

व्यापार के लिये काम में लायी गयी लकड़ी

†२९०३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार के लिए काम में लायी जाने वाली लकड़ी की विभिन्न किस्मों और सागवान की लकड़ी (टेक्टोनिया ग्रान्डिस) की किस्मों का तुलनात्मक मूल्य क्या है ;

(ख) नॉन-कन्वेंशनल लकड़ी किस अनुपात में सरकारी इमारतों में काम में लाये जाने का अनुमान है ; और

(ग) क्या भारत सरकार की इमारतों में सागवान की जगह नॉन-कन्वेंशनल लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) साधारण रूप से उपयोगी लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग ४ रुपये से ९ रुपये घन फुट तक है । सागवान की कीमत उसके आकार और किस्म के अनुसार लगभग १२ रुपये से लेकर ५० रुपये प्रति घन फुट के बीच में होता है ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां । भारत सरकार ने लकड़ी के औचित्यपूर्ण नियतन के लिए एक केन्दीय बोर्ड स्थापित किया है । उसका काम यह है कि केन्दीय सरकार के उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लकड़ी की मांग की छानबीन की जाये ताकि जहां संभव हो, ऊंची किस्म की लकड़ी की जगह दूसरी लकड़ी के उपयोग का सुझाव दिया जा सके और सीजनिंग किल्नस और ट्रीटमेंट प्लान्ट्स स्थापित किये जा सके और ऊंची किस्म की लकड़ी की जगह दुय्यम लकड़ी इस्तेमाल की जा सके । भारत सरकार राज्य सरकारों को समय समय पर इस बात पर आग्रह करती रही कि दुय्यम किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल करने की अत्यंत तीव्र आवश्यकता है । इसके अलावा वन अनुसंधान शाला स्थानापन्न लकड़ी के बारे में अनुसन्धान कर ही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

†२९०४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन, कायान्गुलम में नारियल अनुसन्धान केन्द्र जैसे अनुसन्धान केन्द्रों के तथा राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था जैसी संस्थाओं के कार्य की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सभी अनुसन्धान संस्थाओं या केन्दों के कार्य की समीक्षा के लिए अभी फिलहाल कोई विशेषज्ञ समिति आवश्यक नहीं समझी जाती । जहां तक केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र, कायान्गुलम, जो भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के अधीन है, का संबंध है, इस केन्द्र की समीक्षा अब तक पांच विशेषज्ञ समितियों ने की है । राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्था के कार्य की समीक्षा संभवत: एक तदर्थ विशेषज्ञ समिति द्वारा की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल और सुपारी वृक्षों के रोग

†२९०५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नारियल और सुपारी वृक्षों के रोगों के अनुसन्धान में रेडियो-ऐक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ख) क्या इन संस्थाओं से संबद्ध किसी वैज्ञानिक ने अनुसंधान में आइसोटोप के प्रयोग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र कायान्गुलम, से एक प्लान्ट फीजियोलाजिस्ट को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया है ।

केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, कृष्णपुरम्

†२९०६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कृष्णपुरम में केन्दीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र पर पिछले तीन वर्षों में, १ जनवरी, १९६१ तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ख) (१) प्रयोगशालाओं के लिए साज सामान (२) वेतन तथा भत्ते और (३) पुस्तकालय पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी इकटठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

मुर्गियों की जल्दी बढ़ने वाली किस्में

†२९०७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेबल पर खायी जाने वाली मुर्गियों की जल्दी बढ़ने वाली किस्मों का विकास करने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यक्रम है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य है ; और

(ख) क्या १९५९-६० या १९६०-६१ में अमरीका से आयात की गयी कुछ विशिष्ट नस्लों पर किये गये प्रयोगों का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं । खायी जाने वाली मुर्गियों की जल्दी बढ़ने वाली किस्मों के विकास के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं है और इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

खाने के लिए मुर्गियों के उत्पादन के संबंध में, टेक्नीकल कोआपरेशन मिशन के तकनीकी मार्ग दर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलायी गयी योजना के अधीन, एक दिन की

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरानी मुर्गियों को भिन्न भिन्न राशन खिलाकर प्रयोग किये गये हैं। चिड़ियों के भिन्न भिन्न समूहों पर अब तक किये गये तीन परीक्षणों से निम्नलिखित परिणाम निकले हैं :—

(१) ६४७ रोडे आइलैंड रेड, न्यू हेम्पशायर, व्हाइट कार्निश, और क्रास-ब्रेड चिम्स पर पहले परीक्षण में, १२ हफ्तों में ३.१ पौंड प्रति मुर्गी औसत वजन प्राप्त हुआ।

(२) उपर्युक्त नस्लों की १०९३ मुर्गियों से किये गये दूसरे परीक्षण से १४ हफ्तों में लगभग ३ पौंड औसत वजन प्राप्त हुआ।

(३) २०५२ व्हाइट रॉक मुर्गियों से किये गये तीसरे परीक्षण से लगभग १० हफ्तों में ३.३१ पौंड औसत वजन प्राप्त हुआ।

पहले दो परीक्षणों में, अमरीका से टी० सी० एम० प्रोग्राम के अधीन पहले आयात की गयी मुर्गियों और अंडों का उपयोग किया गया था जब कि तीसरे परीक्षण में, इजराइल से आयात की गयी रॉक मुर्गियों पर प्रयोग किये गये थे।

सामान्य खाद्य के अतिरिक्त, मुर्गियों को खिलाये गये राशन में पेनिसिलीन माइसेलियम, ब्लड मील, मिनरल मिक्स्चर, विटामीन सप्लीमेंट, शार्क लीवर तेल और कोस्सीडियोस्टेट खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुएं शामिल थीं।

सुपारी अनुसंधान केन्द्र, पलोडे

†२९०८. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन पलोडें में सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या था ;

(ख) क्या सुपारी वृक्षों के रोगों का मुकाबला करने के लिए राज्यों के पुनर्गठन से पहले केरल सरकार या त्रावनकोर-कोचीन सरकार से सहायता की कोई मांग सरकार के पास आयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) यह केन्द्र भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के अधीन है, न कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन। वह सुपारी वृक्ष के बारे में प्रादेशिक अनुसंधान की समस्याएं, जिनमें रोग भी शामिल हैं, हल करने के लिए स्थापित किया गया था।

(ख) जी, हां। त्रावनकोर-कोचीन की भूतपूर्व सरकार से, जिसने पीली पत्ती रोग के बारे में जांच पड़ताल की एक योजना पेश की थी।

(ग) पलोडे स्टेशन की स्थापना का विचार ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि दूसरी योजना जरूरी नहीं थी। राज्य सरकार इस राय से सहमत थी।

सुपारी की प्रति एकड़ पैदावार

†२९०९. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सुपारी की औसतन प्रति एकड़ पैदावार कितनी है ; और

(ख) भारत में औसतन प्रति एकड़ पैदावार सुपारी पैदा करने वाले दूसरे देशों की तुलना में कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :

(क) राज्य	औसत प्रति एकड़ पैदावार
१. केरल	३.२ क्विन्टल
२. मैसुर	३.५ ,,
३. आसाम	३.८ ,,
४. महाराष्ट्र	५.६ ,,
५. पश्चिम बंगाल	३.८ ,,
६. मद्रास	३.१ ,,
७. आंध्र प्रदेश	२.४ ,,

ये आंकड़े वर्ष १९५९–६० के लिए हैं।

(ख) देश	औसत प्रति एकड़ पैदावार
१. भारत	३.४ क्विन्टल
२. पाकिस्तान	३.८ ,,
३. बर्मा	५.४ ,,
४. मलाया	४.५ ,,
५. श्री लंका	१०.२ ,,

दूध की पैदावार

†२९१०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के पास उन राज्यों को मदद करने की ऐसी कोई विशिष्ट योजना है जहां गाय, भैंस और बकरियों से दूध की पैदावार कम है और यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री० मो० वें० कृष्णप्पा)** : गाय-भैंस की उन्नति और विकास राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं पेश की हैं :—

(१) अखिल भारतीय मुख्य ग्राम योजना जिसका मुख्य उद्देश्य दूध की पैदावार तथा चुने हुए विकास खंडों में गाय भैंस की क्षमता में सर्वांगीण वृद्धि करना है।

(२) गौशाला विकास योजना जिसका उद्देश्य चुनी हुई गौशालाओं को पशुपालन तथा दूध उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित करना है।

(३) इधर उधर घूमने वाले पशुओं के पुनर्वास तथा उनके संरक्षण और उन्नति की योजना।

(४) इधर उधर घूमने वाले और जंगली पशुओं को पकड़ने की योजना के अधीन, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाना नस्ल के उत्पादक पशु दूसरे राज्यों में वास्तविक पशुपालकों को दिये जा रहे हैं। इससे किसी हद तक इन क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ने का अनुमान है।

(५) क्रास-ब्रीडिंग योजना जिसके अधीन जेरसी सांडों को स्थानीय पशुओं की श्रेणी के लिए प्रयोगात्मक आधार पर काम में लाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) जेरसी, लाल सिन्धी, थारपारकार और सहीवाल और मुर्रा भैंसों की नस्ल के स्वीकृत सांड विभिन्न राज्यों को वीर्य की सप्लाई के लिए केन्द्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, बंगलौर में रखे जाते हैं ।

(७) इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि क्या 'नॉन-डेस्क्रिप्ट' क्षेत्रों में 'क्रास-ब्रीडिंग' या 'सेलेक्टिव ब्रीडिंग' या 'ग्रेडिंग' के जरिये दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, एक अनुसंधान योजना बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और मद्रास में चालू की गयी है ।

(८) अभी हाल में दुधारू बकरियों की ब्रीडिंग के लिए केरल में चालू करने के लिए एक योजना मंजूर की गयी है । इस योजना के अधीन, अधिक दूध के उत्पादन के लिए आयातित सानेन नस्ल से स्थानीय बकरियों का संभोग कराने का विचार है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश में बकरी विकास योजना चालू करने की भी एक योजना है ।

केरल में दूध का प्रति व्यक्ति उपयोग

†२९११. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्यों में केरल में दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग सब से कम है;

(ख) इस बारे में केरल की हालत को सुधारने के लिये क्या विशेष सहायता या ध्यान दिया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में केरल में गाय और भैंस का औसत दूध उत्पादन सब से कम है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) पशु गणना १९५६ के अनुसार, आसाम में दूध और दूध उत्पादों का प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे कम है (१.२९ औंस) और उस के बाद केरल का नम्बर आता है (१.४६ औंस) ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान आज के उनके अतारांकित प्रश्न संख्या २९१० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जहां तक प्रति गाय के औसत वार्षिक दूध उत्पादन का सम्बन्ध है, केरल, आसाम, बम्बई, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा से ऊपर है । प्रति भैंस के औसत वार्षिक दूध उत्पादन के मामले में भी केरल आसाम, मद्रास, उड़ीसा, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर से ऊपर है । पूरा ब्योरा "एग्री-कल्चरल सिच्योशेन इन इंडिया" (मार्च और अक्तूबर १९५९ के संस्करणों) में दिया गया है जो 'इकनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट' द्वारा प्रकाशित किया गया है ।

केरल में कम दूध उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि वहां मान्य नस्लों की गाय भैंस नहीं हैं ।

मेंढक का मांस

†२९१२. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किस्मों के मेंढकों का मांस विदेश भेजा जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन मेंढकों के स्थान क्या हैं;

(ग) उनकी कितनी वार्षिक उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) १९६०-६१ में मेंढकों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) केवल मेंढक की टांगें विधायित करके निर्यात की जाती हैं । प्राय: निम्न किस्मों के मेंढकों का प्रयोग किया जाता है :

(१) राना डिगरीना और राना हैक्साडैक्टीला

(ख) इन मेंढकों के रहने के स्थान तालाब, जोहड़, धान के खेत और छोटे नाले हैं ।

(ग) जमाये गये मेंढक मुख्यतया केरल और मैसूर में 'प्रोसेज़' किये जाते हैं । मैसूर में वार्षिक उत्पादन का ३५,००० पौण्ड अनुमान है । केरल के सम्बन्ध में आधुनिकतम वार्षिक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि १९५८-५९ में उत्पादन लगभग १,४३,००० पौण्ड था ।

(घ) चूंकि मेंढक का व्यापार वर्गीकरण में पृथक उल्लेख नहीं किया जाता ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कि इस से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ।

मेंढकों का पालन

†२९१३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेंढक के मांस के निर्यात को बढ़ाने और मेंढकों को पालने में तुलनात्मक सरलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मेंढक पालन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : जी, नहीं । तथापि, यदि मेंढक पालन के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव आते हैं, जिनका इस विषय से मुख्य रूप से सम्बन्ध है, तो भारत सरकार उन पर विचार करने को तैयार होगी ।

मढक के मांस का मूल्य

†२९१४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को प्रसिद्ध विदेशी बाज़ारों में भारत से निर्यात किये गये मेंढक के मांस के मूल्य मालूम हैं और यदि हां, तो प्रान, श्रिम्पों और लोवस्टरों के मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कैसा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : सूचना उपलब्ध नहीं है ।

केकड़े का मांस

†२९१५. **श्री वें प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस समय कोई केकड़े का मांस विदेश भेज रहा है; और

(ख) यदि इस की कोई गुंजाइश है तो कितनी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). जी, नहीं । क्योंकि इस समय निर्यात के लिये 'प्रोसेसिंग' करने के लिये बड़ी मात्रा में केकड़े नहीं मिलते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि आदि संबंधी शिक्षा

†२९१६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सामने कोई योजना है जिस के द्वारा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी व्यवहारिक कृषि, कुक्कुट पालन या पशु पालन सम्बन्ध शिक्षा ले सकते; और

(ख) क्या कालेजों में इन विषयों के पाठ्यक्रम और शिक्षा जारी करने की गुंजाइश पर विचार किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). ऐसी कोई सामान्य योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जो कृषि और सम्बद्ध पाठ्यक्रमों का अध्ययन नहीं करते उन्हें व्यवहारिक कृषि, कुक्कुट पालन या पशुपालन की शिक्षा दी जाये । विश्वविद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम उन संस्थाओं का मामला है किन्तु उन के लिये ऐसी शिक्षा निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, जिन्हें कृषि सम्बन्धी विषयों के अध्ययन में रुचि नहीं है ।

मत्स्यपालन का अनुसंधान कार्यक्रम

†२९१८. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरणाकुलम् के अनुसंधान केन्द्र में मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी के मामले में कितने अनुसंधान कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम में कितनी प्रगति की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अनुसंधान कार्यक्रमों का सम्बन्ध मछली 'स्पायलेज' समस्याओं, मछली और मछली उत्पादों का 'प्रोसेसिंग' करने के विविध पहलुओं, विभिन्न मत्स्यपालन वस्तुओं के लिये गुण प्रकार के स्टैंडर्ड बनाने, मछली को 'फ्रीज़' करने, 'चिल' करने आदि से सम्बन्धित समस्याओं, मछली 'क्योर' करने के तरीकों में सुधार तथा मछली का तेल और खाद बनाने से है । मछली पकड़ने के उपकरणों, फिशिंग गियर को फेब्रीकेट को बनाने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाली सामग्री; इस सामान की तुलनात्मक कार्यकुशलता और डिजाइन तथा इसके परिरक्षण के तरीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है । नाव की लकड़ी सम्बन्धी जांच भी की जाती है । विभिन्न आकारों की मछली पकड़ने की नावों सम्बन्धी जांच और उनके विशिष्ट विवरणों को तैयार करने के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस केन्द्र में किये जाते हैं ।

(ख) केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान केन्द्र वर्ष १९५७ में 'क्रेफ्ट एण्ड गियर विंग' के साथ शुरू में स्थापित किया गया था । वर्ष १९५८ में इसमें 'प्रोसेसिंग विंग' जोड़ दिया गया था । केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र की विभिन्न अनुसन्धान योजनाओं में जो प्रगति की गई है वह नीचे दी जाती है :

प्रोसेसिंग विंग

(१) 'प्रान' मछलियों के 'स्पायलेज' सम्बन्धी अध्ययन से पता चला है कि इस प्रयोग का समुद्री 'प्रान' मछली के लिये उपयोग किया जा सकता है, किन्तु यह 'बेकवाटर' में पाई जाने वाली 'प्रान' मछलियों के लिये लाभदायक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ताजा 'प्रान' सम्बन्धी जांच से पता चला है कि बाद में पकड़ी गई मछलियां काफी ताजा हालत में थीं, जब कि पहले पकड़ी गई मछलियां 'प्रोपेसिंग' के लिये अनुपयुक्त थीं और इसलिये 'प्रान' मछलियों को जहाज पर ही ठंडे करने की जरूरत है ।

(३) 'प्रान' मछलियों के खराब होने, संग्रह करने आदि सम्बन्धी अध्ययन जारी रखा गया ।

(४) 'फ्रीज' करने वाली फैक्टरियों में रखी जाने वाली मछलियों के गुण प्रकार सम्बन्धी जांच का तैयार उत्पादों में उच्च 'बैक्टीरियल लोड' के लिये उत्तरदायी तत्वों को ढूंढने के लिये जांच का विचार विस्तार गया ।

(५) विभिन्न उत्पादों के गुण प्रकार का स्टैंडर्ड बनाने का काम किया गया था । फैक्टरियों से जो नमूने आये उनका निश्शुल्क विश्लेषण किया गया था । डिब्बे में बन्द 'प्रान' डिब्बे में बन्द 'सारडीन', फ्रोज़न 'प्रान' और 'लोबस्टर', 'प्रान शैल पाउडर', खुश्क 'प्रान पल्प', 'क्योर्ड' मछली और 'क्योर' करने के नमक का प रीक्षण किया गया था ।

(६) जांच से पता चला है कि कम तापमान में 'क्योर' की गई मछली वातावरण के दबाव में 'क्योर' की गई मछली से बेहतर थी ।

(७) मछली पकड़ने के उद्योग को जो विभिन्न समस्यायें दी गई थीं उनके बारे में प्रविधिक मंत्रणा दी गई थी ।

क्रैप्ट ऐंड गियर विंग

(क) विभिन्न आकारों के नावों के नये डिज़ाइन निकाले गये और उनके विशिष्ट विवरण तैयार किये गये थे ।

(ख) फाइबरग्लास राल की पोलिश वाला मैरीन प्लाइवुड छोटी नावें बनाने के लिये उपयुक्त पाया गया था ।

(ग) मैरीन इंजनों के चुनाव में उनकी मछली पकड़ने की नावों के लिये नाव मालिकों को प्रविधिक मंत्रणा दी गई थी ।

(घ) मशीन से बने विभिन्न नमूनों और हाथ से बने टर्बाइनों का विश्लेषण किया गया था ।

(ङ) भारतीय सन-हैम्प और इटली के सन-हैम्प का अध्ययन किया गया था ।

(च) प्रचलित उपकरण आदि (गियर मेटीरियल) पर विभिन्न 'फ़िशनेट प्रीज़र्वेटिव्स' के प्रभावों का अध्ययन जारी रखा गया था ।

(छ) बहुत सी नावों का डिज़ाइन तैयार किया गया और उनका निर्माण किया गया ।

गहरे समुद्र पर मछली पकड़ना

†२६१९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना मे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये इस समय किस कार्यक्रम का विचार किया गया है ; और

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की इस बढ़ाई कार्यवाही के कारण मछली उत्पादन की लक्षित वृद्धि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तीसरी योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये बनाये गये कार्यक्रमों का सम्बन्ध मछली पकड़ने की नावों का मशीनीकरण, प्रयोगात्मक मत्स्यग्रहण 'लैंडिंग' और 'बर्थिंग' सुविधाओं में उन्नति तथा मछली पकड़ने के उपक्रमों को वित्तीय सहायता से है ।

(ख) इन कार्यक्रमों के कारण मछली उत्पादन में वृद्धि का अनुमान तीसरी योजना अवधि के अन्त तक लगभग २ लाख टन लगाया गया है ।

वैज बैंक और पैडरो बैंक* पर वाणिज्यिक स्तर पर मत्स्य ग्रहण

†२९२०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वैंज बैंक और पैडरो बैंक पर वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने के लिये आवश्यक सांख्यिकी एकत्रित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सांख्यिकी का उल्लेख क्या है जो विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित हुई है ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) भारत सरकार के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के केन्द्र टूटीकोरिन और कोचीन वैंज और पैडरो तटों में मछली पकड़ने की संभाव्यता के बारे में सांख्यिकी एकत्रित कर रहे हैं ।

(ख) सांख्यिकी का अध्ययन किया जा रहा है और उनके प्रकाशित किये जाने में कुछ समय लगेगा ।

वैज बैंक पर मछली पालन की संभाव्यता

†२९२१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वैंज बैंक (तट) की मत्स्यपालन संभाव्यता की खोज के लिये कोई कार्यक्रम हाल में किया है या विचार में रखा है ;

(ख) यदि तीसरी योजना के अन्त तक वैंज बैंक (तट) में कुछ उत्पादन की क्षमता है तो कितने अनुमानित उत्पादन की ; और

(ग) वैंज बैंक (तट) में मछली की कौन कौन सी प्रसिद्ध वाणिज्यिक किस्में हैं और प्रत्येक का मौसम क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां । वैंज बैंक (तट) की मछली पकड़ने की संभाव्यता सम्बन्धी सांख्यिकी समुद्र तट मत्स्यग्रहण केन्द्र, कोचीन और टूटीकोरिन द्वारा एकत्रित की जाती है ।

(ख) नये स्थानों पर प्रयोगात्मक मत्स्यग्रहण के आधार पर तीसरी योजना के अन्त तक के उत्पादन का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) इस समय उपलब्ध सांख्यिकी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वैंज बैंक (तट) में विशिष्ट किस्मों की मछलियां किन-किन ऋतुओं में पाई जाती हैं । 'पर्च' और 'राक कोड' प्रसिद्ध किस्में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Wadge Bank and Pedro Bank.

तेलवाली सारडीन मछलियां

†२९२२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उन स्रोतों का ज्ञान है जहां से मलावार तट में मौसमों में बड़ी मात्रा में 'आयल सारडीन' और 'मैकरेल' मछलियां मिलती हैं ;

(ख) क्या प्रारम्भ से आखिर तक 'सारडीन' और 'मैकरेल' मछलियों के आने जाने का पता लगाने के लिये कोई काम किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) 'सारडीन' और 'मैकरेल्स' मछलियां जो अरब सागर में, विशेष कर केरल और मैसूर के तटों पर, बड़ी संख्या में होती हैं, सितम्बर-फरवरी में बड़े झुंडों में तट के पास आ जाती हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में अध्ययन केन्द्रीय समुद्र तट मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था में प्रगति पर है ।

(ग) आदतों, आने जाने, पालने, बढ़ने आदि के पहलुओं का पता लगाया गया है, परन्तु काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

मत्स्यपालन विभाग के लिये भारतीय नौसेना की सहायता

†२९२३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्रों के वाणिज्यिक प्रयोग के लिये अपेक्षित सांख्यिकी एकत्रित करने में भारतीय नौसेना से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग को क्या सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या भारतीय नौसेना एवं मत्स्यपालन विभाग के बीच उपरोक्त कार्य के लिये सहकारिता के सम्बन्ध में समय समय पर चर्चायें की जाती हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नौसेना के जहाजों द्वारा अपना काम करते हुए प्राप्त किय गये समुद्रीय जल के नमूने और तापमान के आंकड़े केन्द्रीय समुद्र त ीय मत्स्यपालन संस्था, मंडापम कैम्प को भेजे जाते हैं ।

(ख) जी हां, प्रतिरक्षा और कृषि (जिसमें मत्स्यपालन विभाग शामिल है) मंत्रालयों के बीच जब आवश्यकता होती है ऐसी चर्चायें की जाती हैं ।

'वैंज बैंक' पर मछलियां पकड़ने के अधिकार

†२९२४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैंज बैंक (तट) पर मछलियां पकड़ने के लिये भारत, लंका और पाकिस्तान को क्या अधिकार हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तीन देशों के बीच इस बारे में कोई करार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ढोरों में क्षय रोग

†२६२५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढोरों में क्षय रोग का क्या अनुमान है ;

(ख) १६५१ की तुलना में इस समय क्षय रोग कितने प्रतिशत है ; और

(ग) ढोरों में विशेषकर दुधारू ढोरों में क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए यदि कोई योजना है तो वह क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). देश में ढोरों के क्षय रोग के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसलिये इसकी कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) देश में ढोरों और भैंसों के संगठित रेवड़ों में क्षय रोग के नियंत्रण की एक योजना विचाराधीन है ।

ढोरों की खुराक में 'कंसेन्ट्रेट्स' का उपयोग

†२६२६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढोरों को दी जाने वाली खुराक में 'कंसेंट्रेट्स' के उपयोग को लोकप्रिय करने पर कोई योजना बनाई है ; और

(ख) अब कौन कौन से कंसेंट्रेट्स की सिफारिश की गई है और प्रत्येक 'कंसेंट्रेट' का अनुमानित उत्पादन कितना है तथा इसका खुदरा विक्रय मूल्य क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) खाद्य तथा कृषि (कृषि विभाग) तीसरी योजना में चार ढोर खुराक फैक्टरियां स्थापित करने का विचार कर रहा है जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में स्थापित होंगी । इन फैक्टरियों में पशुओं को खिलाने के लिये संतुलित 'कंसेंट्रेट्स' तैयार किये जायेंगे । विभिन्न डेरी योजनाओं के दुग्ध शेडों में ग्राम सहकारी संस्थाओं को 'कंसेंट्रेट्स' देने का प्रश्न तीसरी योजना में शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त मूल ग्राम योजना के अन्तर्गत संतुलित खाना खिलाने की योजना को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

(ख) पशुओं को खिलाने के लिये मिलों और तेल पेरने के उद्योग के उप-उत्पाद और अन्य औद्योगिक उप-उत्पाद, जिनका पशुओं को खिलाने के लिये उपयोग किया जा सकता है, की सामान्य-तथा सिफारिश की जाती है । देश के विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले 'कंसेंट्रेट्स' उनकी स्थानीय उपलब्धि और मूल्यों पर निर्भर हैं । ढोरों समेत सब पशुओं के खाने के तौर पर उपयोग के लिये 'कंसेंट्रेट्स' की उपलब्धि जिस का अनुमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त समिति ने १६५०

---

†मूल अंग्रेजी में

में किया है, इस प्रकार है :

कन्सन्ट्रेट	मात्रा (लाख टन)
खली	२८.८
मकई	१७.०
जौ	२३.४
चना	३५.९
बिनौला	१२.८
भूसी	१९.७
दाल की चुनियां	१२.४

'कन्सेंट्रेट्स' का खुदरा मूल्य उत्पादन, स्थानीय संभरण और मांग के विभिन्न तत्वों पर निर्भर है और सामान्यतया विभिन्न बाजारों में बहुत अधिक अन्तर होता है। कुछ 'कन्सेंट्रेट्स का थोक मूल्य जो २४-३-१९६१ को था वह नीचे दिया जाता है :

कन्सेंट्रेट्स	प्रति मन मूल्य २४-३-१९६१ को	केन्द्र
	रुपये	
मूंगफली की खली	१२.६२	बम्बई
नारियल की खली	१४.१२	कोझीकोड
तोरिया की खली	१७.१७	बम्बई
बिनौलों की खली (अनडीकोर्टिकेटिड)	८.७७	बम्बई
सरसों की खली	११.५७	मानपुर
अलसी की खली	११.४६	बम्बई
बिनौला	१४.७४	बम्बई
चना	१६.५०	पटना
जौ	११.५०	हापुड़
गेहूं का भूसा	८.५५	बम्बई
चावल का भूसा	३.०७	मद्रास

खाद्य अपमिश्रण

†२९२७. **श्री वें० प० नायर०:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री खाद्य विभाग के १९६०-६१ के प्रतिवेदन की कंडिका १९.४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपमिश्रण के बारे में खाद्यके २५२० नमूनों के परीक्षण से क्या मुख्य बातों का पता चला है ; और

(ख) जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया था उनमें कितने शुद्धता के मामले में स्टैंडर्ड से नीचे थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) और (ख). खाद्य विभाग की प्रयोगशाला का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूनों के विश्लेषण के सम्बन्ध में नहीं हैं, जो कि लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। खाद्य विभाग की प्रयोगशाला केवल उन नमूनों का विश्लेषण करती है जो खाद्य विभाग के अपने काम अर्थात् प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये विक्रयों के सम्बन्ध में, विभाग के स्टाक के परीक्षण आदि के दौरान प्राप्त होते हैं।

आयात किये गये खाद्यान्न

†२९२८. **श्री बें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में सरकार द्वारा आयात किये गये खाद्यान्नों में से कितना अमरीकी फ्लैग शिपों के मुकाबले में भारतीय फ्लैग शिपों में लाया गया था; और

(ख) दोनों शिपों के जहाजों के भाड़े में यदि कोई अन्तर था तो कितना ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९६०-६१ में सरकार द्वारा अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्न की मात्रा जो अमरीकी फ्लैग शिपों के मुकाबले में भारतीय फ्लैग शिपों में लाई गई थी वह नीचे दी जाती है :—

अनुमानतः हजार मीट्रिक टनों में आंकड़े :

भारतीय फ्लैग शिप	३५
अमरीकी फ्लैग शिप . . .	२३५८

(ख) साधारणतया अपनी फ्लैग जहाज का भाड़ा और अमरीकी या भारतीय फ्लैग जहाजों के किराये से दुगना होता है परन्तु वह अधिक किराये की राशि अमरीकी सरकार द्वारा अपनी निजी निधियों से सहायता के रूप में दी जाती है।

खाद्य सलाहकार तालिका

†२९२९. **श्री बें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में स्थापित की गई वैज्ञानिक खाद्य सलाहकार तालिका से ढोरों की खुराक के उत्तम उपयोग के बारे में जो अन्य कामों के लिये बेकार होती है, मन्त्रणा देने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० बें० कृष्णप्पा)**: (क) माननीय सदस्य का ध्यान माननीय सदस्य के २७-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८३ के भाग (ख) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। उसमें जो स्थिति बताई गई है उसकी दृष्टि से गोमांस के उत्पादन या उपयोग सम्बन्धी तालिका की मन्त्रणा प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति का निर्यात

†२९३०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** १९६०-६१ के लिये खाद्य विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की कंडिका ३३.१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के निर्यात को तेज करने की प्रोत्साहन योजना में भारत सरकार ने १९६१ में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). वनस्पति के निर्यात को बढ़ाने की प्रोत्साहन योजना की अनिवार्य बातों में, जो अक्टूबर १९५९ में चालू की गई थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हालांकि इस योजना के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले खोपरा की मात्रा प्रचलित मूल्यों और अन्य संगत तत्वों की दृष्टि से समय समय पर निश्चित किया जा रहा है।

जिस अवधि में वनस्पति का निर्यात किया गया	निम्न मात्रा में खोपरा के आयात की अनुमति दी गई
अक्तूबर—५९—मार्च ६०	. निर्यात किये गये वनस्पति नौतल पर्यन्त निश्शुल्क मूल्य का ९५ प्रतिशत
अप्रैल—६० दिसम्बर ६०	. निर्यात किये गये वनस्पति का नौतल-पर्यन्त निश्शुल्क मूल्य का १०९ प्रतिशत
जनवरी-जून १९६१	. निर्यात किये गये वनस्पति के प्रतिटन का १ टन

खोपरा के अतिरिक्त, वनस्पति के निर्माताओं एवं निर्यातकों को भी निर्यात किये गये वनस्पति का नौतन पर्यन्त निश्शुल्क मूल्य के ५ प्रतिशत तक उनकी आवश्यकतानुसार रसायन और उपकरण का आयात करने दिया जाता है।

वनस्पति में बिनौले के तेल का अंश

†२९३१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय (१) 'डालडा' (२) 'पकाव' (३) 'रथ' में अन्य किस्मों के वनस्पति की तुलना में बिनौले के तेल का कितना औसत अंश है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : निम्न किस्मों के वनस्पतियों में जनवरी-फरवरी १९६१ में बिनौले के तेल का औसत अंश इस प्रकार है:

किस्म	बिनौले के तेल का प्रतिशत
डालडा	६.००
पकाव	६.२५
रथ	८.१४

उक्त अवधि में अन्य फैक्टरियों द्वारा बनाये गये वनस्पतियों में बिनौले के तेल का अंश शून्य से ३६.९ प्रतिशत के बीच भिन्न था।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति में रंग मिलाना

†२६३२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति में रंग मिलाने के लिये स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा विशेष रूप से किन-किन अनुसन्धान योजनाओं पर विचार किया गया है;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत योजना को कहां पर कार्यान्वित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्नलिखित चार योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :—

(१) रत्नजोत की जड़ के रंग का प्रयोग ।

(२) हल्दी के मद्यसार का प्रयोग ।

(३) कापर क्लोरोफाइल का प्रयोग ।

(४) पीले रंग का प्रयोग जो कि ४, ४ 'डीहाइड्रोक्सी २, ६ २' ६' टेट्रा टर्ट—ब्युटाइल डीफीनाइल मथाने से तैयार किया जाता है ।

(ख) (१) ये योजनायें निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में इस्तैमाल की गयीं हैं :—

१. केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ ।
२. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर
३. अनुसन्धान तथा विकास संगठन, प्रति रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
४. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना ।

(२) विभिन्न प्रयोग शालाओं में इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य किये जा रहे हैं कि हल्दी के मद्यसार के अतिरिक्त अन्य रंगों में मद्य का कितना अंश होगा ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†२६३३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वाथ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब इंग्लैण्ड की महारानी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को देखने गयी थी तो इस संस्था को सजाया गया था और वहां एक विशेष शामियाना लगाया था;

(ख) उसकी सजावट और शामियाने पर कुल कितना खर्च आया था; और

(ग) यह खर्च किस की ओर से वहन किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित खर्च किये गये थे :—

(१) सजावट

१. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा . ३,००० रुपये
२. गैर सरकारी ठेकेदार द्वारा . . . ३,००० रुपये

(२) शामियाना, मंच, कुरसिया, दरियां आदि (३५०० अतिथियों के लिये) . . . ५,५०० रुपये

(ग) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†२९३४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १ जनवरी, १९५८ से १५ मार्च, १९६१ तक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की ऐसी किन किन इमारतों का निर्माण किया गया है, जिन पर ५ लाख रुपयों से अधिक की लागत आयी है और उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों के आधार पर ब्यौरे क्या हैं:—

(१) कार्य का नाम ;

(२) नियुक्त किये गये आर्कीटेक्ट का नाम ;

(३) आर्कीटेक्ट को दी गयी या दी जाने वाले फीस;

(४) आर्कीटेक्टों के सम्बन्ध में किन किन समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे;

(५) प्रत्येक अभ्यर्थी ने फीस के बारे में क्या-क्या प्रस्ताव किये थे ; और

(६) यदि सब से कम फीस वाले व्यक्ति को नहीं चुना गया है, तो उसके क्या कारण है;

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८६]**

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†२९३५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १-१-५८ से १५-३-६१ तक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के किस किस निर्माण-कार्य को प्रारम्भ अथवा पूरा किया गया था ;

(ख) प्रत्येक कार्य के लिये किस किस समाचारपत्र में किस किस तिथि को टेंडर मांगे गये थे;

(ग) प्रत्येक कार्य के लिये कितने टेण्डर प्राप्त हुए थे—टेण्डर भेजने वाले के क्या क्या नाम थे और उन्होंने क्या क्या दर भेजे थे! और

(घ) स्वीकार किये गये टेण्डर के ब्यौरे क्या हैं और इसे क्यों स्वीकार किया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†२९३६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की कौन कौन सी समितियां हैं और उनके सदस्य कौन कौन हैं; और

(ख) क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था तथा उसकी प्रत्येक संस्था के सम्बन्ध में क्या क्या नियम लागू हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८२०/६१]**

(ख) (१) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नियम, १९५८ की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८२०/६१]**

(२) निर्माण समिति सम्बन्धी नियमों की एक प्रती संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० २८२०/६१]**

(३) शेष समितियों के नियम उक्त विवरणों में ही सम्मिलित हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†२९३७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कार्यों के डिजाइन, निर्माण, और सर्वेक्षण पर १५ मार्च, १९६१ तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी थी ;

(ख) उन मे से कितने कार्य उन टेण्डर भेजने वालों को दिये गये थे जिनके दर सब से कम नहीं थे ; और

(ग) सब से कम प्रस्तावित दरों और स्वीकृत दरों में कुल कितनी राशि का अन्तर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मार्च, १९६१ के अन्त तक कुल २,७१,४१,६५२ रुपयों का पूंजीगत व्यय किया गया था।

(ख) ठेकेदारों को चार उस प्रकार के कार्य दिये गये थे और एक आर्कीटेक्ट को कार्य दिया गया था।

(ग) २,२७,७६२.३८ रुपये।

भारत में चेचक

†२९३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में भारत में चेचक से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और केन्द्रीय सरकार ने रोगियों को कितनी सहायता दी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: ७-१-६१ से १८-३-६१ तक की अवधि में भारत में चेचक से हुई मौतों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

राज्य/संघ क्षेत्र	मौतों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१५९
आसाम	२५
बिहार	११
दिल्ली	११३
गुजरात	५३८

†मूल अंग्रेजी में

राज्य/संघ क्षेत्र	मौतों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू तथा काश्मीर	उपलब्ध नहीं है
केरल	४५
महाराष्ट्र	१,२३८
मध्य प्रदेश	७४
मद्रास	३३५
मनीपुर	—
मैसूर	१३०
उड़ीसा	७
पांडिचेरी	१०३
पंजाब	५७
राजस्थान	२१८
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	३४८
पश्चिमी बंगाल	४४
कुल	३,४३८

†भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश से इस सम्बन्ध में सहायता के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय चेचक उत्पादन कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य के एक एक जिले में और दिल्ली के संघ क्षेत्र में अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं जिन पर ३३ लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन

२९३९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री नई दिल्ली में फरवरी १९६१ में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के १४वें अधिवेशन के बारे में २२ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें भाग लेने वाले देशों, सम्मेलन की तिथियों, उसके विचारणीय विषयों और निश्चयों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) उस सम्मेलन के सिलसिले में भारत सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ा ; और

(ग) उस सम्मेलन से भारत की कौन सा ठोस लाभ पहुंचा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १. १४वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के विमर्शों में भाग लेने वाले देशों का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८७**]

२. ७ से २४ फरवरी १९६१ तक।

३. उसके विचारणीय विषयों और निश्चयों के बारे में सूचना भारतीय शिष्टमण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित है जो हमेशा की भांति यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) लगभग १४,६८,००० रुपये।

(ग) विभिन्न समितियों, सामूहिक गोष्ठियों आदि में विचार किये गये महत्वपूर्ण चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य विषयों पर इस सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अन्य देशों के अपने प्रतिरूपों के साथ विचारों का अदान-प्रदान करने का अवसर मिला। साथ ही इससे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन भी मिला।

अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति

†२९४०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी गोखले समिति की सिफारिशों के परीक्षण के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ; और

(ख) शेष सिफारिशों में से कौन कौन सी सिफारिश अभी तक कार्यान्वित की गयी है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). गोखले समिति के सम्बन्ध में आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारों से उनके टिप्पण प्राप्त हो गये हैं। सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्शदात्री समिति की आगामी बैठक में इन टिप्पणों को पेश किया जायेगा। उसके बाद ही अन्तिम निर्णय किये जायेंगे।

आदर्श नगर आयोजन विधान

†२९४१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगर आयोजन विधान को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : नवम्बर, १९६० में बंगलौर में नगर तथा ग्राम आयोजन सम्बन्धी राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में स्थापित की गयी एक मंत्री समिति द्वारा आदर्श नगर तथा ग्राम आयोजन अधिनियम के बारे में विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस समिति की आगामी बैठक अप्रैल, १९६१ के अन्त मे होगी और उस में सिफारिशों को अन्तिम रूप से तय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

परती भूमि सम्बन्धी समिति

†२९४२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पहाड़िया :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि योग्य परती भूमि के सम्बन्ध में नियुक्त विशेष समिति द्वारा अभी तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (श्री डा० पं० शा० देशमुख)** : समिति ने इस बीचपंजाब और पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त बिहार, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश और मैसूर के सम्बन्ध में रिपोर्टें भेज दी हैं । मद्रास और जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में रिपोर्टों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श के बाद उन्हें शीघ्र ही अन्तिम दे दिया जायेगा । समिति ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का भी दौरा किया है और शीघ्र ही वह उनके बारे में भी रिपोर्ट तैयार कर लेगी । शेष राज्यों के सम्बन्ध में रिपोर्टें उस समय तैयार की जायेंगी जब कि वे राज्य सरकारें आवश्यक आंकड़े भेज देंगी ।

परदीप पत्तन

†२९४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सामन्त सिंहार :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के परदीप पत्तन में पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ३१ मार्च, १९६१ तक लगभग २८,७३,४८३ रुपयों का खर्च हुआ है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में अथारबंकी में एक तटीय बन्दरगाह के लिये एक उपयुक्त नक्शा बनाने के लिये तजरबे किये जा रहे हैं ।

महानदी में जल विज्ञान तथा परीक्षण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण नियमित रूप से किये जा रहे हैं ।

परदीप में पत्तन सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधायें हैं :—

(१) **किनारे पर सुविधायें**

(क) जहाजों के उतरने के लिये लकड़ी के तीन अस्थायी स्थान

(ख) चार लकड़ी संग्रह स्थान

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक निरीक्षण बंगला (लगभग पूरा हो रहा है)

(घ) छः कमरों का एक स्टोरेज गोदाम तथा ज्वार भाटा निरीक्षक शेड

(ङ) एक अस्थायी वर्कशाप

(च) एक अस्थायी शुष्क गोदी

(२) बन्दरगाहों की किश्तियां

(क) एक रसा

(ख) एक पायलेट जहाज़

(ग) तीन सर्वेक्षण लॉच

(घ) एक सेलिंग क्राफ्ट

(ङ) दो एल० सी० टी०

(च) एक डम्ब-बार्गे

हिमाचल प्रदेश का वन विभाग

२६४४. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने वनों का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किया गया था; और

(ख) क्या सर्वेक्षण-कार्य योजना के अनुसार पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री डा० पं० शा० देशमुख) : (क) सुकेत, चम्बा, जुब्बल और राजगढ़ वन प्रभागों में ६७५ वनों का सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) जी हां ?

हिमाचल प्रदेश में छोटे चिड़िया-घर

२६४५. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने छोटे चिड़िया-घर 'बेबी जू' की कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या काम किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह योजना कब से आरम्भ की जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

जहाजों के मास्टरों के लिये कार्यदक्षता सम्बन्धी प्रमाणपत्र

†२६४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६६० में कितने मास्टरों को परिवहन तथा संचार मंत्रालय के द्वारा परीक्षा के द्वारा कार्यदक्षता सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : १९६० में भारत में परिवहन मंत्रालय द्वारा लिये गये परीक्षा के परिणामस्वरूप ५२ अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये थे।

पश्चिमी बंगाल में कुष्ठ रोग

†२९४७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कुष्ठ रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या इस समय कलकत्ता में कुष्ठ रोग के १५ लाख मामले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पांच वर्षों की अवधि में पूरे सर्वेक्षण के अभाव में यह बताना कठिन है कि क्या पश्चिमी बंगाल में कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ।

(ख) अनुमान है कि कलकत्ता में लगभग बीस हज़ार कुष्ठ रोगी हैं और सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल में लगभग ३½ लाख मामले हैं ।

(ग) राज्य सरकार, मिशनरियों, स्थानीय निकायों आदि के कुष्ठ रोग सम्बन्धी ११ संस्थाओं के कुष्ठ रोगियों के इनडोर इलाज तथा एकान्त इलाज की २३९७ शैयायें हैं ।

वहां पर ११४ आऊट पेशन्ट कुष्ठ रोग औषधालय भी हैं जिनमें से २४ राज्य सरकार के अधीन हैं और ९० स्थानीय निकायों आदि के अधीन हैं ।

कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिये समन्वित योजना के अधीन स्वीकृत १६ कुष्ठ रोग उपचार केन्द्रों में से ८ केन्द्र खोले जा चुके हैं और शेष ८ खोले जा रहे हैं ।

कुष्ठ रोगियों का इलाज सामान्य अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों में किया जा रहा है ।

मिशनरियों और स्थानीय समितियों द्वारा चलाई जा रही ६ कुष्ठ रोग सम्बन्धी संस्थाओं को प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जा रहा है । राज्य में कुष्ठ विरोधी कार्य के लिये स्थानीय निकायों तथा हिन्द कुष्ठ निर्वाण संघ (पश्चिम बंगाल शाखा) को सहायता अनुदान भी दिया जा रहा है ।

पत्तनों में चोरियां

†२९४८. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तन में चोरियों के कितने मामले हुए थे; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १९६०–६१ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों में चोरियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े हैं :—

बम्बई (जनवरी, १९६१ को) . .	३९६
कलकत्ता	१९५
मद्रास (जनवरी, १९६१ तक)	११४

†मूल अंग्रेजी में

फरवरी और मार्च के महीनों के सम्बन्ध में बम्बई और मद्रास पत्तनों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त राशियों के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
व्यक्ति	४२०	७१८	२३८
राशि	४,०६,५२२ रुपये	१,९८,६६३ रुपये	१७,४३० रुपये

बम्बई नगर निगमों का सम्मेलन

†२९४९. **श्री दामानी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में बम्बई में हुए नगर निगमों के दूसरे सम्मेलन में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०—२८२१/६१]**

नारनौल और चरखी दादरी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

†२९५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि नारनौल और चरखी दादरी के बीच एक सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन)** (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को किराया तथा गारंटी की शर्तें भेज दी गयी हैं, परन्तु अभी तक उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

लुधियाना में तिलहन अनसन्धान केन्द्र

२९५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लुधियाना में तिलहन में अनुसन्धान के लिये एक पिरकाम स्टेशन स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रुई, तिलहन और ज्वार-बाजरा सम्बन्धी प्रादेशिक अनुसन्धान को गहन करने के लिये परियोजना के २१ केन्द्रो में से इस समय एक पटियाला में स्थित है । मूल रूप में यह केन्द्र लुधियाना में स्थापित किया जाना था परन्तु पंजाब सरकार ने केन्द्र के लिये अपेक्षित भूमि देने में असमर्थता प्रकट की । क्योंकि यह स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इस केन्द्र को पटियाला से लुधियाना में स्थानान्तरित करने का प्रश्न पंजाब सरकार से फिर उठाया गया और अब पंजाब सरकार लुधियाना में कृषि कालिज के प्रांगण में 'पिरकाम' केन्द्र की इमारत के लिये २ एकड़ भूमि और फार्म के लिये २० एकड़ भूमि देने को राजी हो गयी है । केन्द्र की प्रयोगशाला और कार्यालय की इमारतें बनने के बाद केन्द्र को लुधियाना में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

'पिरकाम' के उद्देश्य ये हैं :

(क) रुई, तिलहन, और ज्वार-बाजरा का क्रास-वस्तु आधार पर अनुसंधान करना ।

(ख) इन फसलों के सम्बन्ध में कृषि समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रादेशिक आधार पर एक स्थायी संगठन बनाना ।

(ग) इन प्रमुख फसलों के अनुसंधान की इस तरीके से व्यवस्था करना जिसमे आर्थिक स्थिति के साथ साथ अधिकतम योग्यता सुनिश्चित की जा सके ।

(घ) इन फसलों के बारे में एक दल के रूप मे काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अन्तर्सम्बन्धित कृषि समस्याओं के बारे में अनुसन्धान करना ।

पटियाला केन्द्र में तोरिया और तारा-मीरा के बारे में अनुसन्धान किया जाता है ।

'पिरकाम' केन्द्र के लिये मंजूर किये गये कर्मचारियों में एक एग्रोनामिस्ट के साथ एक केन्द्र का मुखिया, एक एन्टोमोलोजिस्ट, एक प्लान्ट पैथोलाजिस्ट, एक कृषि केमिस्ट, एक तिलहन ब्रीडर और निम्न श्रेणी के अपेक्षित कर्मचारी हैं ।

कृषि कालिज, लुधियाना

†२९५२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लुधियाना में सरकारी कृषि कालिज और अनुसन्धान संस्था का स्तर ऊंचा कर उसको अमरीका में भूमि अनुदान कालिजों के तरीके पर आधुनिक आवास कृषि विश्वविद्यालय बनाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : पंजाब सरकार ने लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिये एक प्रस्थापना भेजी है । वर्ष १९६० में भारत सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने के लिये एक चार-सदस्यीय समिति नियुक्त की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समिति ने हाल में पंजाब का दौरा किया और पंजाब में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्थापनाओं की जांच करने के बाद राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस समय राज्य सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

तृतीय योजना-काल में देश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में कोई निर्णय करने के बाद ही अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसी ही प्रार्थना समेत पंजाब सरकार की प्रस्थापना पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ।

हृदय-फेफड़ा मशीन[1]

†२९५३. **श्री पहाड़िया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के नायर अस्पताल में भारत में निर्मित प्रथम "हृदय-फेफड़ा मशीन" की सहायता से हृदय का सफल आपरेशन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मशीन को बड़े पैमाने पर बनाने और इसे प्रत्येक बड़े अस्पताल को देने के लिये कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि यह अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है, इस मशीन का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ।

इम्फाल नगरपालिका

†२९५४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगरपालिका के अध्यक्ष ने सरकारी इस्तेमाल के लिये एक फीयट मोटर-गाड़ी खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर प्रशासन ने इस खरीद का अनुमोदन कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) कार की खरीद पर किये गये व्यय के बारे में इम्फाल नगरपालिका ने अभी मनीपुर प्रशासन का अनुमोदन नहीं मांगा है ।

मत्स्य भोजन

†२९५५. **श्री कालिका सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उपलब्ध कुल भोजन में मत्स्य भोजन की लगभग कितनी प्रतिशतता है;

(ख) भारत में प्रतिदिन औसतन कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों में मछली की उपलब्धता में लगभग कितनी वृद्धि और कमी हुई है;

(घ) विभिन्न गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के उप-केन्द्रों के क्या लक्ष्य हैं; और

(ङ) मछली पकड़ने मे आधुनिकतम क्या तरीके और उपकरण इस्तेमाल किये गये हैं और मछली पकड़ने में कितने मछुआ-जहाज और अन्य समुद्री जहाज लगे हुए हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भारत मे उपलब्ध कुल खाद्य में मत्स्य भोजन की प्रतिशतता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष १९५८ में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता लगभग २.३१ किलोग्राम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Heart-Lung Machine.

(ख) लगभग २२५० मीटरिक टन ।

(ग) पिछले चार वर्षों में मछली के कुल उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं ।

	मीटरिक टन
१९५६ . .	१०.१२ लाख
१९५७	१२.३३ लाख
१९५८	१२.६४ लाख
१९५९	८.२३ लाख

वर्ष १९५९ में सारडीन और मैकरल मछली की कमी के कारण कम मछलियां पकड़ी गयीं ।

(घ) मछली पकड़ने के स्थान नियत करने के ख्याल से बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र और तूतीकोरिन, विशाखापटनम और कोचीन में किनारे से दूर मछली पकड़ने के केन्द्र २० मशीनीकृत मछआ जहाजों से मछली कार्य की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं । वे आधुनिक रूप से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के तरीकों में व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

(ङ) विभिन्न प्रकार के मछुआ जहाजों और अन्य बोर्डों के इस्तेमाल समेत ये केन्द्र मछली पकड़ने के मशीनीकृत तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं । मछली पकड़ने में लगे हुए सरकारी और गैर-सरकारी मछआ जहाजों और अन्य जहाजों की संख्या ४० है । ये तटों से चलने वाली १६०० छोटी मशीनीकृत नौकाओं से पृथक हैं ।

पुरी (उड़ीसा) में बाढ़-नियंत्रण

†२९५६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी के जिले में बाढ़ के पानी को निकालने के लिये एक कटाव बनाने अथवा जमुआ मुहाना खोलने का कार्य अब तक पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति की गयी है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का नव-निर्माण

†२९५७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों का नव-निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशनों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या नव-निर्माण के लिये स्टेशनों सम्बन्धी नियम बना लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) सियालदह, डम डम जंक्शन, बैरकपुर, कल्याणी, पिंजरापोल, बख्तरनगर, नीमच, आसनसोल, अन्दाल, सीतारामपुर, मुगलसराय, गया, बरवाडीह और सोन नगर स्टेशन ।

(ग) जी, हां ।

तांबे के तारों की चोरी

†२६५८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में हर महीने पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तांबे के तारों की चोरी के परिणामस्वरूप टेलीफोन और तार सेवाओं में पृथक पृथक कितने सर्किट घंटों की हानि हुई;

(ख) इस अवधि में चुराये गये तारों की क्या लम्बाई है और उनका क्या वजन है;

(ग) बदमाशों से कितना तांबे का तार वसूल किया गया;

(घ) कितने अपराधी पकड़े गये और कितने दंडित किये गये; और

(ङ) इस बारे में कितने मामले लम्बित हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) से (ङ). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

वर्ष १९६० में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किलों में तांबे के तारों की चोरी के बारे में जानकारी

	पश्चिम बंगाल	बिहार	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश
(ख) चोरी गये तांबे के तारों की लम्बाई और वज़न	९००.८ किलोमीटर ६३३९४ किलोग्राम	७७९.२ किलोमीटर ४९४९३ किलोग्राम	२०९ किलोमीटर १३०६७ किलोग्राम	३८४ किलोमीटर २७२२६ किलोग्राम
(ग) बदमाशों से प्राप्त तांबे के तारों की मात्रा	५४० किलोग्राम	१९७ किलोग्राम	२७.२ किलोग्राम	२७८.५ किलोग्राम
(घ) पकड़े गये अपराधियों की संख्या	२६६	४	८	५९
दंडित किये गये अपराधियों की संख्या	२१	१	शून्य	१८
(ङ) इस मामले से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या	११८	६१	६०	६७९

†मूल अंग्रेजी में

फसलों का उत्पादन

†२९५९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में देश भर में कुल कितनी भूमि फसलों के लिये इस्तेमाल की जा रही थी ; और

(ख) वर्ष १९५९–६० में सभी राज्यों में कुल कितनी फसल हुई, विशेषत: कुल कितने धान और गेहूं का उत्पादन हुआ ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें०कृष्णप्पा)** : (क) वर्ष १९५९–६० के लिये अपेक्षित जानकारी अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष १९५७–५८ की जानकारी के बारे में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष १९५९–६० में प्रमुख फसलों के अखिल-भारतीय क्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९]**

तिरुवन्नमलै स्टेशन

†२९६०. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे पर तिरुवन्नमलै रेलवे स्टेशन को ढांपने के लिये व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। यह कार्य धन की कमी के कारण अभी आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(ख) धन उपलब्ध होने पर वर्ष १९६२–६३ के निर्माण-कार्यक्रम में यह कार्य शामिल करने की प्रस्थापना है।

तिरुवन्नमलै (मद्रास राज्य) के डाक इन्सपेक्टर

†२९६१. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदास राज्य के उत्तर अर्काट जिले में तिरुवन्नमलै के डाक इन्सपेक्टर के कार्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला लम्बित है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस मामले में विशेष पुलिस जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक टिकट

†२९६२. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थिरुवल्लुवर और भरथियार के चित्रों के डाक टिकट जारी रखने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में दक्षिण भारत के बड़े व्यक्तियों के चित्रों के डाक टिकट छापने की कोई प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विल्लुपुरम्-काटपाडी लाइन (दक्षिण रेलवे) पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२९६३. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में विल्लुपुरम और काटपाडी के बीच रेलवे लाइन पर अक्सर गाड़ियां पटरी से उतरती रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक कितनी बार गाड़ियां पटरी से उतरीं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति के सुधारने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). इन वर्षों में दक्षिण रेलवे के विल्लुपुरम–काटपाडी सेक्शन पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष १९५९	४
वर्ष १९६०	५
वर्ष १९६१ (२०-३-१९६१ तक)	शून्य

(ग) गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण निम्न थे :

रेलवे कर्मचारियों की अकर्मण्यता	६
मशीनी उपकरणों के खराब हो जाने	३
कुल	९

(घ) दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपचारात्मक उपाय, जिनके बारे में माननीय सदस्यों को आयव्ययक सम्बन्धी कागजातों के साथ दी गयी 'दुर्घटनाओं का पुनर्विलोकन'[1] नामक पुस्तिका में बताये गये हैं, जारी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Review of Accidents.

थाना में ऊपरी पुल

†२९६४. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ मार्च, १९६१ को थाना में रेलवे लाइनें पार करते समय एक दुर्घटना में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गयी ;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान पर प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं क्योंकि शहर में जाने के लिये वहां कोई ऊपरी पुल नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में रेलवे अधिकारियों और रेलवे मंत्री जी को भी कई बार अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर ऊपरी पुल बनाने के बारे में रेलवे अधिकारियों ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ११-३-१९६१ को नहीं परन्तु १०-३-१९६१ को ।

(ख) जी, नहीं । वास्तविक यात्रियों के इस्तेमाल के लिये सभी प्लेटफार्मों को मिलाने वाला एक ऊपरी पैदल-पुल स्टेशन के आखीर में कल्याण में बना है । ऐसे तीन मामले हुए (वर्ष १९६० में २ और १९६१ में १) जिनमें पटरी पार करने वाले झपेट में आ गये और मारे गये ।

(ग) जी, हां । मध्य रेलवे अधिकारियों को अभ्यावेदन मिले हैं ।

(घ) सभी रेलवे लाइनों पर अतिरिक्त पैदल ऊपरी पुल की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है । यदि रेलवे उपभोक्ता परामर्शदाता समिति यह योजना मंजूर करती है और आवश्यक धन प्राप्त हो जाता है, तो यह कार्य वर्ष १९६२–६३ में आरम्भ किया जायेगा । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग से भी कपोरी कालोनी, थाना के समीप १९/२०–२१ मील पर पूर्व एक्सप्रेस राजपथ पर एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यदि सड़क प्राधिकार वर्तमान नियमों के अनुसार इसकी लागत का अपना भाग देने को तैयार है और वह यह बता दें कि वे किस वर्ष में धन दे सकेंगे, तो इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

रेलवे में अस्थायी इंजीनियर

२९६५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४२ में उत्तर-पश्चिम रेलवे में कुछ अस्थायी इंजीनियर रखे गए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि ये इंजीनियर १२ वर्ष तक अस्थायी रूप से कार्य करते रहे और इस-बीच कुछ स्थायी इंजीनियर और भर्ती किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जो इंजीनियर बाद में रखे गये हैं उनको वरिष्ठ मान लिया गया है जिसके कारण पहले से कार्य करने वालों को काफी हानि हुई है ;

(घ) क्या अस्थायी इंजीनियरों को स्थायी करने पर उनकी अस्थायी समय की सेवा गणना में नहीं ली गई है ; और

(ङ) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, जहां।

(ग) और (घ). अस्थायी इंजीनियरों की सीनियारिटी उनके स्थायी होने की तारीख से गिनी जाती है। इसलिए, वे उन इंजीनियरों से जूनियर होते हैं जो नियमित रूप से भर्ती किये गये हैं और जो पहले किसी तारीख से नियमित संवर्ग में स्थायी कर दिये गये हैं।

(ङ) कोई और कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

राजगीरी और मिट्टी के काम की दरें

†२९६६. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे पर राजगीरी और मिट्टी के काम की दरें रेलवे रेलवे में और राज्य राज्य में भिन्न भिन्न हैं;

(ख) क्या रेलवे की ये दरें उन राज्यों की दरों से अधिक हैं जहां यह काम किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस मामले को सामान्यीकृत रूप में रखना सम्भव नहीं है। कुछ मदों की दरों की तुलना से ठीक स्थिति का पता नहीं चलेगा। समूचे काम को, जिसमें कई मदें और ठेके की शर्त और काम को पूरा करने की शर्तें शामिल हैं, ध्यान में रखना होगा। काम की ऐसी ही दशाओं में, कुल लागत में अधिक अन्तर नहीं हो सकता क्योंकि निर्माण-कार्य खुले और सार्वजनिक टेंडर मांग कर किये जाते हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में मोटर-दुर्घटनायें

†२९६७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ और १९६० में प्रत्येक में प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र में कुल कितनी मोटर दुर्घटनाय हुयीं;

(ख) इन क्षेत्रों में इन दो वर्षों में से प्रत्येक में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) इन वर्षों में से प्रत्येक में प्रत्येक क्षेत्र में कितने मोटर चालक गिरफ्तार किये गये, कितनों का चालान किया गया और कितनों को दण्ड दिया गया; और

(घ) इन दो वर्षों में से प्रत्येक में प्रत्येक क्षेत्र में दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों को आश्रितों को यदि कोई क्षतिपूर्ति दी गयी हो वह कितनी है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

२९६८. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्रमशः प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने मील लम्बे मार्गों का निर्माण हुआ और पृथक् पृथक् कितनी धन राशि उन पर व्यय की गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : पहली व दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में हिमाचल प्रदेश में बनायी गयी सड़कों की कुल लम्बाई निम्नलिखित है :—

	पहली आयोजना	दूसरी आयोजना
	लम्बाई मीलों में	
(१) मोटर लायक, दुतरफा यातायात .	कुछ नहीं	३०१
(२) मोटर लायक, इकतरफा यातायात	२२७	५७३
(३) जीप मोटर लायक	४३५	४४६½
(४) पगडण्डी (ट्रैक) .	७३०	५९२
(५) मौजूदा सड़कों का सुधार . . .	२१९	—

२. पहली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में ३१०.७८ लाख रुपया खर्च किया गया। दूसरी आयोजना की अवधि में यह खर्च लगभग ७७७.०० लाख रुपया होगा।

उड़ीसा में जागीरी भूमि

†२९६९. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक, विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जागीर भूमि पर काम करने वाले लगभग सभी ग्रामीण चौकीदार और झंकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं;

(ख) क्या उन को सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, पंचायत और सहकारी योजनाओं द्वारा भूमि के विकास और जागीरी भूमि से अधिक उत्पादन करने के लिये ऋण पर और नकद कोई कृषि सहायता नहीं दी जा रही है जैसी कि रैयतवाडी कृषकों को दी जा रही है; और

(ग) इस बारे में और विशेषतः उड़ीसा राज्य के लिये केन्द्रीय सरकार क्या पग उठायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

घोड़ों का आयात

†२९७०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घुड़दौड़ के लिये विदेशी घोड़ों के आयात पर कुछ शुल्क लगाने के सम्बन्ध में भारत सरकार और घुड़दौड़ और घोड़ों की नस्ल से सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कब से लागू होगा; और

(घ) सरकार को वार्षिक शुल्क के रूप में लगभग कितना धन मिलेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ऐसा कोई समझौता नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डाक तथा तार विभाग में सेलेक्शन ग्रेड के पद

†२६७१. **श्री ज० रा० मेहता** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों में उच्च सेलेक्शन ग्रेड पदों (३३५—१५—४२५ रुपये के स्तर में) को डाक घरों के इन्सपेक्टरों की पदाधिकारी पदाली में और सामान्य लाइन से निम्न श्रेणी नियुक्ती पदों के बीच ५०/५० के सिद्धान्त के आधार पर विभाजित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे डाक सेवा में ऐसे १०० प्रतिशत पदें निम्न श्रेणी में नियुक्त पदाधिकारियों को मिलते हैं, ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निम्न श्रेणी में नियुक्त पदाधिकारियों की पदोन्नति के लिये सम्भावना लगभग २ प्रतिशत की है और डाकघरों के इन्सपेक्टर पदालि के पदाधिकारियों के लिये पदोन्नति की सम्भावना लगभग २१ प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो डाक शाखा में निम्न श्रेणी में नियुक्त पदाधिकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्न श्रेणी में नियुक्त पदाधिकारियों की पदोन्नति के लिये उपलब्ध उच्च श्रेणी नियुक्ति पद निम्न श्रेणी नियुक्ति पदों के लगभग ५ प्रतिशत हैं। डाक घरों के इन्सपेक्टरों के माम ले में यह अनुपात लगभग २५ प्रतिशत है।

(घ) डाकघरों के इन्सपेक्टर कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा क्लेरिकल पदाली से नियुक्त किये जाते हैं। निम्न श्रेणी में नियुक्प पदधिकारियों में वे व्यक्ति शामिल हैं जो डाक घरों के इन्सपेक्टरों की प रीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते। उन्हें क्लेरिकल पदाली से एक तिहाई संवरणाकरके दो तिहाई वरिष्ठता वं योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। निम्न श्रेणी में नियुक्त पदाधिकारियों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में जल संभरण

†२६७२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में नल-कूप खोदना बेकार पाया गया है;

(ख) क्या जल सम्भरण योजनाओं के लिये खुली तड़ाग पद्धति को सुरक्षित और जलदूषण-हीन पाया गया है;

(ग) क्या मनीपुर में कुछ स्थानों पर पाइप जल पद्धति अपनाई गयी है; और

(घ) मनीपुर में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ग्रामीणों को पाइप का जल दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) पाइप जल सम्भरण योजना निम्नलिखित गावों में क्रियान्वित की जा रही हैं ;

तिलोई, खुबांग खुनाउ, मैंबा, सेलमेट (आई० बी० टी० मिशन हेडक्वार्टर) मापूम, तुंगाम, पदांग, तिंगकांग, हासचुग और पलांग।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

कठुआ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मझे एक स्थगन प्रस्ताव और दो ध्यान दिलाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो ५ अप्रैल, १९६१ को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कठुआ सीमान्त पर नियुक्त भारतीय सेनाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति के बारे में हैं। क्या माननीय मन्त्री परिस्थिति के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस समय हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव में दिये गये तथ्य सही हैं या नहीं। कल हम कुछ सूचना दे सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री आसर यह बतायेंगे कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली है ?

†**श्री आसर** (रत्नागिरि) : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है तो माननीय मन्त्री को इसकी सूचना क्यों नहीं है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सम्भवतः इसका कारण यह है कि उसे महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। हमने स्थानीय लोगों से सूचना भेजने के लिये कहा है। इस प्रकार की छोटी मोटी घटनायें सीमान्त पर प्रायः होती रहती हैं। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : उसमें एक भारतीय सैनिक मारा गया है।

†**श्री जवाहरलालल नहरू** : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है यद्यपि समाचार पत्रों की कतरनें मेरे पास मौजूद हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : इस प्रकार की घटनायें भारत-पाक सीमान्त पर प्रायः हर सप्ताह होती हैं। क्या सभा के नेता यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं। कल भी हमारे एक अधिकारी का अपहरण किया गया था। अतः हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ठीक है कि इस प्रकार की घटनायें उस सीमान्त पर होती रहती हैं। इतना ही नहीं वरन् देश के अन्दर भी षड्यन्त्र होते रहते हैं जो वही लोग करते हैं जो उस ओर से यहां आते हैं। इनके सम्बन्ध में हम अनेक बार सूचना दे चुके हैं। पता नहीं फिर अब क्या पूर्ण जानकारी दी जाए ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कल भी एक सैनिक को भगा कर ले जाया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सर्वथा भिन्न घटना है और उसके सम्बन्ध में हम जांच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मरा कोई नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कोई घायल भी हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल गृह मंत्री ने यह बताया था कि श्री भट्टाचार्य पर गोली चलाई गई थी और उनके गोली का घाव हुआ है।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह ठीक है कि उन पर गोली चलाई गई थी परन्तु यह बात निश्चित नहीं मालूम है कि वह गोली उनको लगी या नहीं। उनके साथ जो दूसरा साथी था, जो बचकर भाग आया है उसने यही बताया है कि चुंकि वह भाग रहा था इसलिए यह नही देख सका कि श्री भट्टाचार्य के गोली लगी या नहीं। अब चंकि उन्हें पाकिस्तानी अपने साथ उड़ा ले गए हैं इसलिए हमें पाकिस्तान सरकार से ही सूचना मिल सकती है कि उनके गोली लगी या नहीं अथवा उनको कैसी चोट आई है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कल गृह मंत्री ने तार के आधार पर यह बताया था कि.

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तार इस आशय का था कि उन पर गोली चलाई गई। चूंकि उनको गिरते हुए देखा गया इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि उनको गोली लगी। परन्तु यह भी हो सकता है कि वह गोली से बचने के लिए लेट गए हों। अस्तु स्थिति स्पष्ट नही है। हमने पाकिस्तान सरकार को लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : अपहृत अधिकारी की क्या हालत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमें केवल पाकिस्तान सरकार से सूचना मिल सकती है औरवह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या हमारे उच्चायुक्त यह सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उप उच्च आयुक्त से कहा गया है। उन्होंने पूर्व पाकिस्तान सरकार से पूछा है परन्तु उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। हमारे लिए सूचना प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नही है। वास्तव में पाकिस्तान की सरकार की ओर से इस आशय का वक्तव्य भी प्रसारित किया गया है कि श्री भट्टाचार्य ही भेद प्राप्त करने के प्रयत्न के दोषी हैं और इसीलिए उन्हें बन्दी किया गया।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आज के स्थगन प्रस्ताव का विषय यह नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज के स्थगन प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मंत्री यह कह चुके हैं कि वह सूचना एकत्रित करके सभा-पटल पर रख देंगे। क्या सोमवार तक वैसा संभव हो सकेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : जी हां, मैं प्रयत्न करूंगा। परन्तु जहां तक मैं समझ सका हूं दोनों ही पक्षों से गोलियां चलाई गई हैं। इस प्रकार की घटनायें प्रायः होती रहती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं। ध्यान दिलाने की सूचनाओं को उस दिन लिया जाएगा जिस दिन प्रधान मंत्री सभा-पटल पर सूचना रखेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात रोग का महामारी के रूप में फैलना

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजम्पेट) : नियम १८७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

"आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा गुंटूर और नेल्लोर में बाल पक्षाघात के महामारी के रूप में फैलने के समाचार और उसके संक्रमण को रोकने के लिए की गई कार्यवाही।"

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में बाल पक्षाघात के फैलने की सूचना देने वाला प्रतिवेदन भारत सरकार को राज्य के लोक स्वास्थ्य संचालक से १६ मार्च, १९६१ को प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि इस रोग के २६ शिकार विजयवाड़ा नगरपालिका में, १२ मसुलीपट्टम नगरपालिका में और ८६ कृष्णा जिले के २० गांवों मे हुए थे। उनमे अधिकांश रोगी स्वस्थ हो गए तथा मरने वालों की संख्या कम ही थी। चुंकि यह नहीं मालूम था कि यह रोग किस प्रकार के कीटाणुओं से फैला है इसलिए आन्ध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य संचालक ने भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् से एक अनुसंधान दल भेजने के लिए कहा है जो तुरन्त कृष्णा और गुंटूर जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में जाकर छूत के लिए जिम्मेदार कीटाणुओं का पता लगायें और राज्य के लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के उपायों के संबंध में सलाह दें।

अक्टूबर, १९६० से २५ मार्च, १९६१ तक आन्ध्र प्रदेश में बाल पक्षाघात के २७० शिकार हुए जिनमें से ९ मर गए। रोग के जिलेवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

कृष्णा	२३०	(जिनमें से ७ मरे)
गुंटूर .	२५	
पश्चिम गोदावरी .	६	
खम्मम् .	५	
नेल्लोर .	३	
निजामाबाद	१	

चूंकि बालपक्षाघात अधिसूचना-योग्य रोग नहीं है इसलिए स्थानीय डाक्टर उसके रोगियों की सूचना नहीं देते थे। अतः रोग के शिकारों की संख्या वास्तव में इस से अधिक होगी।

अधिकांशतः पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रभावित हुए हैं। हैदराबाद में उपलब्ध २५० सी० सी० साल्क वैक्सीन प्रभावित क्षेत्रों में टीका लगाने के लिए भेजी गई है। परन्तु चूंकि इस टीके का असर होने में काफी समय लगता है इसलिए इस उपाय के परिणाम तुरन्त नहीं जाने जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वास्थ्य सेवाओं के एक उप-महासंचालक ने विजयवाड़ा और गुंटूर जाकर स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारियो, गुंटूर के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और आन्ध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के संचालकों के साथ स्थिति के संबंध में चर्चा की थी। स्थानीय निकायों से स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है विशेषकर कूड़ा और मलमूत्र फेंकने, मक्खी मारने और पानी में क्लोरीन मिलाने के संबंध में। इस रोग के संबंध में जनता को शिक्षा देने के लिए लेक्चरों का आयोजन, सामूहिक चर्चायें, पुस्तिकाओं का वितरण आदि कार्य किए गए हैं और आन्ध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य निदेशालय के विशेष स्वास्थ्य शिक्षा कर्मचारी प्रभावित जिलों में यह कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर क्रियान्वित कर रहे हैं। बाल पक्षाघात के उपचार के संबंध में डाक्टरों को नवीनतम उपायों से परिचित कराने के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया था। राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने बुखार से ग्रस्त समस्त बालकों को रोग का विश्लेषण किए जाने तक अलग रखने और पक्षाघात से ग्रस्त बालकों की समुचित देखभाल के लिए भी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार द्वारा रोग को अनिवार्यतः अधिसूचित करने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

अब रोग का प्रभाव कम होता जा रहा है। परन्तु उसके नियंत्रण के उपाय जारी हैं।

दो दल—एक बम्बई के हैफकिन इंस्टीट्यूट की भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् से और दूसरा कुन्नूर के पासतूर इंस्टीट्यूट से—आन्ध्र प्रदेश में इस रोग के फैलने के लिए जिम्मेदार कीटाणुओं और अन्य विषाक्ततत्वों का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इन अनुसंधानों के परिणाम प्रतीक्षित हैं। जब तक रोग की प्रकृति का सही पता नहीं ल गा उपलब्ध टीकों का विशेष लाभ नहीं होगा। फिर भी विदेशों से उसके प्राप्त किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग हो सके और देर न हो। विशेषज्ञों की राय है कि अभी इस रोग के विरुद्ध सामूहिक टीके लगाने की कोई तुरन्त आवश्यकता नहीं है।

मुझे अभी-अभी यह सूचना मिली है कि सोवियत रूस से तुरन्त १००,००० टीके प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम)** : आन्ध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि रूस और अमरीका से बाल पक्षाघात निरोधक टीके आने वाले हैं। क्या वे आ चुके हैं?

†**श्री करमरकर** : मैंने अभी तो बताया था कि रूस से १००,००० टीकों के तुरन्त संभरण का प्रबन्ध किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वे टीके यहां पहुंच गए हैं?

†**श्री करमरकर** : अभी तक नहीं।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : क्या यह सच है कि जिला मुख्यालय में इन टीकों के संग्रह की व्यवस्था नहीं है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

†**श्री करमरकर** : उन्हें एक विशेष तापमान में रखने की व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है?

†**श्री करमरकर** : यह ठीक है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। परन्तु उसमें कोई कठिनाई नहीं है और व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : ये टीके रूस से कब तक आ जायेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि यदि उनके पास स्टाफ न हुआ तो उसके निर्माण में कुछ समय लगेगा । परन्तु तुरन्त व्यवस्था की जा रही है । जैसा कि मैं बता चुका हूं रोग का प्रभाव कम होता जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी समझना चाहिये कि जब तक कीटाणुओं का पता नहीं चलेगा तब तक टीकों का भी कोई असर नहीं होगा । उसके लिये कोशिश की जा रही है । परन्तु इस बीच में रोग के शिकारों की संख्या कम हो गई और हो सकता है कि सब को टीके लगाने की आवश्यकता न पड़े ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : क्या बम्बई के एक विशेषज्ञ ने यह मत प्रकट किया था कि बाल पक्षाघात का कोई पक्का इलाज नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : यह ठीक है ।

†**श्री तिरुमल राव** : चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय इसके सम्बन्ध में कोई गवेषणा कर रहा है ?

†**श्री करमरकर** : यह एक दीर्घकालीन कार्य है । पूना में एक कीटाणु गवेषणा संस्था है । चूंकि रोग का कोई निश्चित इलाज नहीं है इसलिये रोग से बचाव के लिये टीके लगाए जा रहे हैं और सफाई रखने के उपाय किये जा रहे हैं ।

†**श्री वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टीकों के सम्भरण की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे पूर्ण विश्वास है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक कदम उठाएगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी आश्वासन, वचन तथा प्रतिज्ञायें

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पहला विवरण तेरहवां सत्र, १९६१
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ बारहवां सत्र, १९६०
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ ग्यारहवां सत्र, १९६०
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ दसवां सत्र, १९६०
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १७ आठवां सत्र, १९५९
(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २३ सातवां सत्र, १९५९
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ छठा सत्र, १९५८
(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २५ पांचवां सत्र, १९५८ ।

[**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या क्रमशः ९० से ९७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार १० अप्रैल, को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

१. वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान; और

२. प्रतिरक्षा; सामुदायिक विकास और सहकार, इस्पात, खान और ईंधन, खाद्य तथा कृषि और वित्त मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच० (टी) १४—९२५/५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए परिशिष्ट संख्या० एल० टी०—२८१८/६१।]

अत्यावश्यक-पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —२८१९/६१।]

———

लोक लेखा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं वर्ष १९५८-५९ के लिये दामोदर घाटी निगम के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में लोक लेखा समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

———

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(एक) प्रतिरक्षा मन्त्रालय—आयुध कारखाने (संगठन तथा वित्त) के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक-सभा की चौवनवे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ सत्रहवां प्रतिवेदन ।

(दो) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के बारे में एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन ।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने तेईसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताये अनुसार अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई है :—

१. श्री अ० क० गोपालन
२. श्री चण्डिकेश्वर शरण सिंह जू देव
३. श्री स्वामी
४. श्री रामेश्वर राव
५. श्री मथुरामलिंग तेवर
६. डा० गंगाधर शिव
७. श्री पोकर साहेब
८. सेठ अचल सिंह
९. श्री नरसिंह मल देव
१०. श्री धनकसबै
११. श्री वारियर
१२. श्री फतेहसिंह घोडासर
१३. श्री अतुल्य घोष
१४. श्री दरियास्वामी गौंडर
१५. श्री अशण्णा
१६. श्री कंसारी हाल्दर
१७. श्री जोगेन्द्र सेन मण्डी; और
१८. सरदार बल्देव सिंह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

†कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

†अध्यक्ष महोदय : तदनुसार माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा ।

समितियों के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिय तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६१ से आरम्भ होकर ३० अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति

†श्री बर्मन (कूच-बिहार —रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६१ से आरम्भ होकर ३० अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

†श्री त० ब०विट्ठल राव (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"और उक्त समिति का सभापति विरोधी पक्ष के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाये ।"

लोक लेखा समिति के सभापति का नामनिर्देशन सामान्यतः आप करते हैं । कई वर्षों से हमारी यह मांग है कि समिति का सभापति विरोधी पक्ष का हो ।

संसद् की लोक-लेखा समिति के सभापति ने सभी राज्य विधान मण्डलों के लोक-लेखा समितियों का एक सम्मेलन बुलाया था । उस सम्मेलन की कार्यवाही यद्यपि गोपनीय है परन्तु फिर भी मुझे किसी ने बताया है कि उसमें यह निर्णय सर्व-सम्मति से किया गया था कि इस समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल का न हो ।

इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसा करने के लिये यदि नियमों में भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो ऐसा कर दिया जाये ।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : मैं श्री विट्ठलराव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष का है । मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिये नियमों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका नामनिर्देशन आप करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इसका निर्णय आप ही करेंगे क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मेरा एक निवेदन है कि इस संसद् के अन्त समय में हमें इस प्रथा को नहीं बदलना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखूंगा। मेरा भी यही विचार है कि नियमों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभापति का नामनिर्देशन अध्यक्ष महोदय करते हैं। हाउस आफ कामन्स में ऐसी प्रथा है कि जो व्यक्ति पहले मन्त्रिमण्डल में वित्त मन्त्री रहा हो उसको इस समिति का सभापति बनाया जाये। परन्तु क्योंकि हमारे यहां कोई मान्यता प्राप्त विरोधी पक्ष नहीं है इसलिये कठिनाई होती है। मेरे से पहले अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया था कि यदि किसी दल में ५० सदस्य हों तो उसको विरोधी पक्ष मान लिया जाये। इसलिये जब तक ऐसा विरोधी पक्ष यहां नहीं बन जाता है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी।

सिद्धान्ततः मैं उनकी बात का पक्षपाती हूं। देश के वित्त का भार वित्त मन्त्री पर है। उनकी सहायता के लिये प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियां हैं। इसलिये वित्त की ठीक आलोचना के लिये आवश्यक है कि उन लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष का हो।

माननीय संसद्-कार्य मन्त्री ने बताया कि इस समय इस संसद् का अन्तिम समय है इसलिये इस बार यह प्रयोग न करके अच्छा यह होगा कि हम आगामी सामान्य निर्वाचनों तक रुकें और अगली संसद् में इसके बारे में कार्यवाही करें।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव

†श्री बर्मन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६१ से आरम्भ होकर ३० अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध होने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य मनोनीत करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि पिछले प्रस्ताव पर चर्चा के कारण यह न समझ लिया जाये कि वर्तमान सभापति के विरुद्ध हमें कोई शिकायत है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है।

†अध्यक्ष महोदय : उस चर्चा का आधार व्यक्तिगत नहीं था। मैंने सभापति की सर्वदा प्रशंसा की है। क्योंकि उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

परिवहन तथा संचार मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी । माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं उन सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस विभाग की गत वर्ष की कार्यवाहियों की सराहना की है । विवाद में भाग लेने वाले पहले माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर मेरे साथी नौवहन मंत्री तथा असैनिक उड्डयन उपमंत्री दे चुके हैं । मैं अब अपने भाषण मे इन विभागों से सम्बन्धित उठाई गई बातों का उत्तर दूंगा ।

सब से पहले मैं श्री मसानी की बातो का उत्तर दूंगा । वह आलोचना कर रहे थे कि रेलवे तथा सड़क परिवहन को समान रूप से आवंटन नही किये गये हैं । मै समझता हूं कि श्री मसानी इस बात को जानते होंगे कि रेलवे राष्ट्रीय आस्ती हैं और ऐसा प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण इनको हानि हो । इस बात को मैं भी समझता हूं कि भविष्य में परिवहन का विकास करना होगा क्योंकि सड़क निर्माण की अपेक्षा रेल निर्माण पर अधिक धन व्यय होता है इसलिए जहां पर सड़कों का उपयोग किया जा सकता है वहां पर रेलों का निर्माण नहीं होगा । सरकार प्रयत्न करेगी कि इसी नीति का अनुकरण किया जाये । परन्तु इसके साथ साथ मैं श्री मसानी को चेतावनी भी दे देना चाहता हूं । संभवतया इसी नीति के कारण सरकारी क्षेत्र भी सड़क परिवहन के क्षेत्र मे न उतर आये ।

मैं बताना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में है क्योंकि वह यह समझती हैं कि ऐसा करने से उनकी आमदनी बढ़ जायेगी । मसानी साहब यह भी जानते हैं कि राज्य सरकारों को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है इसलिए वह अपना राजस्व बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन को हथियाने का विचार कर रही हैं । हम ने ही उनको रोक दिया है कि वह तीसरी योजना के अन्त तक ऐसा न करें । माननीय सदस्यों को इस बात को समझना चाहिए ।

श्री मसानी ने बताया कि हममें इतना साहस नहीं है कि हम अपनी सेवाओं के लिए अधिक धन की मांग करें । मेरे माननीय साथी बता चुके हैं और मेरा भी यही विचार है कि संसार में व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसको वह सभी कुछ नहीं मिल पाता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केवल प्रयत्न किया जा सकता है और हमने वही किया है । परन्तु सरकार ने अपनी योजनाओं की प्राथमिकतायें स्वीकार कर ली हैं और आवश्यक है कि हम उनको पूरा करें । यह शिकायत की जाती है कि कर बढ़ते जा रहे हैं । परन्तु मैं वित्त मंत्री की ओर से बता देना चाहता हूं कि यदि हमे अपनी योजनायें ठीक प्रकार से पूरी करनी हैं तो करों का बढ़ना आवश्यक है । वित्त मंत्री ने योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जो कुछ किया है वह उचित ही किया है । परन्तु फिर भी अब उन्होंने बता दिया है कि वित्त विधेयक को पुरस्थापित करते समय वह प्रयत्न करेंगे कि माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये उन करों, जिनका असर गरीब जनता पर पड़ता है, को कम करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री तारिक के प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटकों के लिए किये गये विज्ञापनों के कारण हमको पर्याप्त धन मिला है । रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार हमको पिछले वर्ष २०

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिली थी जबकि विज्ञापनों पर हमने प्राप्ति का लगभग ३ प्रतिशत व्यय किया था। इससे माननीय सदस्यों को स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि विज्ञापनों पर व्यय किये गये धन का सदुपयोग किया गया है। देश के निवासियों के लिए विज्ञापनों पर धन व्यय करना बेकार है क्योंकि उनसे हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। विज्ञापन तो विदेशों में ही करना है और इसीलिए विज्ञापनों के लिए विदेशों को धन देना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी तुलना में अन्य देश बहुत अधिक धन व्यय करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पर्यटन बढ़ने के साथ साथ विज्ञापनों पर हमारा व्यय भी बढ़ता जायेगा। हम दिल्ली में 'विज़िट दि ओरियन्ट' गोष्ठी का इस महीने में आयोजन कर रहे हैं। इससे हमारा उद्देश्य पश्चिम के देशों में यह प्रचार करने का है कि हमारी पर्यटन में रुचि है और पर्यटक भारत आकर क्या क्या देख सकते हैं।

मेरे साथी होटल आदि के बारे में बता चुके हैं। विभाग प्रयत्न कर रहा है कि पर्यटकों को उचित निवासस्थान दिया जाये। श्री तारिक ने शिकायत की कि इनमे से कुछ होटल आवश्यकता से अधिक किराया लेते हैं और इनमें काम करने वाले नौकर 'टिप' मांगते हैं। मैं श्री तारिक को बताना चाहता हूं कि पश्चिम में होटलों में यह लिखा रहने पर भी कि 'टिप मत दीजिये, 'टिप' मांगी जाती है। यदि आप 'टिप' नहीं देते हैं तो दोबारा वहां पर जाने पर आपके साथ 'टिप' देने वाले की तुलना में बुरा व्यवहार होगा। अशोक होटल में स्पष्टतया बता दिया जाता है कि 'टिप' नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि बिल में 'टिप' का पैसा पहले ही जोड़ लिया जाता है और बाद में नौकरों को वितरित कर दिया जाता है। इसलिए नौकरों से कह दिया जाता है कि 'टिप' के लिए पीछे पीछे न फिरें। मैं समझता हूं कि अशोक होटल के कर्मचारी 'टिप' नहीं मांगते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनको पर्यटकों के बिल का एक प्रतिशत मिल जायेगा।

श्री मसानी को मैं बताना चाहता हूं कि हम सड़कों में सुधार करना चाहते हैं। वह स्वयं जानते हैं कि सात टन वाले भारवाही 'टनर' तथा 'ट्रेलर' वर्तमान पुलों तथा सड़कों पर नहीं चलाये जा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पुलों तथा सड़कों को मज़बूत बनाया जाये। एक माननीय सदस्य ने 'एक्सप्रेस गाड़ियां' चलाने पर आपत्ति की क्योंकि इस पर बहुत धन व्यय होगा। परन्तु श्री मसानी ने ही उनकी बात का उत्तर दे दिया कि सड़कों पर शीघ्र यातायात के लिए आवश्यक है कि 'एक्सप्रेस गाड़िया' चलाई जायें।

असैनिक उड्डयन के बारे में मेरे साथी बहुत कुछ बता चुके हैं क्योंकि इसकी अधिक आलोचना नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन एक योजना बना रहा है जिसके द्वारा ट्रंक रूट्स पर अधिक यात्रियों वाले तेज़ विमान चलाये जायेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वाइकाउन्ट विमानों में अधिक यात्री ले जाने का स्थान नहीं है और हमें इसी से अधिक आमदनी हो रही है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि बम्बई–दिल्ली तथा दिल्ली–कलकत्ता मार्गों पर यात्रियों को विमानों में स्थान मिलने में दो सप्ताह तक लग जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तेज़ यातायात और तेज़ चलने वाले विमानों से अधिक लाभ होगा। हम ने तेज़ चलने वाले विमानों को सेवा में लाने की योजना बनाई है परन्तु वित्त की उपलब्धता सर्वोपरि है। यदि वित्त मंत्री हमें आवश्यक धन दे देंगे तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमें जो लाभ होगा उससे आवश्यक विदेशी मुद्रा हमें मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय ने आज या कल चालकों पर विवाद के लिए आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। मैं समझता हूं कि चालकों के सम्बन्ध में मैं तभी बताऊंगा। मैं अपने मित्र श्री ब्रजराज सिंह को बताना चाहता हूं कि हम इन विमान चालकों को नौकरी दिलाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु

उन्हें यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि तेज़ चलने वाले विमानों को रूट पर लगाने पर एयरलाइन्स कारपोरेशन को कम चालकों की ही आवश्यकता होग. । तेज़ चलने वाले विमानों के कारण कम विमान चलेंगे और इसीलिए चालकों की भी कम संख्या में आवश्यकता होगी । डकोटा विमान हटा देने पर प्रशिक्षित चालकों के लिए कम विमान रह जायेंगे । मैं श्री ब्रजराज सिंह की इस बात से सहमत हूं कि इन चालकों के प्रशिक्षण पर बहुत धन व्यय किया जाता है और इन चालकों का यथा-संभव उपयोग किया जाना चाहिए । मेरे साथी बता चुके हैं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय से कहा गया और वह इन चालकों को नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु उपमंत्री के ही शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय छोटी आयु के लोगों को नियुक्त करता है इसलिए इन बड़ी आयु के चालकों को नियुक्त करने में कठिनाई आती है । मेरे साथी उपमंत्री बता चुके हैं कि इस आयु के कारण ही हम ने एयरोड्रोम अफसरों तथा डिप्टी एयरड्रोम अफसरों के बारे में नियम बदल दिये हैं । मैं आशा करता हूं कि लोक सेवा आयोग इसका ध्यान रखेगा और इन लोगों को असिस्टेंट एयरोड्रोम अफसरों के रूप में नियुक्त कर लेगा ।

डाक विभाग के बारे में बहुत सी शिकायतें हुई हैं । मैं मानता हूं कि इन शिकायतों के कारण हैं । एक उदाहरण दिया गया कि एक तार पाने वाले के पास एक सप्ताह के बाद पहुंचा । इस प्रकार का मामला जब मुझे बताया जाता है तब मैं यही आदेश देता हूं कि तार करने वाले को तार पर व्यय की गई धनराशि लौटा दी जानी चाहिए । यह सच है कि इससे तार भेजने वालों को कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि वह कोई ज़रूरी सूचना भेजने के लिए तार करते हैं । परन्तु मेरा विचार है कि यदि उस व्यक्ति की जरूरी सूचना नहीं पहुंच सकी तो कम से कम उसका धन तो उसे लौटा ही दिया जाना चाहिए । एक आदमी ने तार दिया कि स्टेशन पर गाड़ी ले कर आ जाओ । तार पहुंचा नहीं । तो यात्री को कठिनाई हुई । ऐसी कठिनाई तो होना जरूरी है । हम इस प्रकार की असुविधायें न हों इसी के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं । परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि लाइनें टूट जाती हैं और हमें तार डाक से भेजना पड़ जाता है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि डाक तथा तार निदेशालय के हमारे सभी कर्मचारी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनायें न हों और तार ठीक समय पर पहुंच सकें । श्री तिवारी ने ३० मार्च को लखनऊ से डाले गये एक पोस्ट कार्ड के बारे मे भी यही शिकायत थी कि उनके पास वह दिल्ली मे ७ अप्रैल को पहुंचा । मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की घटनायें होती हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य पत्रों की उस संख्या को देखें जो संख्या आती जाती है तो उनको मालूम होगा कि उसकी तुलना में गड़बड़ी की घटनायें बहुत कम होती हैं । १९४८–४९ में ट्रंक टेलीफोन कालें २३०० लाख हुई थीं । १९५९–६० में यह बढ़ कर ३८०० लाख हो गईं । १९६०–६१ में यह ४००० लाख हो गईं । माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं । माननीय सदस्यों ने तथा जनता ने मुझे बताया है कि पिछले आय-व्ययक की तुलना में इस बार कुछ सुधार हुआ है ।

टेलीफोन कनेक्शन्स १९४८–४९ में १२०,००० थे जो १९६०–६१ में बढ़ कर ५,१२,००० हो गये हैं । तारों की संख्या २७ लाख से ४० लाख हो गई है इस प्रकार आप देखें कि सीमित यंत्रों के होते हुए भी हम ने अच्छा काम किया है ।

हमारी योजना दूसरी योजना में ४५०० और डाक घर खोलने की थी परन्तु हमने खोले ५,७९५ । इस प्रकार यह हमारे दूसरी योजना के लक्ष्यों से १,२९० अधिक हुए । प्रति दिन २०,००० और डाक-घरों से पत्रों का वितरण किया जाता है । इस प्रकार प्रतिशतता ३५.८ से बढ़ कर एक वर्ष में ३९.३ हो गई है । परिवहन शीघ्रता से करने २०० लाइनें लगाई जा रही है । १९६०–६१ में १४० नये तार

[डा० प० सुब्बरायन]

घर खोले गये हैं । ८३ नये टेलीफोन एक्सचेंज बनाये गये हैं तथा विभिन्न स्थानों पर १२० लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं । दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ रूट पर 'को-एक्सल' तार लगाये जा चुके हैं तथा लखनऊ और कानपुर के बीच सीधे डायल करने की पद्धति है । परन्तु इस पद्धति को दिल्ली-बम्बई अथवा दिल्ली-कलकत्ता के बीच लागू करना बड़ा कठिन काम है क्योंकि 'को-एक्सल' तारों को धीमी गति से डाला जाता है और तार भी उतनी शीघ्रता से नहीं बन पा रहे हैं जितनी शीघ्रता से हम चाहते हैं कि वह बनें । रूपनारायणपुर का कारखाना है हमारी आवश्यकता का आधा ही बना पा रहा है । तार बनाने का दूसरा कारखाना बनाने का हमारा विचार है ।

टेलीफोन का भी दूसरा कारखाना बनाने का हमारा विचार है । क्योंकि स्वयंचालित टेलीफोनों की जितनी मांग है हम उन को उस संख्या में नहीं बना पा रहे हैं । इसलिये हम ने सोचा है कि टेलीफोन उद्योग का दूसरा कारखाना बनाया जाना चाहिये जिससे और स्वयचालित टेलीफोन मशीनें मिल सकें और लगादी जा सकें ।

कई माननीय सदस्यों ने 'बिल' बनाने की प्रक्रिया के बारे में शिकायत की है । कठिनाई यह होती थी सभी प्रकार का हिसाब दिल्ली में रखा जाता था । अब हम ने इन कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है हम लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बिल कार्यालय खोल रहे हैं और मुझे आशा है कि बिल की पद्धति में सुधार हो जायेगा। यह शिकायतें की गई कि जनता से अधिक धन लिया गया है। मैं जानता हूं और मैं ने मामलों की जांच की है । मैं ने पाया है कि कभी कभी शिकायतें ठीक होती हैं । मैं ने यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा किस प्रकार हुआ है और प्रयत्न किया है कि जनता को कठिनाई न हो । कुछ लोग 'काल' का हिसाब रखते हैं और यदि उन के पास उन कालों से ज्यादा बिल आता है तो निश्चित है कि वह शिकायतें करेंगे । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उपभोक्ता के हिसाब के अनुसार ही बिल बनें ।

गुजरात के कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि गुजरात के लिये एक अलग सर्किल बनाया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि यह निर्णय कर लिया गया है कि पोस्टर मास्टर जनरल के कार्यालय के साथ साथ गुजरात का एक सर्किल बनाया जाये । हमारा विचार है कि प्रत्येक राज्य का डाक विभाग अलग होना चाहिये जिस से वह वहां के लोगों की शिकायतें जान सके और उन को दूर करने का प्रयत्न कर सकें । इसीलिये हमारी नीति यह है कि प्रत्येक राज्य का एक सर्किल बनाया जाये । केरल का एक सर्किल निदेशक के अधीन बनाया जा रहा है क्योंकि हम यह समझते हैं कि वहां पर पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति करना अभी आवश्यक नहीं है । यद्यपि मैसूर के लिये भी उन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की मांग की है परन्तु मैसूर के लिये भी निदेशक बनाया जा रहा है ।

श्री राधे लाल व्यास की शिकायत है कि मध्य प्रदेश के लिये अलग खंड नहीं बनाया जा सका क्योंकि वहां की सरकार इस काम के लिये इमारत का प्रबन्ध नहीं कर सकी । इस राज्य को राजस्थान में राजस्थान से पृथक किया जा रहा है । यह खंड नागपुर सर्किल के अधीन रहेगा ।

तूतीकोरिन तथा मंगलौर दोनों पत्तनों को विकास के लिये तीसरी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है । यह प्रसन्नता की बात है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन में चुन लिया गया है । यह संगठन नौवहन से सम्बन्धित है । हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नौवहन हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है जहां तक कार्मिक संघों को मान्यता देने का प्रश्न है वह मामला गृह-कार्य मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के हाथ में है । इस बात की सम्भावना है कि श्रम मंत्रालय किसी विकल्प व्यवस्था पर विचार कर रहा है । शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मददान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन तथा संचार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मत दान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग सख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	६४,१२,००००
८७	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	६८,६८,२६,०००
८८	डाक तथा तार का सामान्य राजस्व में दिये लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग.	१०,६०,३७,०००
८६	वणिक् नौवहन . .	६६,६८,०००
६०	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत	१,३८,००,०००
६१	ऋतु-विज्ञान	१,८३,४२,०००
६२	समुद्रपार संचार सेवा	१,३३,८८,०००
६३	उड्डयन . . .	६,०४,०३,०००
६४	केन्द्रीय सड़क निधि . .	४,००,०३,०००
६५	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	५,६७,६७,०००
६६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२,५४,२५,०००
१३३	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया) .	१८,६६,३४,०००
१३४	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३,६६,५८,०००
१३५	पत्तनों पर पूंजी व्यय	२,६४,४६,०००
१३६	सड़कों पर पूंजी व्यय .	२६,४८,६२,०००
१३७	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	१२,३०,८०,०००

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी ।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१-६२ के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		पये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	७०,८७,०००
२	उद्योग	१८,१०,०३,०००
३	नमक	४९,२१,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े . . .	८५,५१,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय . . .	२,१६,२०,०००
१०९	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२४,४४,२९,०००

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हो रही है यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तीसरी पच वर्षीय योजना का प्रथम आय व्ययक है। हमें यह देखना बड़ा जरूरी है कि हम अपने उद्योगों के लिये कोई अच्छी नीव तैयार कर ली है अथवा नहीं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गत कुछ वर्षों में हमारी औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये सरकार ने कुछ उपयोगी कदम उठाये हैं, जिन की प्रशंसा की जानी चाहिये। परन्तु इस के साथ यह बात भी है कि सरकार ने स मामले में एकाधिकार को पनपने का भी खूब अवसर दिया। मेरा निवेदन है कि उद्योगों का केंद्रीयकरण कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में न होने पावे, इस बारे में कोई उपाय नहीं किये गये हैं। हालांकि यह सरकार का कर्तव्य है और हमारे संविधान में जो निदेशक सिद्धान्त हैं उनके अनुसार यह उत्तर-दायित्व सरकार का है कि ऐसा न हो। लाइसेंसों को दे आदि में कुछ ऐसे काम कर के सीमेंट, साबुन, जमाये गये तेलों, रसायनों, अलौह धातुओं आदि के मामले में एकाधिकार की जड़ों को पक्का कर दिया गया है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है : लाभों में भी असाधारण वृद्धि हुई है। परन्तु मेरा निवदन है कि मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के साथ न्याय नहीं किया गया है। मंजूरियों में नाम मात्र की वृद्धि हुई है; परन्तु उपभोक्ताओं को वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक देना पड़ता है। सीमेंट का मामला भी एक ऐसा ही उदाहरण है।

यह तो स्पष्ट ही है कि बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं का उद्योग तथा व्यापार के एक बहुत बड़े भाग पर नियन्त्रण है। सरकार को सदन को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए कि ये संस्थायें कुल कितनी पूंजी पर नियन्त्रण रखती हैं। सरकार की गतिविधियों के कारण एकाधिकार काफी बढ़ गया है। मेरा मत यह है कि यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे हर हालत में रोका जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह सभा

†मूल अंग्रेजी में

को विश्वास में ले और विभिन्न औद्योगिक समूहों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में ब्यौरेवार आंकड़ों तथा तथ्यों का ज्ञान सभा को कराये ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि भारी बिजली सामान का कारखाना केरल में लगाया जाना चाहिये इसके बारे में केरल से आने वाले सभी संसद् सदस्य भी एक मत हैं ।

†श्री विमल घोष (बैरकपुर) : मैं निर्यात के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा निवेदन यह है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों को एक विभाग के अधीन लाया जाना चाहिए । उनके लिए एक पृथक् मन्त्रालय होना चाहिए । यह बात तो स्पष्ट ही है कि इन उपक्रमों से सरकारी राजस्व को बहुत थोड़ा लाभ हुआ है । उद्योगों को दीर्घकालीन आधार पर धन देने के लिये एक संस्था होनी चाहिये । मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का, जो कि विकास के बजाय धन देने का अधिक काम करता है, काम औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा करवाया जाना चाहिए ।

हमारे निर्यात व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है । द्वितीय योजना के अन्तर्गत कुल ६१५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का निर्यात हुआ है । १९५९–६० में कुछ अवस्था अच्छी हुई, लगभग १४ करोड़ का निर्यात और बढ़ गया । यह भी कोई सन्तोषजनक बात तो नहीं कही जा सकती । यह वृद्धि इसलिए हुई कि कीमतें बढ़ गयीं । इसके अतिरिक्त जो सब से गम्भीर बात है वह यह है कि माल की कोटि बढ़ गयी है । हमारा निर्यात हिसाब से लगभग ७०० करोड़ रुपये का होना चाहिए तब ही काम चल सकता है । अनुमान भी यह है कि तीसरी योजना में निर्यात ६९० करोड़ का हो जायेगा ।

बात यह भी है कि विदेशों में गम्भीर प्रतियोगिता है और साथ ही हमारी लागत भी बढ़ रही है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि निर्यात के बाजारों का पता लगाने के लिये सरकार को राज्य व्यापार निगम की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए । हमें केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात नहीं करते रहना चाहिए जिनका निर्यात हम बहुत समय से करते आये हैं । नयी चीजों का भी निर्यात किया जाना चाहिए । हमें इस दिशा में पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि नयी नयी चीजों का निर्यात नये नये नये बाजारों में किया जाय । खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास में बहुत बड़ी सम्भावना है । पांच छः चीजें तो ऐसी हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते । क्योंकि उनमें अमरीका और जापान जैसे देशों में मुकाबला करना हमारे लिए सम्भव नहीं । इसके अन्तर्गत संसार भर का ५० से ६० प्रतिशत निर्यात आ जाता है ।

हमारे मन्त्री महोदय को भी बताना चाहिये कि हम किस विधि से अपना निर्यात व्यापार विकसित कर सकते हैं । क्योंकि मुझे इस बात का भय है कि यदि हम अपने निर्यात की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते, तो हमारा भविष्य अन्धकारमय है ।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : इस मन्त्रालय की बात करते हुए मेरा यह कहना है कि इस मन्त्रालय का जो काम है यह पहले चार मन्त्रालयों के जिम्मे था । वाणिज्य का पद ही बिल्कुल दूसरा था । उद्योग का विषय अलग था । सरकारी क्षेत्र के उद्योग एक अलग मन्त्रालय के अन्तर्गत थे । मेरा निवेदन है कि इस मन्त्रालय के अधीन जो विभाग है, उनके बारे में मन्त्रालय को अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने चाहिये, जैसा कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालय करते हैं ।

हमारे औद्योगिक विकास अथवा आर्थिक नीति का मुख्य प्रयोजन यह है कि आर्थिक शक्तियों तथा उत्पादक संसाधनों का विकेन्द्रीकरण किया जाये । दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस नीति को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

लागू करने की दिशा में प्रगति नहीं कर रहे हैं। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है। मेरा मत यह है कि यदि इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने दिया गया; तो हमारे देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था थोड़े से बड़े बड़े उद्योगपतियों के अधीन चली जायेगी।

मैं सरकार का ध्यान बम्बई इकनामिक वीकली के नवम्बर व दिसम्बर के अंकों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनमें बड़ी भयावह बातें प्रकट की गयी हैं। बताया गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इस समय कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का कब्जा है। यदि इस प्रवृत्ति की रोकथाम न की गयी तो परिणाम खतरनाक होंगे।

और तो और औद्योगिक सम्पदायें जो कम आय वाले लोगों को **रोजगार** दिलाने के लिये खोली गयी थीं, वे भी धीरे धीरे बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चली जा रही हैं।

उद्योगों के लिए पूंजी की व्यवस्था कराने के लिये भारत सरकार ने अनेक निगमों की स्थापना की है। सभी का काम उद्योगों को ऋण देना है। जब काम एक ही प्रकार का है तो अनेक निगम बनाने से क्या लाभ होगा। एक ही निगम की स्थापना होनी चाहिये। जहां तक राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है वह केवल ऋण देने वाला निगम रह गया है। उसके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य उद्योगों का संवर्धन था। पर वह काम इस निगम से नहीं हो पा रहा। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से भी यही बात सिद्ध होती है। मेरी प्रार्थना है कि पुनर्वास उद्योग निगम को केवल ऋण-दाता निगम ही के रूप में न रखा जाय। इससे उद्योगों के संवर्धन का काम अवश्य लेना चाहिये। इस निगम का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। जहां पर विस्थापित हैं वहां इस निगम को छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना चाहिये।

जहां तक राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम के काम का सम्बन्ध है सबसे पहली चीज तो यह है कि इसे अपना प्रतिवेदन विस्तृत रूप में देना चाहिय ताकि ऋण प्राप्त करने वालों के नामों का भी पता चले। सुना जाता है कि एक सार्थ को जो निगम के बोर्ड में है ११० करोड़ रुपय का ऋण मिला है। मैं यह नहीं कहता कि यह विनियोजन ठोस नहीं है। यह ठोस है पर यह चीज खराब असर डाल सकती है।

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: क्या यह ऋण १ करोड़ १० लाख रुपया है। आपने तो ११० करोड़ रुपये कहा है।

†**श्री अ० चं० गुह**: जी हां, १ करोड़ १० लाख रुपया। वस्तुतः इस निगम को एसे लोगों को ऋण देना चाहिय जिन्हें बैंकों आदि से ऋण की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन विनियोजन ठोस होना चाहिये।

अब राज्य व्यापार निगम का सवाल है। यह ठीक है कि राज्य व्यापार निगम लाभ प्राप्त कर रहा है परन्तु लाभोपार्जन ही तो निगम का उद्देश्य नहीं है। निगम का वास्तविक उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और नयी मंडियों की खोज करना है। इसकी गवेषणा शाखा को यह काम अवश्य करना चाहिए। जहां तक विकास प्रशाखा का सम्बन्ध है उस बारे में वस्तुतः बात यह है कि उसके वर्गीय दफ्तर बनाने चाहिये। सारा काम दिल्ली में ही नहीं करना चाहिए।

हमें तीसरी योजना की अवधि के लिय लगभग २६०० से ३००० करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा चाहिए। यह तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि हम निर्यात की वृद्धि करेंगे। यदि हम निर्यात

---

†मूल अंग्रेजी में

की वृद्धि और आत्म निर्भरता प्राप्त न कर पाये तो हम बहुत ही बड़ी कठिनाइयों में फंस जायेंगे। हमें विदेशी ऋणों की अदायगी भी तो करनी है।

न केवल वस्त्रों के निर्यात ही में कमी हुई है वरन् पटसन की वस्तुओं और चाय के निर्यात में भी कमी हुई है। चाय के निर्यात में हुई कमी का वास्तविक कारण यह है कि अच्छी चाय तैयार नहीं की जा रही। चाय बागानों का स्वामित्व एक हाथ से दूसरे हाथ में शीघ्रता से बदलता जा रहा है। इससे तो यही अच्छा है कि चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ताकि प्रबन्ध स्थायी रूप से तो चलता रहे।

जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, यह बहुत खतरनाक चीज है कि भारतीय तत्सम्बन्धी नीति जूट मिल एसोसिएशन की सलाह से निर्धारित की जाया करेगी। सभा को इस प्रकार की खतरनाक प्रवृत्ति का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। जूट की सट्टेबाजी अभी तक भी चल रही है। कानून के बावजूद भी उसे रोका नहीं जा सका है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर ६०० करोड़ पया लगा हुआ है। उनसे आमदनी केवल ३ करोड़ पये की हुई। सिंदरी उर्वरक कारखाने की आय तो विशेष रूप से कम होती जा रही है। इसके लिये सरकार को अनुसन्धान करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज चूंकि बाद में आधे घंटे की चर्चा होगी इस कारण सभा ६ बज कर तीस मिनट तक बैठेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उद्योगों का उत्पादन पिछली दो योजनाओं के फलस्वरूप काफी बढ़ गया है। हमारा उत्पादन इन दो योजनाओं में ७० प्रतिशत बढ़ा है। बढ़ते हुए औद्योगीकरण का यह बड़ा अच्छा उदाहरण है।

१९५० में सम्पूर्ण उद्योगों में हमारी लागत पूंजी सात आठ सौ करोड़ रुपया थी। दो योजनाओं के अन्दर यह पूंजी बढ़ कर २७५५ करोड़ हो गई अर्थात् तिगुनी से भी अधिक। उद्योगों में लगी पूंजी की मात्रा योजनाओं के फलस्वरूप जितनी बढ़ी है, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है। हमारी योजनायें अभी तक कैपिटल इंटेंसिव रही हैं, प्रोडक्शन इंटेंसिव नहीं। हमारा उत्पादन ७० प्रतिशत बढ़ा है और हमारा इनवैस्टमेंट जो है वह तीन गुना से अधिक हो गया है।

हमने उद्योगों की उन्नति के लिए इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया ताकि सरकार इस देश में औद्योगिक प्रवृत्तियों को देश के हित में ठीक ठीक झुकाव दे सके। ऐसे उद्योग हम कायम करें कि जिन की देश को आवश्यकता है, जिन की जरूरत का कच्चा माल देश में ही उपलब्ध है तथा जिन के द्वारा हमारे लोक-कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूरा होता हो। उद्योग का स्फुरण हो, उद्योगों का डिसपर्सल हो, एक जगह वे इकट्ठे न हो पायें तथा कुछ इने गिने उद्योग-पतियों के हाथों में न रहने पायें और उनके हाथों में ही सारा हमारा धंधा न चला जाए, इसके लिए कानून में बड़े उद्योगों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए टैक्नीकल विशेषज्ञों को सलाहकारों के रूप में उद्योग मंत्रालय ने रखा हुआ है और एक डिवेलेपमेंट विंग कायम किया हुआ है जिस में वे काम करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार के उद्योग के लिए अलग अलग विभाग हैं और उनमें अपने अपने विषय के टैक्नीकल विशेषज्ञ हैं। वे हर एप्लीकेशन की, हर दरख्वास्त की जांच पड़ताल करते हैं और उनकी सिफारिशों पर उद्योगों को लाइसेंस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण चन्द्र]

दिए जाते हैं। इस डिवेलेपमेंट विंग के द्वारा बहुत से नए नए कारखाने अवश्य कायम हो गए हैं। परन्तु एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कि उसने सभा के सामने रखी है और जिसका जिक्र कई माननीय सदस्यों ने भी किया है, डिवेलपमेंट विंग के महकमों का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद कई त्रुटियां बताई हैं। उनमें से चन्द बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस रिपोर्ट के अनुसार डिवेलेपमेंट विंग के द्वारा उद्योगों में कुछ बड़े बड़े उद्योग पतियों का इजारा होता जा रहा है, मोनोपोली होती जा रही है। इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है कि लाइसेंस देते वक्त यह देखा जाए कि जिन के पास पहले से कितने कारखाने हैं उनको लाइसेंस न देकर उनको दिए जाएं जिन के थोड़े या कोई कारखाने नहीं चल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर डिवेलेपमेंट विंग का अधिक झुकाव रहता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जो बड़े बड़े अफसर डिवेलेपमेंट विंग में काम करते हैं वे उद्योगपतियों के यहां बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर बाद में नौकरी पा जाते हैं। डिवेलेपमेंट विंग की सिफारिश पर ही उद्योग को इम्पोर्ट लाइसेंस दिए जाते हैं, कच्चे माल के परमिट दिए जाते हैं। इसलिए यह जो संस्था है, यह बहुत शक्तिशाली बन गई है। वह उद्योगपतियों को निहाल और मालामाल कर सकती है।

वैसे डिवेलेपमेंट विंग का लघ उद्योगों से, छोटी इंडस्ट्रीज़ से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। परन्तु इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए टैक्नीकल जांच पड़ताल के लिए छोटे उद्योगों की दरख्वास्तें जब इस विंग के सामने कभी कभी जाती हैं तो डिवेलेपमेंट विंग का बरताव छोटे उद्योगों की तरफ अच्छा नहीं रहता है और वैसा बरताव उनके साथ नहीं किया जाता है जैसा बरताव बड़े उद्योगों के साथ किया जाता है।

अब मैं एम्प्लायमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी जितनी एम्प्लाइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जिस अनुपात में पूंजी बढ़ी है, उस अनुपात में एम्प्लायमेंट नहीं बढ़ा है। इकोनोमिक सर्वे की जो पुस्तिका हमको बजट के साथ मिली है उससे पता चलता है कि जो हमारा लक्ष्य था ८० लाख नए लोगों को द्वितीय योजना में रोज़गार देने का, वह पूरा नहीं हुआ है और हम केवल ६० लाख लोगों को ही रोज़गार दे पाए हैं। इसमें से अगर गवर्नमेंट डिपार्टमैंट्स, रेलवेज़ तथा अन्य सरकारी और अर्द्ध-सरकारी जो महकमे हैं और जिन्होंने ५० लाख लोगों को रोज़गार दिया है, निकाल दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जितने भी नए उद्योग इन पांच सालों में खुले हैं, उनमें हम केवल १० लाख नए लोगों को ही रोज़गार दे सके हैं जो बहुत कम हैं।

हमारे छोटे उद्योग जो हैं, खादी उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं उन्हीं के ज़रिये रोज़गार का फैलाव हो सकता है और रोज़गार आसानी से दिये जा सकते हैं और इस बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाया जा सकता है। अगर आप रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि अकेला खादी उद्योग जो है उसने पांच वर्ष में दस लाख नए लोगों को रोज़गार दिया है और पूंजी उसमें केवल इस पांच साल के अन्दर सात आठ करोड़ से अधिक नहीं लगी है। सात आठ करोड़ की पूंजी से उसने कोई दस लाख लोगों को नया रोज़गार दिया है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हमारी १९०० करोड़ की नई पूंजी लगी है और उनमें हम कुल दस लाख लोगों को ही रोज़गार दे पाए हैं।

हैंडलूम का उत्पादन भी, हमारे मंत्रालय के उद्योग से, उसके प्रयासों से काफी बढ़ा है। आजकल वह २०० करोड़ गज़ हो गया है। मिलों का कपड़े का उत्पादन ५०० करोड़ गज़ है और हैंडलूम्स का २०० करोड़ गज़। इससे स्पष्ट है कि अगर हम हैंडलूम पर और ज्यादा जोर लगायें और उसको प्रोत्साहन दें तो उसको हम मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े के परिणाम में ला

सकते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि हमने द्वितीय योजना में हैंडलूम का जो टारगेट रखा था, जो लक्ष्य रखा था, ७० करोड़ गज़ नया कपड़ा तैयार करना, वह हम पूरा नहीं कर सके हैं। १९५९ तक हम साढ़े छत्तीस करोड़ गज़ नया कपड़ा बना सके हैं हैंडलूम के द्वारा।

घरेलू उद्योग जिन पर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं और जिन पर महात्मा गांधी ने खास ध्यान दिया था, खत्म होते जा रहे हैं। उनका जो रूप है वह बदलता जा रहा है। घरेलू उद्योग आज लघु उद्योगों का रूप लेते जा रहे हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में घरेलू उद्योग वह उद्योग है जिसमें काम में आने वाले औजारों का मालिक वही होगा जो उसको चलाता है और जो अपने घर वालों की मदद से उस उद्योग को चला सकता हो। आज हम देखते हैं कि जो खादी उद्योग था और जो घरेलू उद्योग था वह भी लघु उद्योग में बदलता जा रहा है, वह भी स्माल इंडस्ट्री में बदलता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि लघु उद्योग जो हैं, वे कोई बुरी चीज़ें हैं। लघु उद्योगों में हमने बहुत बड़ी टैक्नीकल इम्प्रूवमेंट्स की हैं, उनको साइंटिफिक ढंग से चलाया जा रहा है और नई नई खोजों का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनसे प्राडकशंन भी बढ़ता है, माल भी अच्छा होता है, फिनिश भी अच्छा होता है। इन दोनों के बीच का जो भेद था वह मिटता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह अच्छी बात नहीं है। यह अच्छी बात है। आज खादी का जो उत्पादन हो रहा है वह भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा ज्यादा हो रहा है और छोटी छोटी संस्थाओं के द्वारा कम हो रहा है। ऐसी ऐसी संस्थाओं द्वारा वह हो रहा है जिन में लाखों की पूंजी लगी हुई है, बड़ी बड़ी विशालकाय मशीनें लगी हुई हैं, वायलर्ज़ लगे हुए हैं, कैलेंडरिंग मशीनें लगी हुई हैं, डाइंग मशीनें लगी हुई हैं। एक तरह से वे भी एक बहुत अच्छे कारखाने का रूप लेती जा रही हैं परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी जो खादी उद्योग को चला रही है, अब शोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। सूत कात कर जब कत्तिने लाती हैं और उसको वहां लाते हैं तो उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। जहां उनका सूत १० या १२ नम्बर का होता है वहां उनको ७-८ नम्बर का ही पैसा दिया जाता है। वे बेचारी असहाय हैं और मजदूर मात्र रह गए हैं और जो पैसा उन्हें दिया जाता है, उनको लाचार हो कर उसे ही लेना पड़ता है।

[श्री मूल चंद दुबे पीठासीन हुए]

घरेलू उद्योग लघू उद्योग का रूप लेते जा रहे हैं, यह मैंने बतलाया। यह अच्छी बात है कि रोजगार की समस्या को लघु उद्योग बड़े-उद्योगों की अपेक्षा अधिक सुलझा सकते हैं। उन के द्वारा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण भी हुआ है। उन से पूंजी कुछ आदमियों के हाथों में इकट्ठा होने से रुकती है, तथा साथ ही हम नये नये वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार ने लघु उद्योगों की प्रगति के लिये कितनी ही संस्थायें चलाई हुई हैं जिनके द्वारा उनको तरह तरह के प्रोत्साहन आर्थिक सहायता के रूपमें, टेकनिकल मदद के रूप में और तरीकों के रूप में सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं। इन प्रेरणाओं से प्रेरित हो कर बहुत से नौजवान लोग, जो शिक्षित लोग थे वे हर तरफ से आकर्षित हुए और उन्होंने जो कुछ उनकी पूंजी थी उसे इकट्ठा करके उसमें लगाया और बहुत से लघु उद्योग खड़े कर लिये। इस तरह से लघु उद्योगों की प्रगति पिछले सालों में बहुत अधिक हुई है।

अब हम देखते यह हैं कि लघ उद्योगों में छोटे आदमी, छोटी ूंजी वाले, लग जाते हैं। उनको यह आशा रहती है कि सरकार की तरफ से, जैसा कि बताया भी जा रहा है, उनको मदद मिलेगी, उन को हर तरह से सहायता मिलेगी,। लेकिन अपनी पूंजी को फंसा देने पर उनको पता चलता है, छोटे आन्ट्राप्रेनर्स को, कि जितनी मदद देने के वादे उनसे किये गये थे,वह आसानी

[श्री कृष्ण चन्द्र]

से उनको नहीं मिल सकती । सरकार के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, फिर तीसरे दफ्तर से स्थानीय सरकार, फिर स्थानीयसरकार से प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक सरकार से भारत सरकार और भारत सरकार से प्रादेशिक सरकार, तक उनको चक्कर काटना पड़ता है, जिससे वे परेशान हों जाते हैं, इतने धक्के खाकर भी वे देखते हैं उनका कोई काम नहीं चलता, जितनी पूंजी उन्होंने खुद इकट्ठा की उससे काम नहीं चलता है, तो वे परेशान होजाते हैं क्योंकि छोटी छोटी सहूलियतों के लिये उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक चक्कर काटना पड़ता है ।

सरकारी अधिकारियों का बड़े उद्योगों के प्रति जो रुख रहता है मदद का वह रुख छोटे उद्योगों की तरफ नहीं रहता है । बड़े उद्योग जो हैं उनके पास पैसा होता है, वे थोड़े काम के लिये भी सरकारी अफसरों से मेल मिलाप कर के इस काम में जो निपुण आदमी होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाह देकर अपना काम करवा लेते हैं । छोटे उद्योगों के लिये यह सम्भव नहीं है । मैं लघु उद्योगों की दिक्कतों और परेशानियों को यहां पर इस दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस देश के औद्योगीकरण में जो तेजी से प्रगति की है उसका मुझे आभास नहीं है । उद्योग मंत्रालय ने बहुत शानदार काम किया है और कर रहा है और वह हमारी बधाई का हकदार है जहां यह देश कुछ वर्षों पहले छोटी छोटी चीजों के लिये विदेशों का मोहताज था वहां अब वह बड़ी से बड़ी चीजें, यहां तक कि भारी भारी बिजली की मशीनें भी, अपने यहां तैयार कर रहा है ।अब विदेशों से मंगाने के बजाय हमारे देशके कारखानों में बना हुआ तरह तरह का माल हम प्रतिवर्ष बाहर भेज रहे हैं । परन्तु हम चाहते हैं कि जो भी हमारी कमियां हैं जिनसे हमारें उद्योग को धक्का लग रहा है उनको हम मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करें ताकि हमारे सुयोग्य व लगनशील मंत्री उनको दूर करके हमारे लघु उद्योगों की प्रगति में चार चांद लगा दें ।

लघु उद्योगों का वास्ता प्रादेशिक सरकार और भारत सरकार दोनों से है । उस पर दोहरा नियंत्रण है, डबल हुकूमत है । भारत सरकार जिम्मेदारी प्रादेशिक सरकार पर डालती है और प्रादेशिक सरकार का कहना है कि हम क्या करें, भारत सरकार के हाथ में डेवेलपमेंट विंग है, इम्पोर्ट अधिकारी हैं और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है ।सब चीज उनको वहीं से मिलती हैं,अगर वह नहीं देते हैं तो हम लघु उद्योगों के लिये क्या कर सकते हैं । दिक्कत उनकी यह है कि जो चीजें कच्चे मालकी मैनुफैक्चरर के काम आती हैं, जैसे अलकोहाल है, जिन पर एक्साइज ड्यूटी है, उनको अगर बड़े मैनुफैक्चरर खरीदते हैं तो उनको एक्साइज ड्यूटी में छूट मिल जाती है, लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर उसकी जरूरत होती है तो उनको छूट नहीं मिलती ।यानी अगर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले अलकोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक्साइज ड्यूटी पूरी देनी पड़ती है जब कि बड़े उद्योग वाले अगर इस्तेमाल करते हैं तो वे उससे एग्जेम्ट हो जाते हैं ।

जो हमारी टीमें उद्योगों की स्टडी के लिये विदेशों को जाती हैं उनके लिये नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल बनी हुई है, उसके द्वारा हर साल करीब करीब किसी उद्योग की टीम बाहर जाती है ।उसमें हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका प्रतिनिधित्व नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल में ज्यादा है, छोटे उद्योगों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है । नतीजा यह होता है कि जितनी टीमें जाती हैं उनमें ज्यादातर बड़े पूंजीपति जाते हैं, बड़े उद्योगपति जाते हैं, छोटे उद्योगपति उन में अपना अपना स्थान नहीं पा सकते । बड़े उद्योगपति तो वैसे ही अपने खर्च से जा सकते हैं । उनका सम्पर्क विदेशी उद्योगपतियों से काफी है । हम को छोटे उद्योग वालों को भेजना चाहिये, जिनको मौका नहीं मिल रहा है ।

इनकम टैक्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इनकम टैक्स भी हमारे लघु उद्योगों पर उतना ही है जितना कि बड़े उद्योगों पर। अगर किसी ने अपनी छोटी सी कम्पनी खोल ली है और उसमें प्राफिट १५ या २० हजार का होता है तो उस ने जो पैसा उधार लिया है कम्पनी के वास्ते उसकी किस्त भी उसी में से देनी पड़ती हैं। जब वह देखता है कि उसके प्राफिट में से आधे के करीब इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं और जो थोड़ा बहुत उसके पास बचता है उस में से कैपीटल के लिये जो रुपया लिया है उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पाता तो उसे बहुत परेशानी होती है। मेरा सुझाव यह है कि मिनिस्ट्री इसकी ओर ध्यान दे।यह बात मैं कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सामने रखता हूं वह इस तरफ ध्यान दे। जो छोटी इंडस्ट्री है जिस ने कि एक छोटी कम्पनी खोल ली है, उनका थोड़ा सा कैपीटल है, जिसका उसको इंटरेस्ट भी देना है, इसलिये उस के ऊपर ४५ परसेंट इनकम टैक्स जो रक्खा गया है वह नहीं होना चाहि ।

यह जो दिक्कतें हैं उनको मैंने उद्योग मंत्रालय के सामने इस उम्मीद के साथ रक्खा है कि वह इसकी तरफ ध्यान देंगे और छोटे उद्योगों को जो दिक्कतें हैं,उनकी जो खमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री न० रं० मुनिस्वामी (वेल्लौर)** : सामान्य रूप से किसी देश की सुख समृद्धि व्यापार पर निर्भर करती है। हम भी व्यापार को बढ़ा कर अपने देश को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। हमारी आयात निर्यात नीति काफी संतुलित है और हमें आशा है कि हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा। आयात निर्यात के बारे में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं ।पहली बात तो यह है कि निर्यात और आयात के लिये अलग-अलग नियंत्रक होने चाहिएं और दूसरे प्रदेशवार काम का विभाजन होना चाहिए । इससे दक्षता आएगी और काफी फायदा होगा। इसके अलावा आयात आदि की अनुज्ञप्तियां देने का काम भी शीघ्र ही करना चाहिए । मुझे एक ऐसे व्यक्ति का पता है जिसको तीन चार वर्ष की अवधि के बाद अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई । इतना समय नहीं लगना चाहिए । अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त कर देना चाहिए ।

इस समय खादी आयोग को ८९ लाख रुपया दिया जा रहा है। वह बड़ी अच्छी चीज है परन्तु प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उस आयोग में काफी अनियमितायें हैं। इस आयोग का उद्देश्य गरीबों को सुविधायें प्रदान करना था पर वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अतः इस क्षेत्र में सरकार को प्राक्कलन समिति की सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करनी चाहिये । समिति ने लिखा है कि जनता का जो रुपया उस आयोग को दिया जाता है उसे उन्हीं प्रयोजनों पर खर्च करना चाहिए जिनके लिए वह दिया जाता है ।

राज्य व्यापार निगम पहले पहले इस उद्देश्य से बनाया गया था कि उन राष्ट्रों से व्यापार करने में आसानी रहे जिनका ढांचा एकाधिकारमयी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। किन्तु अब निगम का काम व्यापक बनाया जा रहा है जो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम कुछ चीजों का आयात रुपये में भुगतान के आधार पर कर लेते हैं। ऐसा चलता है पर हमें इस चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कि जो देश हमसे कोई माल खरीदे वह अपने ही उपयोग के लिए खरीदे, दूसरे स्थान पर निर्यात करने के लिए नहीं।

रुपये में भुगतान के आधार पर आयात चलता तो है परन्तु इससे हमें लाभ कुछ नहीं होता। इससे बढ़िया तो यही तरीका है कि हम अदायगी को ही रोक कर करें। मेरे विचार में सरकार को इस बात पर समुचित ध्यान देना चाहिए। हमारे मंत्रालय का यह कर्त्तव्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० मुनिस्वामी]

है कि वह अन्य देशों में हमारे उत्पादन आदि के बारे में काफी प्रचार करे। मैंने जो भी एक दो देश देखे हैं, उनमें जाकर यही पाया है कि हमारे देश की चीजों का प्रचार बड़ा कम है।

जहां तक सिंदरी उर्वरक कारखाने का प्रश्न है पहले पहल हमें इसके बारे में काफी आशायें दिलाई गयी थीं। परन्तु अब जाकर पता चलने लगा है कि वहां उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि कारखाने के कुछ पुर्जे घिस गये हैं जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता या जा कुछ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यह सब बातें ठीक हैं परन्तु इसके जिम्मेदार प्रबंधकों को इसे ठीक कराना चाहिए। यह प्रबंधक ही का दोष है। यदि यह ठीक नहीं होता तो उसे दंड देना चाहिए। इस प्रकार से काम नहीं चल सकता। इसके अलावा उर्वरकों के विवतरण की व्यवस्था को भी सुधारने की आवश्यकता है।

जहां तक राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम का सम्बन्ध है इस निकाय का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि उद्योगों का विकास संतुलित ढंग से हो सके। परन्तु ऋण देने के अवाला यह निगम और कुछ भी नहीं कर रहा। इस कारण प्राक्कलन समिति ने यहां तक भी कह दिया है कि इसे समाप्त ही कर दिया जाय। पर मैं इतनी बात तो न कहूंगा और केवल यही कहना चाहूंगा कि इस निकाय का प्रधान कोई मंत्री न होजर गैर-सरकारी सदस्य होना चाहिए।

†**डा० कृष्णा स्वामी** (चिंगलपुर): सबसे पहले मैं भारतीय प्रतिनिधि के उस कार्य की प्रशंशा करूंगा जो उन्होने जी०ए०टी० टी० में किया है। उस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि जी० ए० टी० टी० को बाह्येक्षक होना चाहिए।

अब निर्यात का प्रश्न उठता है। हमें दुख से यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि हमारा निर्यात आशवान ढंग से नहीं हो रहा। हमें निर्यात किये गये सामान से इतनी आय भी नहीं हो पा रही कि हम उससे आयात का खर्चा भी पूरा सकें। हमें इस दिशा में और ज्यादा प्रभाव-पूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। योजना आयोग का कहना है कि हर साल हमें ८१४ करोड़ रुपये के सामान का आयात करना चाहिए और ६९० करोड़ रुपये के सामान का निर्यात करें। वे १२४ करोड़ रुपये की कमी हर साल छोड़ना चाहते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। सर अलेक्जेंडर मैक्डूगल का कहना है कि १९७० तक हमें १५०० करोड़ रुपये का निर्यात करना चाहिए। यदि इतना न हुआ तो हमें व्यापारिक दृष्टि से सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। अतः मंत्रालय को खुली दृष्टि से ठीक उपाय करने चाहिएं।

निर्यात बढ़ाने के लिए अनिवार्य चीज यह है कि पहले तो हमें पैदावार को बढ़ाना है और उसी के साथ ही लागत को उचित सीमाओं में रखना है और तीसरे हमें अपना माल वहां पर बेचना है जहां पर इसका विक्रय हो सके।

यह सच है कि हमारे देश क औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है परन्तु हमारी परम्परागत चीजों के उत्पादन में तो २ या ३ प्रतिशत स ज्यादा की वृद्धि नहीं हुई है। यह प्रवृत्ति काफी खतरनाक है। मुद्रा बाहुल्य के युग में जब तक बुनियादी उत्पादन की वृद्धि न होगी तब तक हमारी समस्यायें हल न हो सकेंगी। हमें चाय, पटसन आदि उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। चाय और पटसन से पहले हमने काफी फायदा उठाया है

†मूल अंग्रेजी में

पर हमने उस लाभ को संभाल कर उससे और और ज्यादा विकास के काम में लगाकर, पूरा लाभ नहीं उठाया। यदि हम अपने उद्योगों को स्थायी बना लेते तो आज हमें इस समय का अवलोकन न करना पड़ता। इस कारण इन सब बातों का पूरी तरह से परीक्षण करना चाहिए।

जहां तक जाय का प्रश्न है, श्रीलंका जैसे देशों ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मंडियों पर अपना अधिकार कर लिया है। चाय के निर्यात में हम निरंतर परास्त होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने वास्तव में इस उद्योग के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। योजना आयोग का यह कहना है कि हमें परम्परागत वस्तुओं के निर्यात से ज्यादा लाभ नहीं होगा पर यह विचार सरासर गलत है। हमें नयी निर्यात योग्य चीजें बनानें में देर लगेगी इसलिए परम्परागत चीजों को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीलंका ने चाय के उत्पादन में ३५ % की वृद्धि की है और भारत में केवल १७/१८ % तक की वृद्धि हुई है।

हमारे देश के वस्त्रोद्योग की हालत भी खतरनाक है। जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है कहना न होगा कि हम अन्य देशों की अपेक्षा दुगनी लागत पर चीनी तैयार करते हैं। हमें इस दिशा में भी उपयुक्त कदम उठाने चाहिऐं। इसके इलावा चीनी में सुरकोज तत्व की वृद्धि करने के लिए भी हमें यत्नशील होना चाहिए।

हम अपने निर्यात को तभी बढ़ा सकते हैं जब कि हम नये और खुले तरीकों से काम करें। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे देश में ऐसे उद्योगों का विकास हो रहा है जिनसे वह चीजें बनने लगेंगी जिनके फलस्वरूप आयात में बचत हो जायगी। परन्तु यह चीज ज्यादा ठीक नहीं है हम जो उद्योग लगा रहे हैं उनके संधारण और रख-रखाव के लिए हमें विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ेगा। इसलिए उस मार्ग में काफी अड़चनें आएंगी।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें योजना आयोग की बातें ज्यादा न सुननी चाहिए बल्कि सर मैक्डूगल की बातों पर ध्यान देना चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): सब से पहले मैं श्री बिमलघोष की बात पर विचार करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा है कि हमें सरकरी क्षेत्र के उपक्रमो से कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इससे अभी ज्यादा आशा भी नहीं रखनी चाहिए। अभी जितना पैसा हमने लगाया है उतना ही हमें फल प्राप्त होगा। योजना के प्रारूप में यह चीज आयी है कि योजना की अवधि में हमें सरकारी उपक्रमों से ४४० करोड़ रुपये का योग मिलेगा। यह, मैं समझता हूँ, खासी अच्छी रकम है।

हमारे एंटीवायोटिक्स कारखाने और मशीन टूल फैक्टरियां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि वे किन्हीं ऐसे सरकारी उपक्रमों के नाम बतायें जो पांच साल से चालू हों और ठीक तरह से न चल रहे हों। इस बात पर मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता।

सरकारी क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं वे सबके सब बड़ी सावधानी से चलाये जा रहे हैं। संसद में उनकी हर बात के बारे में पूछताछ होती है। वस्तुतः उनका काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चंद्र माथुर]

जहां तक देश में आर्थिक एकाधिकारों का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में हम यह तो कह सकते हैं कि पिछले सालों में धन का संचय कुछ एक हाथों में हुआ है पर इसका यह मतलब नहीं है कि आर्थिक एकाधिपत्यों की स्थापना हो गयी है।

यद्यपि हमारी औद्योगिक नीति पूर्णरूप से स्पष्ट है तथापि धन का संचय कुछ लोगों के पास ही होता रहा है। मैंने जहां तक इस चीज के कारणों को जानने की कोशिश की है उनसे मैं तो यही समझ पाया हूँ कि इस विकास के युग में शुरू शुरू में गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ लोग अपने पुराने अनुभव के आधार पर लाभ उठा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे नये तरीके ढूंढ़ने चाहिएं जिससे कुछ एक हाथों में धन का संचय न होने पावे। किन्तु मौजूदा आर्थिक ढांचे के अन्तर्गत ऐसा संभव नहीं है। हमें आखिर साहसपूर्वक यही बात माननी पड़ती है कि कुछ एक हाथों में ही धन का संचय हो रहा है।

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि यह संस्थायें बहुत लाभ उठा रही हैं। हमें एक बात नहीं भूल जानी चाहिए कि इन दस वर्षों में अर्थात् १९५१ से १९६१ तक वस्तुओं के मूल्यों के देशनांक १०० से १२९·३ बढ़ गये हैं। कच्चे माल को लीजिए। कच्चे माल के मूल्य देशनांकों से पता लगता है कि वह १०० से १५९.७ हो गये हैं। इसलिए केवल निर्माताओं पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुधरे तरीकों से हम उत्पादन व्यय कम कर सकते हैं परन्तु इसका भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि कच्चा माल भी पहलें से ज्यादा मंहगा हो गया है।

इस मंत्रालय ने जो अच्छे काम किए हैं अब मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस मंत्रालय नें छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर बहुत बल दिया है। इसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा छोटे पैमाने के उद्यागों के विकास की नीति बनाने पर भी प्रशासन ने इसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया है और इसीलिए इन उद्योगों के विकास की जितनी तेजीसे जरूरत हैं उतनी तेजी से यह नहीं हो पा रहा है। पिछले छः महीनों से इन उद्योगों के लिए यंत्रों का भी आयात नहीं किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम के पास यत्रों का आयात करने के लिये पेशगी के कई सौ आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। बड़े अफसोस की बात कि उन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पेशगी धन देने के लिए निगम को कुछ करोड़ रुपया दे देना चाहिए।

हमें बताया गया था कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर उप-कर लगाया जायेगा। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इस बात को एकदम भुला दिया गया है। मैंने इस बारे में सभा में कई बार प्रश्न पूछा है परन्तु एक बार भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

अब मैं आयात तथा निर्यात के मुख्य निदेशालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस निदेशालय का काम देखकर अब आश्चर्य चकित रह गया हूं। इस विभाग ने बड़ी ही प्रगति की है। मैं आशा करता हूं कि इस निदेशालय के अफसरों ने काम करने में जितनी प्रगति दिखाई हैं उतनी ही निम्नस्तर पर भी शीघ्र ही प्रगति हो जायेगी।

अब मैं राज्य व्यापार निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसको कमीशन एजेन्ट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। यह गैर-सरकारी संस्थाओं को मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लाइसेंस दे देता है और उनसे २ १/२ प्रतिशत कमीशन ले लेता है। हम मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आवश्यक, हो जाता है कि हम यह कमीशन न लें।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए : —

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	८८	श्री अरविन्द घोषाल	सिंदरी टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के उत्पादन में कमी	१०० रुपये
१	८९	श्री अरविन्द घोषाल	राज्य व्यापार निगम के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
१	९०	श्री अरविन्द घोषाल	सभी आपात निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	९१	श्री अरविन्द घोषाल	प्रवीण तथा अति प्रवीण कर्मचारियों की कमी के कारण हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में कमी	१०० रुपये
१	९२	श्री अरविन्द घोषाल	देसी छोटे पैमाने के साबुन उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	९३	श्री अरविन्द घोषाल	सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आधरूप व प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की आवश्यकता	१००रुपये
१	९४	श्री अरविन्द घोषाल	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया खरीद योजना को उदार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	४३९	श्री आसर	सिंदरी उर्वरक कारखाने में अधिक उर्वरक बनाने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	४४०	श्री आसर	कोयना परियोजना के निकट छिपलम में उर्वरक कारखाना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	४४१	श्री आसर	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उत्पादन में कमी	१०० रुपये
१	४४२	श्री आसर	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में गड़बड़ी रोकने में असफलता	१०० पये
१	४४३	श्री आसर	छोटे पैमाने के साबुन उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	४४४	श्री आसर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रया व क्रय ोजना से मशीनों को लेने में विलम्ब	१०० रुपये
१	४४५	श्री आसर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रया व क्रय योजना को उदार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४८८	श्री कोडियान	जी० ए० टी० टी० के बारे में नीति	१०० रुपये
१	१४८९	श्री कोडियान	रबड़ के टायरों के मूल्य कम करने की आवश्यकता	१०० पये
१	१४९०	श्री कोडियान	उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकत।	१०० रुपये
१	१४९१	श्री कोडियान	एकाधिकार जमाने वालों को नये लाइसेंस न दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४९२	श्री कोडियान	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का प्रबन्ध	१०० रुपये
१	१४९३	श्री कोडियान	विदेशी व्यापार में परिवर्तन की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४९५	श्री कोडियान	बेबी कार बनाने की योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१४९६	श्री कोडियान	उद्योगों के लाभों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४९७	श्री कोडियान	मध्यम वस्तुओं के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में कारखाने बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४९८	श्री कोडियान	नारियल जटा तथा रबड़ उद्योगों के गवेषणा कार्यक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१४९९	श्री कोडियान	केरल के सरकारी क्षेत्र में और उद्योग स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
१	१५००	श्री कोडियान	केरल में दूसरा हैवी इलैक्ट्रिकल्स संयंत्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५०१	श्री कोडियान	राज्य व्यापार निगम का कार्यवहन	१०० रुपये
१	१५०२	श्री कोडियान	राज्य व्यापार निगम के कार्यवहन में मितव्ययता करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५०३	श्री कोडियान	राज्य व्यापार निगम के लिये भवन बनाने के लिये गैर-सरकारी शिल्पियों को ठेका देना	१०० रुपये
१	१५०४	श्री कोडियान	राज्य व्यापार निगम द्वारा मसालों का विदेशों में व्यापार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५०५	श्री कोडियान	औद्योगिक लाभों के बारे में आंकड़े प्रकाशित करने में असफलता	१०० रुपये
१	१५०६	श्री कोडियान	ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के लाभ प्रकाशित कराने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१५०७	श्री कोडियान	नई औद्योगिक यूनिटों के विवरण के बारे में नीति	१०० रुपये
१	१५११	श्री कोडियान	नारियल जटा उद्योग का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१२	श्री कोडियान	अन्य देशों से अदला बदला व्यापार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१३	श्री कोडियान	निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का अंश बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१४	श्री कोडियान	नये लाइसेंस जारी करने में नीति परिवर्तित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१५	श्री कोडियान	मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१६	श्री कोडियान	अन्तर्समवाय विनियोजन पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५१७	श्री कोडियान	विदेशी विनियोजनों की अनुमति देने के बारे में नीति	१०० रुपये
१	१५१८	श्री कोडियान	विदेशी सहयोग की अनुमति देने के बारे में नीति	१०० रुपये
१	१५१९	श्री कोडियान	मोटर गाड़ियों तथा उनके पुर्जों के मूल्यों में मितव्ययता करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५२०	श्री कोडियान	चाय का विदेशी व्यापार करने की आवश्यकता	१०० रुपये

माग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१५२२	श्री कोडियान	समवाय विधि प्रशासन विभाग के पदाधिकारियों के वेतन में व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५२३	श्री कोडियान	संयुक्त सचिव कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५२४	श्री कोडियान	उच्चाधिकारियों से संबद्ध व्यक्तिगत कर्मचारियों को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	१५२५	श्री कोडियान	विदेशों में गये प्रतिनिधिमंडलों पर व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	९५	श्री अरविन्द घोषाल	भारतीय मान संस्था द्वारा मान निर्धारित करने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
२	९६	श्री अरविन्द घोषाल	सेंट्रल मार्केटिंग संगठन की शाखायें सभी जिलों में खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	९७	श्री अरविन्द घोषाल	केन्द्रीय मार्केटिंग बोर्ड के अधीन राज्य मार्केटिंग संगठनों का समन्वय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	९९	श्री अरविन्द घोषाल	कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की किस्म सुधारने की योजना की आवश्कयता	१०० रुपये
२	१००	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों में परिवर्तन की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०१	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१०२	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०३	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों की उत्पादन क्षमता का मार्ग-निर्देशित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०४	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं को बाजार में भेजने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०५	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतिद्वन्द्विता का संरक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०६	श्री अरविन्द घोषाल	प्रादेशिक कला के अनुसार हस्तशिल्प का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०७	श्री अरविन्द घोषाल	डिजाइन केन्द में असानी से सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०८	श्री अरविन्द घोषाल	क्षेत्रवार प्राथमिक केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१०९	श्री अरविन्द घोषाल	उद्योगवार प्राथमिक केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१२३	श्री अरविन्द घोषाल	कम आय वाले चाय बागानों का एकीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१२४	श्री अरविन्द घोषाल	चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१२५	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे बन्द किए गए चाय बागानों को सहकारी समितियों द्वारा चलाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१२६	श्री अरविन्द घोषाल	कच्चे जूट के मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	१२७	श्री अरविन्द घोषाल	विदेशी बाज़ार में जूट की बिक्री के लिए जूट के मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१२८	श्री अरविन्द घोषाल	जूट तथा जूट की वस्तुओं में सट्टेबाज़ी समाप्त कर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१२९	श्री अरविन्द घोषाल	निर्यात के लिए चाय की किस्म सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३०	श्री अरविन्द घोषाल	उन चाय निर्यातकर्ताओं के लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता जिन्होंने नमूने के अनुसार विदेशों में चाय न भेजी हो ।	१०० रुपये
२	१३१	श्री अरविन्द घोषाल	ग्रीन चाय बनाने वालों को काली चाय बनाने की मशीन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३२	श्री अरविन्द घोषाल	हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की ग्रीन चाय के लिये बाज़ार खोजने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३३	श्री अरविन्द घोषाल	राज्य व्यापार निगम के द्वारा जूट और चाय का निर्यात करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३४	श्री अरविन्द घोषाल	उत्तम किस्म की काफी की पैदावार की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३५	श्री अरविन्द घोषाल	रुई तथा कपड़े के मूल्यों के नियंत्रण के मामले में वस्त्र आयुक्त को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१३६	श्री अरविन्द घोषाल	एकीकृत प्रारंभिक संस्था की योजना के द्वारा पश्चिम बंगाल के नारियल जटा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३७	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर में रेशमकीट-पालन का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३८	श्री अरविन्द घोषाल	ग्राम्य तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शनियां करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१३९	श्री अरविन्द घोषाल	साधारण उत्पादकों को गवेषणा कार्यों के परिणाम बताने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१४०	श्री अरविन्द घोषाल	प्रादेशिक भाषाओं में गवेषणा कार्य के प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१४१	श्री अरविन्द घोषाल	हाथ करघों को बिजली करघों में बदलने पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१४२	श्री अरविन्द घोषाल	खादी के मूल्य कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५८	श्री अरविन्द घोषाल	औद्योगिक विकासयुक्त पश्चिमी देशों में हस्तशिल्प का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५९	श्री अरविन्द घोषाल	प्रत्येक ज़िले में वाणिज्यक संग्रहालय स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१६०	श्री अरविन्द घोषाल	औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक संग्रहालय स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१६१	श्री अरविन्द घोषाल	कुटीर उद्योगों के उत्पादों का उचित विपणन करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१६२	श्री अरविन्द घोषाल	बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक के रूप में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१६३	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं के मूल्यों को समान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१६४	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगों में मुफ्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१७८	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे पैमाने के उद्योगो के प्रशिक्षार्थियों को नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१७९	श्री अरविन्द घोषाल	लघु उद्योग सेवा संस्था का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८०	श्री अरविन्द घोषाल	लघु उद्योग सेवा संस्था और स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८१	श्री अरविन्द घोषाल	सभी प्रकार के उत्पादनों की किस्मों पर नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८२	श्री अरविन्द घोषाल	उत्पादनों की किस्म सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८३	श्री अरविन्द घोषाल	सभी उद्योगों के उत्पादनों की किस्म बनाये रखने के लिये निरीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८४	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में रेशम की किस्म का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८५	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में 'मसलिन' प्रकार की सिल्क का उत्पदन पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१८६	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में 'मसलांडी' प्रकार की दरियां बनाने वालों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८७	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में पोलो गेंद बनाने में सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८८	श्री अरविन्द घोषाल	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये औद्योगिक योजना की अंशत: असफलता की जांच करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१८९	श्री अरविन्द घोषाल	औद्योगिक सहकारी समितियों की शर्तें उदार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९१	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगो की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९२	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात में कांच का कारखाना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९३	श्री मो० ब० ठाकुर	पाटन गुजरात राज्य में पटोला कुटीर उद्योग को पुन: चालू करने में असफलता	१०० रुपये
२	१९४	श्री अरविन्द घोषाल	विभिन्न गवेषणा केन्द्रों के लिये प्रशिक्षार्थी चुनने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२१४	श्री अरविन्द घोषाल	खादी उत्पादन में एकाधिपत्य दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२१५	श्री अरविन्द घोषाल	उलुबेरिया की नारियल जटा संस्था के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	२१६	श्री अरविन्द घोषाल	अम्बर चर्खा का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४४६	श्री आसर	रत्नगिरी जिले मे छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४४७	श्री आसर	कोयना परियोजना के निकट चिपलुन में कागज, उर्वरक तथा अलुमीनियम उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४४८	श्री आसर	लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा और सूचना दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४४९	श्री आसर	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री की व्यवस्था करने में विलम्ब न होने देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४५०	श्री आसर	औद्योगिक सहकारी समितियों की शर्तों को उदार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४५१	श्री आसर	सरकारी कार्यालयों द्वारा छोटे पैमानों के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के क्रय की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४५२	श्री आसर	विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार करने के लिये प्रचार केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६२	श्री आसर	वस्त्रों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	४६३	श्री आसर	छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों में परिवर्तन करने का संगठन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	४६४	श्री आसर	महाराष्ट्र में नारियल जटा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६५	श्री आसर	ठेके के मूल्यों पर सूत देकर हथ करघा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६६	श्री आसर . .	महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नगिरी जिले जैसे पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६७	श्री आसर . .	सरकारी अभिकरणों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए उचित राय देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६८	श्री आसर .	बड़े पैमाने के उद्योगों से छोटे पैमाने के उद्योगों को बचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	४६९	श्री आसर . .	छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं के लिए उत्तम विपणन सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	११११	श्री अरविंद घोषाल .	प्रारम्भिक केन्द्रों को एक स्थान रखने के बजाय राज्यों तथा विभिन्न यूनिटों में समान वितरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५०८	श्री कोडियान . .	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद का कार्यवहन	१०० रुपये
२	१५०९	श्री कोडियान . .	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण देने में विलम्ब न होने देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५१०	श्री कोडियान .	विकास विंग तथा विकास परिषद का कार्यवहन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१५२६	श्री कोडियान	अफसरों के वेतन तथा भत्ते के व्यय में कमी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५२७	श्री कोडियान . .	उद्योगों में एकाधिकार रोकने में असफलता	१०० रुपये
२	१५२८	श्री कोडियान .	गवेषणा कार्यक्रमों का पुनर्नवीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१५२९	श्री कोडियान	अल्प विकसित राज्यों को अपर्याप्त अनुदान	१०० रुपये
२	१५३०	श्री कोडियान .	नारियल जटा उद्योग को अपर्याप्त केन्दीय सहायता	१०० रुपये
२	१५३१	श्री कोडियान . .	हथकरघा उद्योग के बारे में वर्तमान नीति	१०० रुपये
४	९८	श्री अरविंद घोषाल	विश्व के सभी महत्वपूर्ण नगरों में व्यापार केन्द खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	११७	श्री अरविंद घोषाल	समवाय विधि प्रशासन के समक्ष लम्बित मामलों को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	११८	श्री अरविंद घोषाल	अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तथा प्रदर्शन वस्तु भेजने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	११९	श्री अरविंद घोषाल	वायदा बाजार आयोग के नियंत्रण से कृषि वस्तुओं को हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	१२०	श्री अरविंद घोषाल .	ग्राम्य क्षेत्रों में मीट्रिक पद्धति का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	१२१	श्री अरविंद घोषाल .	विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों की संख्या कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये

माग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५	१२२	श्री अरविन्द घोषाल .	जापानी कपड़े के आयात तथा विक्रय में कमी ।	१०० रुपये
५	२२८	श्री मो० ब० ठाकुर .	ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिक प्रणाली के बांटों तथा प्रमापों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५	२२९	श्री मो० ब० ठाकुर .	गुजरात में बन्द मिलों को पुनः खोलने में असमर्थता ।	१०० रुपये
५	४९६	श्री आसर .	मीटरिक मापों तथा प्रमापों को भारतीय नाम देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५	४९७	श्री आसर . .	विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों की संख्या घटाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

सभापति महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं श्री क० च० रेड्डी का वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के रूप में स्वागत करता हूं । निस्संदेह इस मंत्रालय ने पिछले वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है । आंकड़ों से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहली योजना में हमने बड़े उद्योगों में ४०० करोड़ रुपयों का विनियोजन किया अब तीसरी योजना में हम २५०० करोड़ रुपयों का विनियोजन कर रहे हैं। तथापि भारी उद्योगों को प्रारम्भ करने में प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में उपयुक्त प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

मैं मंत्रालय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह निर्णय किया है कि पंजाब में मशीनी उद्योग का कारखाना आरम्भ किया जाये । यह कारखाना लुधियाना में स्थापित होना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : सभा अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार आरम्भ करेगी । माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा सोमवार को पुनः आरम्भ कर सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक--जारी

†**सभापति महोदय** : सभा अब २४ मार्च, १९६१ को श्री झूलन सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :

"कि भारत में तेलों को जमाये जाने से रोकने तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयकको पर विचार किया जाये ।"

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश के अन्दर जब वनस्पति तेल बनना शुरू नहीं हुआ था उस वक्त भी इस देश के अन्दर लोग तेल खाते थे । बड़े और खुशहाल आदमी घी और मक्खन खाते थे और गरीब आदमी जिनकी की इस देश में बहुत बड़ी तादाद थी, तेल खाते थे । मेरे एक साथी ने यह खतरा जाहिर किया था कि तेल मे, एक जगह से दूसरे स्थान में भेजने की वजह से और देर लगने के कारण उस में कुछ खराबियां आ जाती हैं । लेकिन इसका भी डर नहीं था क्योंकि हमारे देश के अन्दर छोटी छोटी तेल की घानियां होती थीं और वह किसी एक सूबे में ही नहीं थीं बल्कि तमाम सूबों में मौजूद थीं और तकरीबन हर देहात के अन्दर तेल की घानी होती थी । जिस को भी तेल चाहिये था उसको खाने के लिए ताजा तेल मिल सकता था और इसलिए तेल में देरी होने की वजह से कोई खराबी आने का अंदेशा नहीं था । वनस्पति तेल तो एक तरीके से उन भाइयों के रास्ते में जो कि घी खाते थे, रोड़ा बना हुआ है । अगर वनस्पति तेल खाने वाले भाई लोगों का ही सवाल होता तो हमें इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं थी । अब अगर कोई भाई तेल को जमा कर और सफेद रंग का बना कर खाना चाहे तो उसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता है लेकिन सवाल तो यह है कि जो भाई इस देशके अन्दर देशी घी खाना चाहते हैं वह भी तो इस देश के ही निवासी हैं और उनका भी इस देश के अन्दर अधिकार है । जो घी खाना चाहते हैं उन को शुद्ध घी मिल सके । और जो ईमानदारी से देशी घी का अपना कारोबार करना चाहते हैं, इस देश के अन्दर घी पैदा करते हैं या इस देश के अन्दर पशु धन पालते हैं उनकी भी रोजी ईमानदारी से चल सके । मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है । अगर यह सवाल न होता तो शायद तेल जमाने के ऊपर रोक लगाने के बारे में कोई विधेयक इस सदन में लाने की जरूरत नहीं होती ।

हर कोई इस बात को जानता है कि एक जमाना था जब इस देश के अन्दर घी, दूध की बहुत इफरात थी और इस देश को घी और दूध बहने वाला देश समझा जाता था । देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अच्छे तगड़े पशु होते थे और यहां पर घी और दूध काफी मिकदार में मिलता था । कुछ ऐसे भी देश थे जहां कि उस जमाने में घी और दूध की पैदावार उतनी नहीं थी जितनी कि आज वहां पर है । आप जानते हैं कि आज दुनिया के अन्दर दूध या दूध से बनी हुई चीजें पैदा करने के बारे में डेनमार्क का नाम बहुत ऊंचा है लेकिन एक ज़माना था जब उस देश में दूध की पैदावार इतनी अधिक नहीं थी जब कि हमारे देश के बारे में कहा जाता था घी और दूध की नदियां बहा करती थीं । अब हमारे देश के

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणबीरसिंह]

अन्दर घी और दूध की पैदावार क्यों कम हुई, उस के ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना है। यह तो हर एक भाई मानता है और जो वनस्पति तेल के हक में हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि जहां तक घी का ताल्लुक है, घी वनस्पति की अपेक्षा अधिक शक्तिदायक और स्वास्थ्य-वर्धक है। अब अगर कोई भाई देशी घी खा सकता है उसकी क्षमता के अन्दर है तो वह देशी घी ही खाना चाहेगा। अब लोग वनस्पति इसलिए खाते हैं कि देशी घी या तो उनकी क्रय शक्ति के बाहर है या उनको शुद्ध घी मिल नहीं सकता है। हमें इस सवाल पर गम्भीरता-पुर्वक सोचना चाहिए कि आज हमारे देश में घी और दूध की कमी क्यों हो रही है ? हमारे वहां पशुधन का निरन्तर ह्रास हो रहा है। हमारे देश के अन्दर ३१ करोड़ पशु हैं लेकिन उनकी हालत दयनीय है। उसका कारण यह है कि विदेशी शासन काल मे इस देश के अन्दर हालात ऐसे पैदा हुए जिस से पशु धन धीरे धीरे कम होता गया।

वनस्पति तेल से खुराक में घी और दूध की कमी होने से देश के लोगों के स्वास्थ्य को चोट पहुंचाई। इसके साथ ही साथ इस देश के अन्दर जहां लोगों को कारोबार देने का सवाल था उस में भी बड़ी भारी चोट पहुंचाई। इस देश के अन्दर हर एक गांव के अन्दर जो घानियां चलती थीं वह चलनी बंद हो गईं। प्लानिंग कमिशन के हिसाब के मुताबिक तो शायद वह फीगर थोड़ी हो लेकिन जैसे कि एक सदस्य ने कहा था कि जो आबादी बढ़ी उसका हिसाब अगर लगाया जाय तो तीसरी पंचसाला योजना आरम्भ होने तक तक हमारे देश के अन्दर ऐसे भाई जिनको कारोबार नहीं मिला या इस योजना के बीच जिनकी उम्र कारोबार करने लायक हो जायगी, प्लानिंग कमिशन के अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद कोई डेढ़ करोड़ है। लेकिन जो दूसरे साथी हैं उनके अंदाजे के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद २ करोड़ से ज्यादा है। हमारे देश के अन्दर जो खुराक की समस्या है और जिसकी कि वजह से इस देश के लोगों की सेहत कर ने की शक्ति कम हो गई है, उसको हल नहीं कर पाते हैं और न ही लोगों को रोजगार देने के सवाल को हल कर पाते हैं। इसलिए हमें इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचना होगा।

मंत्री महोदय ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह बतलाया था कि हमारे देश में करीब २० लाख नाकारा पशु हैं। अब हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में नकारा पशु होने का कारण यह है कि हमने यहां पर ऐसे हालात पैदा नहीं किये जैसे हालात कि डेनमार्क के अन्दर हैं।

सभापति महोदया, आप दिल्ली में रहती हैं इसलिए आप जानती होंगी कि दिल्ली के नजदीक पड़ौसी जिले रोहतक और हिसार में हिन्दुस्तान की सब से बढ़िया मवेशियों की नसल रहती है। पशुधन का व्यापार जो कलकत्ते, बम्बई या मद्रास से चलता है तो पशुओं को लाने के लिए व्यापारी लोग रोहतक और हिसार पहुंचते हैं। लेकिन जब दूध के कारखाने कायम करने और क्रीमरी चलाने का सवाल आता है तो उनको देश के दूसरे हिस्सों में खींच ले जाते हैं। आज के जमाने में खींचतान का नतीजा कोई बहुत ज्यादा सही नहीं रहता है। अब यही वजह है कि जो भाई कलकत्ता और बम्बई शहर में रहते हैं अजीब हालत है कि हमारा जो बढ़िया से बढ़िया पशुधन उनके द्वारा कलकत्ता ले जाया जाता है, बम्बई ले जाया जाता है, एक ब्यांत दूध देने के बाद वह बूचड़ खाने में पहुंच जाता है।

जो पशुधन इस देश की दौलत है, वैसा अच्छा पशुधन पैदा करने के लिये, उस हालत तक पहुंचने के लिये देश के दूसरे इलाकों को कई साल लगेंगे। लेकिन देश में परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि ऐस अच्छे पशुओं की उम्र एक साल में खत्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि जिस जगह का पशुधन अच्छा है, वहां ऐसे कारखाने नहीं लग सके, जहां मिल्क पाउडर या क्रीम या दूध की बनी हुई और चीजें पैदा की जायें, ताकि वे पशु उसी जगह रह सकें। उन लोगो को पशुओं से प्यार है, लेकिन जब उनको पशु की अच्छी कीमत मिलती है, तो उन को बाहर भेजना पड़ता है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से वहां व्यापारी आते हैं। वे लोग दूध पीने के बाद पशु से प्यार नहीं करते। हमारे देश में ऐसे हालात नहीं है कि जिस स्थान पर अच्छे पशु पैदा होते हो, वे वहां ही रह सकें। लेकिन दूसरे देशों में इस समस्या को हल किया गया है। वहां इस बात की कोशिश की गई है कि पशुओं की नस्ल का सुधार हो और पशु पालने वालों की आर्थिक हालत ऊंची हो। वनस्पति ने देश को जो नुकसान पहुंचाया है, उस में सब से बड़ा नुकसान यह है कि उस ने हिन्दुस्तान के पशु-पालन करने वाले भाइयों की इकानोमिक्स को खराब कर दिया है और यह सब से बड़ी बद-किस्मती है कि इस देश में ऐसे हालात नही पैदा होने दिये कि जिस से यहां लोग पशुपालन कर सकें और पशुओं की नस्ल की तरक्की कर सकें। सरकार को दस बारह साल तक इस बात का मौका दिया गया कि वह कोई रंग तलाश कर सके, लेकिन वह इस मे कामयाब नहीं हुई। आगे तेल को जमाने के बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस देश में घी खाने वाले भाइयों की तादाद बहुत बड़ी है। जो भाई वनस्पति खाने वाले हैं, उन की बात को इस देश ने दस साल तक बर्दाश्त किया उन लोगों की मरज़ी के खिलाफ़ जो घी खाने वाले हैं और पैदा करने वाले हैं। अब समय आ गया है कि वनस्पति खाने वाले भाई कुछ दिन के लिये कुर्बानी करें और जब तक देश के साइंटिस्ट कोई ऐसा रंग तलाश न कर सकें, जिस से वनस्पति को रंगा जा सके और इस प्रकार घी की मिलावट को रोका जा सके, कम से कम तब तक के लिये तेल को जमाना बन्द कर दिया जाये, ताकि इस देश में, जहां लोगों की खुराक खराब है, खाने के लिये अच्छा घी मिल सके, लोगों को तेल-घानी लगा कर धंधा मिल सके, घी खाने वालों को घी मिल सके और घी पैदा करने वाले अपने पशुधन की तरक्की कर सकें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली)** : मैं माननीय सदस्य को उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिये कर्त्तव्य निष्ठता तथा विश्वास के लिये बधाई देता हूं। सभा में हुई चर्चाओं के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तेलों पर जमाये जाने पर रोक लगनी चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में जोधपुर रियासत का भी अनुभव है वहां पर तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री का यह विचार था कि यह संभव नहीं है और बिना जमाये हुए तेलों के रियासत का काम नहीं चल सकता है। यदि ऐसा किया जायेगा तो रियासत में घी मिलना भी कठिन हो जायेगा। तथापि दस वर्षों तक रियासत के अन्दर वनस्पति घी नहीं जाने दिया गया और वहां घी भी उसी भाव से बिकता रहा जो उसकी प्रचलित दर थी।

मुझे विश्वास है कि यदि हम इस विधेयक को स्वीकार कर लें और इस बात को स्वीकार कर लें कि शुद्ध घी जमाये हुए तैलों से अच्छा है और ताजे तेल भी जमाये हुए तेलों से अच्छे होते हैं तो हमें देश में पर्याप्त मात्रा में ताजे तेल और घी उपलब्ध होने लगेंगा। इस समय भी देश में जमाये ए तेल का जितना उत्पादन होता है वह यहां होने वाली कुल घी की खपत से केवल आधा ही है।

यह बहुत आश्चर्य और दुख का विषय है कि कि हमारे देश में निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का इतना प्रभाव है कि यद्यपि इस विषय पर कई बार सभा में चर्चा हो चुकी है और सदस्यों ने इस विषय पर बहुत उत्साह दिखाया है तथापि हमारी सरकार या वैज्ञानिक इस विषय में कुछ भी नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र]

कर पाये हैं। यह अत्यन्त दुख की बात है कि वनस्पति घी भी हमारे जीवन का वैसा ही अंग बन गया है जिस प्रकार एक समय चीन में अफीम उनके जीवन का अंग बन गयी थी। वस्तुतः वनस्पति घी अफीम से भी अधिक हानिकर है, यह एक हल्का विष है जोकि धीमे धीमे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है। इससे पशु जीवन पर बहुत घातक प्रभाव होगा। इससे गांवों के घानी उद्योग को बहुत हानि हुई है, इस उद्योग को करने वाले लोग बेकार हो गये हैं, तथा लोगों में बेईमानी भी आ गयी है।

यह बात विश्वास के योग्य नही है कि इसको रंगने के लिये कोई उपयुक्त रंग खोजा नहीं जा सका है। इससे जनता के हृदय में सरकार की सदाशयता पर संदेह पैदा हो गया है। यह असंगत बात है कि वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल प्रगति के इस युग में ऐसा रंग नहीं खोजा जा सके। ऐसे समय जब कि सरकार इस ओर प्रगति कर रही है वनस्पति में रंग मिलाने के विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रलेख चित्र भी दिखाये जाने आरम्भ हो गये हैं। समाचार पत्रों यहा तक कि कुछ सरकारी प्रकाशनों में भी इसके विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर की प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला ने ऐसे रंग की खोज कर ली है। वह न तो देखने में ही बुरा है और न उसकी गंध ही बुरी है। तथापि उस के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ लोगों का यह विचार है कि मामूली हल्दी से भी यह प्रयोजन हल हो सकता है। तथापि यह ज्ञात नहीं है कि हल्दी के सम्बन्ध में इस उद्देश्य से यह प्रयोग कर लिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल रंग करने से ही यह समस्या हल नहीं होगी। इसका वास्तविक हल यह है कि वनस्पति घी का उत्पादन तत्काल बन्द कर दिया जाय।

समझ में नहीं आता है कि वनस्पति घी में विटामिन मिलाने से क्या लाभ है। यदि विटामिन मिलने हैं तो वह अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाये जा सकते हैं। हमें शुद्ध तेल खरीदने चाहिये क्योंकि वह सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। वस्तुतः जमाये हुए तेलों का व्यवहार अपेक्षकृत गरीब जनता द्वारा किया जाता है क्योंकि उन्हें शुद्ध घी खरीदने की क्षमता नहीं है। वनस्पति घी के द्वारा उन्हीं का शोषण किया जा रहा है। दुख की बात है कि सरकार इस कार्य से ५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर के रूप में कमा रही है।

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यदि वनस्पति घी का उत्पादन बन्द कर दिया जायेगा तो सारी मशीनें और संयंत्र बेकार हो जायेंगे। वस्तुतः यह बात सही नहीं है उनका प्रयोग किसी दूसरे कार्य के लिये किया जा सकता है। चाहे वे सारी मशीनें बेकार भी चली जायं तो भी कोई बात नहीं क्योंकि वे लोग पहिले ही बहुत लाभ कमा चुके हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार का प्रतिकर नहीं मिलना चाहिये।

†**श्री अमजद अली (घुबरी)**: इस विधेयक के खंड २ का आशय मेरे समझ में अभी तक नहीं आया है मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने उत्तर मे उसका स्पष्टीकरण करेंगे।

तेलों को जमाने से रोकने के सम्बन्ध में सब से पहिले अस्थायी संसद में विचार प्रगट किया गया था। तब से यह विषय इसी प्रकार निलम्बित पड़ा हुआ है। उस समय तत्कालीन खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वनस्पति को रंगने के बारे में एक समिति नियुक्त की जायेगी तथापि तब से आज तक इस समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें चाहिये था कि हम इस विषय में

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिकों की सहायता लें । वनस्पति घी को रंगने से विशुद्ध घी में वनस्पति नहीं मिलायी जा सकेगी और मिलावट में रोक लगेगी । वनस्पति घी जनता के स्वास्थ्य के लिये घातक है, मेरा मत तो यहां तक है कि यह एक प्रकार का विष है जो धीमे धीमे शरीर पर प्रभाव डालता है ।

वस्तुतः सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है सरकार को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करे जिससे हमें ज्ञात हो कि सरकार की इस मामले में क्या नीति है ।

†**श्री खाडिलकर (अहमदनगर)** : वर्तमान विधेयक पर चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन एक निश्चित मात्रा में चिकनाई की भी आवश्यकता है । जिस प्रकार हमारे देश में सम्पत्ति के वितरण की विषमता है उसी प्रकार हमारे देश में पशु धन के वितरण में भी असमानता है । राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में पशुओं की अच्छी संख्या है और वे दूध भी खूब देती हैं किन्तु आसाम तथा दक्षिण भारत में पशुओं की संख्या बहुत कम है । अतः यह स्थिति है कि चाय बनाने को एक छटांक दूध भी उपलब्ध नहीं होता है । तब ऐसी अवस्था में भला घी किस प्रकार बनाया जा सकता है । अतः समस्या यह नहीं है कि वनस्पति के उत्पादन से घी को खतरा है समस्या यह है कि घी की मिलावट को किस प्रकार रोका जाये ।

देश में घी की कीमत इतनी अधिक है कि गरीब व्यक्ति को घी उपलब्ध नहीं हो सकता है । तथापि हमारे भोजन में चिकनाई की आवश्यकता है यदि हमें एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में चिकनाई नहीं मिलेगी तो उसका हमारे स्वास्थ्य में घातक प्रभाव पड़ेगा । यदि अधिक घी का उत्पादन किया जा सके और उसकी कीमत सस्ती की जाय तो लोग स्वभावतः ही वनस्पति के स्थान में घी लेना पसन्द करेंगे । तथापि घी इतना महंगा है कि सामान्य जनता घी नहीं खरीद सकती है ।

जो व्यापारी लोग घी में वनस्पति घी की मिलावट से पैसा कमा रहे हैं उन्हें आप रंग मिटाने के तरीके ढूंढने से नहीं रोक सकते हैं । अतः केवल रंगने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है । इसके लिये हमें कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिये । खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वाले लोगों को कड़ा दंड दिया जाये ।

हमें देश के पशुधन की रक्षा करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये केवल जबानी सहानुभूति जताने से और यह कहने से कि वनस्पति से पशुधन को हानि हो रही है, पशुधन की रक्षा नहीं हो सकती है ।

†**डा० सामन्त सिंहा (भुवनेश्वर)**: विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी वनस्पति का व्यवहार किया जा रहा है, जिन माननीय सदस्यों ने इसके विरुद्ध अपना मत दिया है, उनके भाषणों में भाववेश अधिक है तर्क कम ।

इसके सम्बन्ध में डाक्टरों को कोई ऐसा निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है जिसमें वनस्पति को स्वास्थ्य का घातक कहा गया हो । यह भी कहा जा रहा है कि इसके उद्योग से घानी उद्योग को धक्का लगा है तथा देश के पशुधन पर आघात हुआ है । तथापि यह बात सही नहीं है । क्या आप घरेलू उद्योग धंधों को बनाये रखने के लिये कपड़ा उद्योग पर आघात कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सामन्त सिन्हा]

वस्तुत: वास्तविक समस्या यह है कि वनस्पति का उपयोग घी में मिलाने के लिये किया जा रहा है। अत: हमे इसे रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। निसंदेह ऐसे रंग की खोज की जाये जिससे कि वनस्पति की पहिचान हो सके।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वनस्पति से न केवल बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है अपितु इससे सरकार को आय भी हो रही है और इससे हम कुछ विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं।

श्री वाल्मिकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री जी, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। तथा इसमें प्रदर्शित भाग्य का अभिनन्दन करता हूं। हमारा भारतवर्ष देश राम और कृष्ण की पुण्य भूमि है और यह वह भारत देश है जहां पर कि कभी घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। आज वहां पर शुद्ध घी, दूध का तो कहना ही क्या, शुद्ध पीने पानी का भी अभाव है। मैं किसी भावुकता के साथ नहीं बल्कि गम्भीरता के साथ इस विषय को इसलिए लेता हूं। क्योंकि रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पति या डालडा को घी के रूप में जमाया जाना उचित नहीं है। आज सारे देश के अन्दर वनस्पति घी के प्रति एक अश्रद्धा ही नहीं बल्कि विरोधात्मक भावना भी मौजूद है। इस वनस्पति आयल के बारे में डाक्टरों का कुछ भी मत हो लेकिन मैं इस विचार को मानता हूं कि शुद्ध घी शुद्ध घी बना रहना चाहिए और वनस्पति आयल जो कि तेल का एक रूप है वह तेल के रूप में रहना चाहिए।

मुझे याद है कि आज से २०-२५ साल पहले जब मैं भारतवर्ष की गुलामी के पंजे से आजाद करने के लिए एक मामूली कार्यकर्ता की हैसियत से आजादी की लड़ाई लड़ता हुआ देश में घूमता था तो एक बार भुसावल से एक मील चल कर जब मैं ताप्ती नदी के किनारे खड़ा हुआ था तो मैंने जो दोहा उस समय कहा था वह इस अवसर पर मुझे याद आ रहा है :—

तप्त हृदय वर ताप्ती, गिरि उर घुनै शरीर
मां पहला भव कहां, रजत कनक घट क्षीरि।"

अभी कल या परसों रेल में एक यात्री ने एक वनस्पति के विरोध में शेर पढ़ा था और वह भी मुझे इस मौके पर याद आ रहा है और वह इस प्रकार है :—

"पहले सब्जी घी से बनती थी
अब घी सब्जी से बनता है
पहले औरत बच्चा जनती थी
अब सारा आलम जनता है।"

घी हमारे शरीर के लिये और शक्ति देने के लिये जितना आवश्यक है उतना वनस्पति तेल आवश्यक नहीं है। वनस्पति तेल या टायलस हमें हानि पहुंचाता है। वह हमारे हृदय की धमनियों को और जो मस्तिष्क की पतली शिराएं हैं उनको मोटा करने में सहायता देता है और इस तरह से जीवन का ह्रास होता है।

हमारे देश में अच्छे घी का अभाव इस वजह से भी है कि हमारे पशुधन का ह्रास हो रहा है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में गौधन का निरन्तर ह्रास होता चला जा रहा है। हमारी सरकार का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व हो जाता है कि पशुधन और गौधन की रक्षा करे और शुद्ध

घी जो दूध के जानवरों से प्राप्त होता है उसको कम न होने दिया जाय और उसकी शुद्धता बनाये रखने की दिशा में जोरदार कदम उठाया जाय। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय देश भर में जो आवाज उठ रही है कि वनस्पति आयल जो कि सफेद रंग में घी की शक्ल में जमाया है उस में रंग मिला दिया जाये, उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस आवाज की उपेक्षा नहीं करेंगे और शीघ्र ही इस वनस्पति आयल में कोई रंग मिलाने के वास्ते सक्रिय कदम उठावेंगे। अब सारे देश में यह आवाज उठ रही है कि इस वनस्पति आयल और डालडा में कोई कलर दिया जाय, कोई रासायनिक क्रिया इस रूप में की जानी चाहिए लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है जो कि अभी तक हमारे साइंटिस्ट्स इस विज्ञान के युग में को उसके वास्ते उपयुक्त रंग नहीं तलाश कर पाये हैं.....

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): सभापति महोदया, मैं आपकी इजाजत से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं वनस्पति आयल कभी नहीं खाता, मैं शुद्ध सरसों का तेल खाता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब से लोग यह वनस्पति आयल खाने लगे हैं तब से हिन्दुस्तान में बच्चे क्यों ज्यादा पदा होने लग गये हैं ?

श्री बाल्मीकी : बड़ा विचित्र सवाल है।

मैं यह जरूर चाहता हूं कि सरकार वनस्पति आयल में कोई उपयुक्त रंग मिलाने के लिये भरसक प्रयत्न करे ताकि आज जो घी में मिलावट हो रही है वह बन्द हो सके और लोगों को शुद्ध घी मिल सके। हमारी सरकार को एक जनतन्त्री सरकार होने के नाते जनता की इस वनस्पति में कलर देने की आवाज पर ध्यान देना चाहिये। सरकार को जहां पशुधन और गोधन के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये वहां देश में जो घानियां मृतप्रायः हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिये। जनता को शुद्ध तेल और घी प्राप्त होना चाहिये। जो सरसों का तेल अथवा और तेल खाना चाहे उसे शौक से खायें.....

श्री बाल्मीकी : जहां तक मिलावट का सवाल है चाहे वह तेलों में हो अथवा घी, अनुचित है और यह खेद का विषय है कि यह मिलावट घी के अन्दर बहुत जमाने से किसी न किसी रुप में होती रही है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहता हूं और मेरा उनसे आग्रह है कि यह मिलावट जैसे भी हो, रोकी जाय। आज भी व्यक्तिगत लाभ के लिये घी और तेलों में मिलावट की जाती है। मिलावट करने के अपराध में जो लोग पकड़े भी जाते हैं उनको पूरी सजा नहीं मिलती है। होना तो यह चाहिये कि ऐसे लोग जो कि मिलावट करने के अपराधी पाये जायें उनको कड़ा दण्ड दिया जाये क्योंकि उनकी यह हरकत समाज विरोधी है और उसका मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वे मिलावट करके जनता के स्वास्थ्य को धक्का पहुंचा रहे हैं। इसलिये मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मेरा आग्रह है कि वनस्पति आयल का घी की शक्ल में जमाया जाना बन्द कर दिया जाना चाहिए कम से कम उस समय तक के लिए जब तक कि उसमें कोई रंग नहीं मिला दिया जाता। मन्त्री महोदय को इसको कलर देने के बारे में विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। लेकिन जब तक इसमें कलर न किया जा सके तब तक वनस्पति आयल का घी की शक्ल में सफेद रंग में जमाया जाना बन्द कर दिया जाना चाहिए।

मैं और अधिक न कह कर इस विधेयक का स्वागत व समर्थन करता हूं।

(**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुये।)

†**श्री कृ० चं० शर्मा (हापुड़)**: मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं। मेरे विचार से वर्तमान संविधान के अधीन यह संभव नहीं है कि हम वनस्पति घी पर रोक लगा सकें। वर्तमान संविधान के अधीन केवल उसी वस्तु के उत्पादन पर रोक लग सकती है जो जनता के स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध हो चुका है।

वनस्पति में चिकनाई और विटामिन दोनों होते हैं। इससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य बनाये रखने में सहायता मिलती है। वास्तव में वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध नहीं हो सका है।

†**डा० मा० श्री० अणे (नागपुर)**: वनस्पति घी के उद्योग का बहुत प्रसार हो गया है। उस उद्योग का यह परिणाम हुआ है कि शुद्ध घी मिलना दुश्वार हो गया है। घी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंग है। विशेषत: निरामिष भोजन करने वाले व्यक्तियों को केवल घी से ही पुष्टि प्राप्त होती है। अत: सरकार का यह कर्तव्य है कि अनिवार्य भोजन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होने पावे। सरकार का यह कर्तव्य है कि जनता को भोजन शुद्ध रूप में उपलब्ध हो सके। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसके घातक परिणाम होंगे।

यह दुख की बात है कि सरकार अभी तक वनस्पति को रंगने के लिये उपयुक्त रंग की खोज कर नहीं कर पायी है। हमारे देश में १८ प्रयोगशालायें हैं जिनमें हजारों वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं यह असम्भव बात है कि व उपयुक्त रंग की खोज न कर सकें। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से कार्य नहीं कर रही है।

†**डा० सुशीला नायर (झांसी)** : मैं इस प्रश्न के डाक्टरी पहलू के सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चाहती हूं। अभी हाल से देश में हृदय रोग में वृद्धि हो रही है। इसी से हृदय गति अवरुद्ध होने के कई मामले हुए हैं। वस्तुत: इनमें जमाये हुए तेल के प्रचलन से इन मामलों में वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि वनस्पति घी का इस रोग से सम्बन्ध है। अत: यह बात देश के हित में है कि हम वनस्पति के उत्पादन पर रोक लगा देंव।

जहां तक सही स्थिति का सामना करने का प्रश्न है हमें चाहिये कि जनता शुद्ध तेल का व्यवहार करे यह उचित नहीं है कि जनता को वनस्पति का व्यवहार करने दिया जाय जो न केवल हानिकारक होता है अपितु महंगा भी होता है।

वनस्पति का प्रजनन पर भी घातक प्रभाव होता है। इस सम्बन्ध में चूहों इत्यादि पर प्रयोग किये गये हैं। निस्सन्देह वर्तमान पीढ़ी जो वनस्पति का प्रयोग करती है इसका प्रभाव आगामी पीढ़ियों पर पड़ेगा। इस बात का भी पता लगा है कि कैन्सर और ल्यकेमिया का मल भी प्रजनन रोगों में पाया जाता है। वस्तुत: वनस्पति का भावी संतति पर क्या प्रभाव होगा हम इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर कर रहे हैं।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : इस विधेयक पर बहुत अच्छी चर्चा रही। यह प्रसन्नता की बात है कि चर्चा दलगत विरोधों से पृथक् रही। चर्चा का विषय सभा में पहिली बार प्रस्तुत हुआ है अपितु संसद् के प्रत्यक सत्र में वह किसी न किसी रूप में रखा जाता रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेलों के जमाये जाने पर रोक लगाने तथा उसे रंगने के सम्बन्ध में जो तर्क रखे गये हैं वे अल्पाधिक वही हैं जो पहिले रखे गये थे। अतः सरकार की ओर से भी स्वभावतः वही बातें दुहराई जायेंगी जो जिसे वह अपने दृष्टिकोण के समर्थन में रखती आयी है।

मैं यह आशंका दूर कर देना चाहता हूं कि सरकार सभा की भावनाओं के प्रति जागरूक या चैतन्य नहीं। तथापि मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है यह कहना चाहता हूं कि वे इस पर निष्पक्षता पूर्वक विचार करें। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जमाये हुए तेल पर पूरा निषेध होना चाहिये। इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का यह अर्थ होगा कि न केवल हमें अपने भोजन में चिकनाई मिलनी बन्द हो जायेगी अपितु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम प्रतिवर्ष ३ से ४ लाख टन तक वनस्पति का उत्पादन करते हैं जिसका मूल्य ९२ से ९५ करोड़ है। इससे हमें ६.८ करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में मिलते हैं। एक करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होता है। इस उद्योग में १२ से १५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और १०००० व्यक्ति काम करते हैं। इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने से यह उद्योग ठप्प हो जायेगा। तथापि यदि सिद्ध हो जाय कि इस उद्योग से देश की अर्थ व्यवस्था या देश के स्वास्थ्य को विशेष लाभ नहीं होता है तो सरकार को इसे बन्द करने में जरा भी संकोच नहीं होगा।

मुझे दुःख है कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर जैसे ज्येष्ठ सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि सरकारके ऊपर वनस्पति निर्माताओं का दबाव है। यह आरोप सरासर गलत है। मुझे दुःख है कि उन्होंने देश के वैज्ञानिकों तथा टैक्नीशियनों पर भी यह आरोप लगाया है।

सरकार की यह परम्परा रही है कि देश के हितों के प्रतिकूल होने पर उसने कभी भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की बात नहीं सुनी है।

श्री झूलन सिंह ने वनस्पति के प्रयोग का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का निर्देश किया। इस प्रश्न का प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने निर्देश किया है। जहां तक डा० सुशीला नायर का संबंध है मुझे खेद है कि डाक्टर होते हुए भी उनकी जानकारी आद्यतन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरता और ऐसे अन्य पहलुओं के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए गए थे। इसे मैं स्वीकार करता हूं। उन संदेहों का कारण इज्जतनगर स्थित भारतीय पशुचिकित्सा गवेषणा संस्था में की गई कुछ गवेषणाओं के परिणामों का १९४७ में पूर्व पक्व प्रकाशन था। परन्तु बाद में इज्जतनगर संस्था की उपपत्तियों की परीक्षा की गई थी और भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था में ही विस्तृत गवेषणा की व्यवस्था की गई थी और फिर कून्नूर की पोषण गवेषणा प्रयोगशाला, बंगलौर की भारतीय डेरी चिकित्सा संस्था और भरतीय विज्ञान संस्था और कलकत्ता के विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज में भी। इन समस्त गवेषणाओं, जिनमें विभिन्न गवेषणा केन्द्रों में चूहों और आदमियों पर किए गए पोषण प्रयोग भी सम्मिलित हैं, से यह पता लगा है कि कच्चे अथवा परिष्कृत मूंगफली के तेल की तुलना में ३७ सेन्टीग्रेड के वनस्पति का कोई हानिकर प्रभाव नही पड़ता है। जहां तक तुलनात्मक पोषक तत्व का संबंध है, प्रयोगों से पता लगा कि ३७० सेन्टीग्रेड का वनस्पति कच्चे अथवा परिष्कृत मूंगफली के तेल के समान ही अच्छा है।

मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि अब हमने कानून बनाकर निर्माताओं के लिए उत्पाद में कम से कम ५ प्रतिशत तिल का तेल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। इससे दो लाभ होंगे।

एक तो उससे उत्पाद में आवश्यक चिकनाई वाले एसिड घी के समान ही हो जायेंगे और दूसरे उससे वनस्पति में अदृश्य रंग आ जाता है जिसके कारण यदि उसकी घी में १० प्रतिशत मिलावट भी की जाएगी तो उसका एक साधारण रसायनिक प्रयोग से पता लगाया जा सकेगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके घर भी वह यंत्र स्थापित करा सकता हूं ताकि वह इस प्रयोग से यह पता लगा सकें कि घी में वनस्पति मिलाया गया है या नहीं।

पोषक तत्व को और बढ़ाने की दृष्टि से मुझे खुशी है कि श्री वें० प० नायर ने इस पहलू का निर्देश किया था। वनस्पति में प्रति औंस ७०० अन्तरराष्ट्रीय एकक विटामिन ए अनिवार्यतः मिलाया जा रहा है जो सर्वोतम गाय के घी का विटामिन ए तत्व है।

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने एक वक्तव्य में, जो ११ दिसम्बर, १९५९ को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया था, इस बात की पुष्टि की है कि जहां तक पोषक तत्व का संबंध है वनस्पति घी के बराबर ही उपयोगी है। प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा की गई चर्चाओं और गवेषणाओं के परिणामस्वरूप हम यह जान सके हैं कि जहां तक पोषक तत्व का संबंध है आजकल जो वनस्पति बनाया जा रहा है उसमे और घी में प्रायः कोई अन्तर नहीं है।

वनस्पति के प्रयोग के हृदयरोग पर प्रभाव के संबंध में संदेह व्यक्त किए गए हैं। इस मामले में भी चिकित्सा गवेषणायें की गई हैं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं समस्त लोगो के मत नहीं पढ़ कर सुनाना चाहता। इन गवेषनांओ के परिणामस्वरूप यह तथ्य सामने आया है कि यदि वनस्पति के प्रयोग से पैत्तव (कोलेस्टरल) तत्व के मामले में कोई दोष उत्पन्न होता है तो वह मक्खन, घी और नारियल के तेल में भी होता है। प्रयोग अभी जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय अभी तक जमाए हुए तेलो के उपभोक्ताओं पर प्रभाव के संबंध में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है।

मेरे पास जो विभिन्न मत आए हैं उनके आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि जमाए हुए तेलों के अत्यधिक प्रयोग से रक्त पैत्तव स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। परन्तु यह दोष मक्खन, घी और नारियल के तेल में भी उतनी ही मात्रा में है। यदि केवल इस कारण जमाए हुए वनस्पति तेलों का उत्पादन और प्रयोग अवांछनीय समझा जाता है और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहा जाता है तो हमें मक्खन, घी और नारियल के तेल के उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने यह मत व्यक्त किया था। जमाए हुए वनस्पति तेलों का प्रयोग अमरीका तथा अन्य देशों तक में होता है जहां इस विषय पर बहुत गवेषणायें हुई हैं परन्तु किसी भी देश ने इन तेलों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

अमरीका में भी अभी तक यह निश्चित नहीं माना जाता है कि उसका हृदय रोगों पर कोई असर होगा। अमरीकी सरकार के खाद्य तथा भेषज प्रशासन ने अपनी ७ दिसम्बर, १९५९ की विज्ञप्ति में यह संकेत किया है कि पैत्तव (कोलेस्टरोल) का हृदय और रोहिणी रोगों पर प्रभाव अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। रक्त पैत्तव स्तर और इन रोगों का संबंध स्थापित नहीं हुआ है। अतः अमरीकी जनता के आहार के चिकनाई वाले तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई है। उस निकाय के कुछ अन्य मत भी मेरे पास हैं परन्तु मैं उनको पढ़कर सुनाकर सभा का समय नहीं लेना चाहता।

श्री झूलन सिंह ने पूछा कि वनस्पति तेलों को जमाया क्यों जाये और उनको बिना जमाए ही क्यों न काम में लाया जाये? इसका उत्तर आंशिक रूप में कुछ सदस्यों द्वारा दिया जा चुका है।

इसका उत्तर दोहरा है। पहली बात तो यह है कि उत्तर के लोग और किसी हद तक दक्षिण के लोग भी घी के प्रयोग के आदी हैं अतः उनसे तरल तेलों का प्रयोग करने की आशा नहीं की जा सकती है। दूसरे तरल तेल पकवान के लिए तो उपयुक्त हैं परन्तु डबल रोटी, बिस्कुट, केक आदि बनाने में काम नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके लिए गाढ़ी चिकनाई ही आवश्यक है। इसी प्रकार मिठाइयां बनाने में भी गाढ़ी चिकनाई ही प्रायः काम में लाई जाती है।

इन उपयोगिताओं के अतिरिक्त जमाने से वनस्पति तेलों में दो गुण भी आ जाते हैं, अर्थात् (१) अधिक दिन तक खराब न होने की क्षमता और (२) वहन की सुविधा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अमरीका में डेरी वालों ने मारगेराइन के प्रयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया था परन्तु वह चल नहीं सका और वहां मारगेराइन का उत्पादन जारी है। यद्यपि आस्ट्रिया बेल्जियम और जर्मनी जैसे योरपीय देशों में मारगेराइन को तिल के तेल से अदृश्य रूप से रंग देना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मक्खन में मिलावट का पता चल सके—जैसा कि भारत में वनस्पति के संबंध में किया गया है—अमरीका में इतना भी नहीं किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दस वर्ष हो गए हैं परन्तु अभी तक कोई उपयुक्त रंग वनस्पति को रंगने के लिए नही मिल सका है। मेरा निवेदन है कि इसमें हमारे वैज्ञानिकों का कोई अपराध नहीं है। विदेशों में भी वैसा करना संभव नहीं पाया गया है। योरपीय देलों में भी वही चीजें अपनाई गई हैं जो हमने की हैं अर्थात् तिल के तेल का अनिवार्य मिश्रण। यदि कोई उपयुक्त रंग मिल जाता तो उन देशों ने उसे अवश्य ही अपनाया होता।

हम इस मामले में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। श्री माथुर के मैसूर गवेषणा संस्था के अनुभव के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम उसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुके हैं परन्तु कोई उपयुक्त रंग अभी नहीं मिल सका है। मैं यह भी कहूंगा कि इस मामले में सरकार की नेकनीयती पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। बड़े गंभीर कदम उठाए गए थे परन्तु हम प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं हुए। हमने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों की एक समिति भी बनाई है।

अभी तक किए गए कार्य से मालूम होता है कि चुनाव चाररंगों तक ही सीमित है। श्रीमाथुर ने उनमें से एक का निर्देश किया। वे चार रंग निम्नलिखित हैं: रतनजोत की जड़ का रंग, हल्दी के सत का रंग, कॉपर क्लोरोफिल और संस्लिष्ट पीला रंग। मैं इन सब रंगों का निर्देश नहीं करना चाहता हूं वरन् केवल हल्दी के सत के रंग की ही चर्चा करूंगा जो श्री माथुर को मैसूर संस्था के डा० सुब्रमण्यम् द्वारा दिखाया गया था।

इस रंग का प्रस्ताव डा० सुब्रमण्यम् ने किया था। समिति को यह बताया गया था कि वनस्पति को रंगने के लिए यही रंग सर्वोत्तम है परन्तु उसमें एक दोष है कि हल्दी के सत से रंगे गये वनस्पति का रंग गाय के घी जैसा होगा अतः उससे मिलावट के कम होने के बजाए बढ़ने की ही संभावना रहेगी। इस संबंध में डा० सुब्रमण्यम् ने समिति को सूचित किया कि हल्दी के सत के रंग को कैल्शियम मिलाकर बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। समिति ने निर्णय किया कि इन प्रयत्नों के परिणामों की प्रतीक्षा की जाके यह भी निर्णय किया गया कि इस रंग के संबंध में लखनऊ की केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था, इज्जतनगर की भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था और देहरादून की वनगवेषणा संस्था तथा कालेजों में भी गवेषणा की जानी चाहिए।

फिर श्री झूलन सिंह ने पूछा कि आप लागत क्यों बढ़ाते हैं जब कि वनस्पति तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? एक टन वनस्पति तेल पर आपको ६०० रुपए अधिक देने पड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि यदि सही आकलन किया जाये तो अतिरिक्त लागत ६०० रुपए से भी अधिक आएगी।

परन्तु यह बात तो उपभोक्ता पर निर्भर है कि वह कच्चा तेल खरीदता है या निर्मित पदार्थ । यदि वह निर्मित पदार्थ ही अधिक खरीदता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह यह समझता है कि उसमें अधिक मूल्य के बराबर गुण भी हैं ।

अन्त में मैं, बनस्पति और डेरी उद्योग की स्पर्धा संबंधी प्रश्न का निर्देश करूंगा । इस संबंध में हमें यह जानना चाहिये कि देश में खाद्य तेल और चिकनाई केवल इतनी मात्रामें उपलब्ध है जिस से प्रति व्यक्ति खपत $\frac{1}{2}$ औंस आती है जबकि न्यूनतम आवश्यकता २ औंस है । इसलिये बनस्पति और घी दोनों के विकास और विस्तार के लिये बहुत गुंजाइश है और एक दूसरे के हितों पर चोट नहीं पहुंचेगी । बनस्पति उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा जो घी खरीदने में असमर्थ हैं क्योंकि बनस्पति का मूल्य ३ . ३० रुपयें प्रति किलोग्राम है जबकि घी का ७ रुपये प्रति किलोग्राम है । इस के अतिरिक्त घी का उत्पादन भी पिछले १६ वर्षों में प्रायः स्थिर रहा है । यदि हम आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि दूध के उत्पादन में १५ प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु घी का उत्पादन प्रायः उतना ही रहा है ।

दूसरी बात जिस का श्री खाडिलकर ने निर्देश किया यह है कि बनस्पति की खपत से दूध शुद्ध रूप में पीने के लिये अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा । यदि हम १९५६ के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि दूध का कुल उत्पादन १९७ लाख टन था । इस में से ७८ . ४ लाख टन दूध का घी बनाया गया । इस प्रकार शुद्ध रूप में दूध की खपत बहुत कम है । यदि घी अधिक बनाया जायेगा तो यह खपत और भी कम हो जायेगी । यदि हम आहार पोषण की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि शुद्ध दूध का प्रयोग अधिक लाभकर है । मैं चाहता हूं कि इस पहलू पर भी विचार किया जाये ।

यह ठीक है कि मिलावट होती है परन्तु बनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने से समस्या हल नहीं होगी । मैं ने देखा है कि मिलावट अनेक प्रकार से की जाती है । अतः आवश्यक यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें मिलावट रोकने से संबंधित विधानों को कड़ा बनायें । आजकल हर एक वस्तु में मिलावट होती है और जहर तक शुद्ध नहीं मिल रहा है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित एक घटना से ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से जहर खाया परन्तु उस में मिलावट होने के कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ । मैं जानता हूं कि घी में बनस्पति मिलाया जाता है और इसी लिये उस को रंगने के लिये रंग बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । वास्तव में हमारा नैतिक स्तर बहुत गिर गया है, अतः उस को ऊंचा उठाना होगा ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उपरोक्त गोष्ठी और केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रहा है । मैं आशा करता हूं कि उन के सम्बन्ध में लिये जाने वाले निर्णयों से खाद्यान्नों में मिलावट की स्थिति से संबंध के निश्चित सुधार होगा । विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रकाशित १९५७ के घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के विपणन संबंधी प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि घी में (१) बनस्पति, (२) परिष्कृत बनस्पति तेल और (३) जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है । चूंकि बनस्पति का मिश्रण बांदोबूंद परीक्षा से सहज पता चल जाता है कि इसलिये व्यापारी सामान्यता घी में परिष्कृत बनस्पति तेल ही (तिल के तेल से भिन्न) मिलाते हैं । इस प्रकार बनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने से यह समस्या हल नहीं होगी । अतः मैं चाहता हूं कि सभा इस विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार करे । केन्द्रीय सरकार इस विधेयक की भावना से पूर्णतः सहमत है जो श्री झूलन सिंह ने पेश किया है और हम इस बुराई को दूर करने के लिये उपयुक्त रंग ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लेंगे ।

†**श्री मूलन सिंह** : इस विधेयक के पक्ष में जो तर्क दिये गये हैं उन से विरोधियों की समस्त आपत्तियों का उत्तर मिल गया है। मुझे आशा था कि सरकार डाक्टरों की सलाह से प्रभावित होगी। परन्तु माननीय उपमंत्री ने जो तर्क इस के विपक्ष में पेश किये हैं उन से मुझे बहुत निराशा हुई। मैं ने देश के प्रमुख व्यक्तियों के जो उद्धरण दिये थे उन का उन्हों ने कोई उल्लेख ही नहीं किया ? परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्हें मेरे तर्कों से सन्तोष नहीं हुआ है उसी प्रकार मैं भी उन के तर्कों से सहमत नहीं हूं और चाहता हूं कि इस विषय का निर्णय सभा के मतदान द्वारा किया जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है

"कि भारत में तेलों का जमाये-जाने से रोकने तथा तत्सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

चूंकि अब पांच बज गये हैं अतः मतदान अगले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों वाले दिन होगा ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(धारा १४ का संशोधन)

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक २ मई, १९५८ को पुरःस्थापित किया गया था और आज इस स्थिति तक आने में इसे तीन वर्ष लग गये। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार देना था। सामान्य हिन्दू विधि के अनुसार महिला उत्तराधिकारियों को सीमित अधिकार प्राप्त थे। पुरुष उत्तराधिकारी न होने पर मृतक की सम्पत्ति की स्वामिनी उस की विधवा होती थी लेकिन उस के अधिकार सीमित होते थे। लेकिन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में विधवा अथवा पुत्री अथवा माता और अन्य महिला उत्तराधिकारियों को पूर्ण स्वामित्व के अधिकार देता है ।

इस अधिनियम का उद्देश्य पुत्र, पुत्री, विधवा-माता आदि को मृतक की सम्पत्ति के विभिन्न समान अधिकार देना है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियों को विधवा से भी अधिक ऊंचा दर्जा प्राप्त है। अधिनियम की धारा १४ तथा उस के अन्य उपबन्धों में बिना चाहे हुए भी एक विरोधाभास है। इस धारा ने अनजाने में ही विधवा के सीमित अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से इतना बढ़ा दिया है कि पुत्री का संभाव्य अधिकार छिन गया है। इस के कारण ऐसे अनेक मामले पैदा हुए हैं जिन में विधवाओं ने सम्पत्ति के स्वत्व हस्तान्तरण को चुनौती दी है। यह विधेयक धारा १४ में इस प्रकार का संशोधन करना चाहता है, जिस से विधवा तथा परिवार के अन्य महिला उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा १० के अनुसरण में सम्पत्ति के पूरे उत्तराधिकारी बन जायें। इस के अलावा, हम अधिनियम के लागू होने के बाद किसी विधवा द्वारा किये गये किसी मुपतहस्तान्तरण को उपरोक्त परन्तुक में निर्धारित से अधिक भाग के मामले में, प्रभाव शून्य बना दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये"

†**श्री थानु पिल्ले** (तिरुनलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं । मेरा विचार है कि यह विधेयक महिलाओं के उन अधिकारों को छीनना चाहता है जो उन्हें उत्तराधिकार में अधिनियम को पास करते समय दिये गये थे । इस का विरोध किया जाना चाहिये । यह एक प्रतिगामी विधान है । अच्छा है कि प्रस्तावक महोदय इसे वापस ले लें ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : सभापति महोदय, यह जो बिल रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है मेरी समझ में तो आया नहीं है । कितना हम ने समझाया, कितने कानून हम ने पास किये, सोशल लाज और कितनी मुश्किल से किये इस सब को आप बखूबी जानते हैं । लेकिन अजीब हालत है कि यह बिल किसी कोने से निकल आया है और कैसे निकल आया है मेरी समझ में नहीं आया है । अभी मेरी एक बहन बोल रही थीं और उन्होंने भी यही कहा है । स्टेप डाटर और डाटर को आज फिर झगड़े में घसीटा जा रहा है, इधर से उधर घसीटा जा रहा है, मैं समझती हूं कि यह जो बिल आया है, गलत आया है। जो सोशल लाज हमने पास किये हैं, औरतों को आगे बढ़ाने के लिये जो कानून हमने पास किये हैं,और उन का जो उद्देश्य था,उन के खिलाफ यह बिल जाता है। लेकिन हमें देखना है कि यह बिल किस मकसद से लाया गया है और जो इस बिल को लाये हैं उनकी राय को जानना है। हमें उन मर्दों की राय भी लेनी है जोकि खामोश रहते हैं और देखना है कि वे क्या सोचते हैं । उन के दिल की बात कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से निकल ही आती है । हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमपर इनायत करे, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम पर किसी तरह की मेहरबानी करे । हमारा जो हक है उस को हम मांग रहे हैं ।

इसलिये मैं चाहती हूं कि जिन्होंने इस बिल को रखा है, इस को वह विदड्रा करके इस विषय पर अलग से बातचीत कर लें । यदि यह नहीं किया जाता है तो दूसरा तरीका यह है कि इस को सर्कुलेट कर दिया जाये, लोगों की राय ले ली जाये । मुनासिब यही होगा कि इस को सर्कुलेट कर दिया जाए। सर्कुलेट होने के बाद भी मैं बता देना चाहती हूं कि जो सोशल लाज हम ने पास किये हैं, वे रहेंगे और उन से हम एक आध इंच भी इधर उधर जाने वाले नहीं हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूँ । इस विधान द्वारा महिलाओं को दिये गये अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं । इस में यह व्यवस्था की जा रही है कि उस अधिकार में मां और पुत्री का दोनों का भाग हो । इस का प्रभाव भूतलक्षी होना चाहिये । स्पष्ट हैं कि इस मामले में विधेयक में एक त्रुटि है, जिसे यह विधेयक दूर करना चाहता है । मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहियें ताकि कानून के विद्वानों की राय हमें प्राप्त हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानु पिल्ले** : यह विधेयक पुत्रियों की कामना से लाया गया है। हमारे परिवारों में पुत्रियों का सम्मान तथा उन की मर्यादा पुत्रों से अधिक है। इस विधेयक की मंशा यह है कि पुत्री का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिये। अतः इस विधेयक पर अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिये।

मैं ने इस विधेयक को परिचालित करने के लिये सुझाव दिया है ताकि उस पर राय मालूम हो सके। क्योंकि इस बात की आशंका है कि कहीं व्यर्थ में इस के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी न पैदा हो जाये और इस का विरोध न किया जाये।

†**श्री सुबिमन घोष (बर्दवान)** मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं और इस विधेयक के पीछे जो भावना है उस का स्वागत है। यह विधेयक दो महिलाओं के बीच में किये गये अन्याय को समाप्त करना चाहता है। इसलिये इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का पूर्णत समर्थन करता हूं और यदि आवश्यकता पड़े तो इसे परिचालित भी करना चाहिये। मेरा विचार है कि शायद ही कोई इस का विरोध करें। इस अधिनियम के अधीन यदि किसी विधवा को सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार मिल जाये तो वह सौतेली पुत्री की उपेक्षा कर सकती है। वह सम्पत्ति का स्वत्व हस्तान्तरित कर सकती है जिस के परिणामस्वरूप सौतेली पुत्री उस से वंचित हो जायेगी। इसी अन्याय को समाप्त करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

इसलिये इस विधेयक को पारिचालित करना चाहिये।

†**श्री वै० नायर** (क्विलोन) : इस विधेयक की बहुत दिनों से मांग थी। महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहियें। लेकिन इस विधेयक ने स सभा में काफी मतभेद पैदा कर दिया है, अतः इस पर जनता की राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाना चाहिये ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री बालासाहेब पाटिल (मिराज)** : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन रखा गया है मैं उस का विरोध करता हूं। इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह उन सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है जिन के लिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया है। इस प्रकार हम विधवा के सीमित अधिकार की पुरानी धारणा को पुनः प्रस्थापित करना चाह रहे हैं।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है ऐसा मालूम होता है कि उन्हों ने विधेयक के महत्व को समझा नहीं। १९५६ के अधिनियम की नीयत स्पष्ट है। वह अधिनियम पुत्रियों को भी सम्पत्ति के अधिकार देना चाहता है। पर दुर्भाग्य से पुत्रियों तथा विशेष रूप से सौतेली पुत्रियों की स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। अतः स्थिति को सुधार कर ठीक करने के लिये यह संशोधन बहुत आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा शुरू होगी।

*असैनिक विमान चालक

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा उस सवाल नम्बर १३८८ को लेकर हो रही है जो कि मैंने आज सिविलियन पायलेट्स के बारे में मंत्री महोदय से

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री ब्रजराज सिंह]

पूछा था। यह आधे घंटे की चर्चा मंत्री महोदय के उन उत्तरों के परिणामस्वरूप हो रही है जो कि उन्होंने आज सदन में दिये थे। उन उत्तरों में मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि हमने एक साल से ऊपर हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था कि वह इन ट्रेंड सिविल अनएम्पलायड पायलेट्स को आई० ए० एफ० में ले लें और ऐबजौर्ब करने के पहले उनको रिफ्रेशर कोर्स दे सकते हैं। अब इसको लिये हुए साल भर से ऊपर हो चुका है और यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और वह अभी भी उस पर विचार कर रही है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि जो बेकार पायलेट्स हैं उनको हम किस तरह से काम पर लगायेंगे। अब इस प्रश्न पर पिछले साल या डेढ़ साल से चर्चा चली आ रही है और आपने ठीक ही इस तमाम मामले को एस्टिमेट्स कमेटी के सुपुर्द किया था और उसने बहुत ही गम्भीरतापूर्वक इस समस्या का अध्ययन करने के बाद २४ मार्च, सन् १९६१ को एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने भी उसकी रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा लेकिन कल उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की मांगों को लेकर जो भाषण दिया उससे तो ऐसा लगता है कि संभवतः उन्होंने अभी तक उस रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाया है क्योंकि अगर उन्होंने उसे पढ़ लिया होता तो वह ऐसा नहीं कहते जैसा कि उन्होंने कल मेरे भाषण के बारे में कहा था। यह तो सही है कि मैंने ९२ पायलेट्स के बारे में कहा था कि वे बेकार हैं लेकिन जो कुछ मैंने कहा वह सिर्फ यही कहा था कि एस्टिमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

लेकिन मंत्री महोदय अब भी ऐसा सोचते हैं कि उनके ३३ पायलेट्स बेकार हैं जिनको कि उन्होंने इलाहाबाद में ट्रेनिंग दी हुई है . . . . .

श्री हेडा (निजामाबाद) : बेकार शब्द ठीक नहीं है, बेरोजगार शब्द ठीक रहेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : यह तो आपके समझने का सवाल है। अनएम्पलायड को बेकार कहा जाता है। जो मेरी मंशा है वह उसको सही तौर पर समझ पा रहे हैं। एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आपने ११८ पायलेट्स को ट्रेन किया और उनको बी० लाइसेंस इश्यू किया जिनमें से कि सन् ५८–५९ में केवल २६ पायलेंट्स ही भरती किये गये हैं और इस तरह से ९२ पायलेट्स अनएम्पलायड रहते हैं। अब इसके बारे में गवर्नमेंट के पास क्या जवाब है? उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के पास क्या जानकारी है? उनमें से कितनों के लाइसेंस फिर से रैन्यु नहीं हुए हैं और जिनके लाइसेंस रैन्यु हुए हैं उनमें से कितनों को अभी तक काम मिल चुका है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में करैक्ट फीगर्स मैंटेन नहीं की हैं।

मंत्री महोदय ने बतलाया था कि डी० जी० सी० ए० ने सारे बेकार पायलेट्स को एक पत्र भेजा था यह पत्र उनको दिसम्बर में लिखा गया था। मगर यह सरकार यह जानना चाहती थी कि जिनको इस समय तक एम्पलायमेंट नहीं मिला है वे इस वक्त क्या कर रहे हैं और वह अपना फ्लाइंग कैरियर कायम रखना चाहते हैं कि नहीं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के पास वह सूचनाएं आ गई होंगी और हम चाहते हैं कि वे सदन को बतलायें कि जैसे कि एस्टिमेट्स कमेटी ने अपनी राय जाहिर की थी कि अभी तक ९२ पायलेटस को काम नहीं मिला है तो उनमें से कितने और लोगों को काम मिल चुका है। अगर ३३ या ३४ आदमियों ने ही लाइसेंस को रैन्यु कराया है तो बाकी लोगों ने अपना लाइसेंस रैन्यु क्यों नहीं कराया है? एस्टिमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार के पास उन ट्रेंड पायलेट्स के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए जिन्होंने कि अपने लाइसेंस क्रेंट नहीं रखे हैं ताकि जब भी जरूरत महसूस हो ऐसे लोगों को रिफ्रेशर कोर्स करा के ऐबजौर्ब किया जा सके। अगर ३३ या ३४ आदमियों ने ही लाइसेंस रैन्यु कराया है

और बाकी लोगों ने नहीं कराया है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है ? अब बात यह है कि एक आदमी को लाइसेंस रैन्यु कराने के लिए ६ महीने में २५० रुपये की जरूरत पड़ती है। अब जिन आदमियों को दो साल से कोई काम न मिला हो उनसे आप कैसे आशा करते हैं कि वह ६ महीने के लिए लाइसेंस रैन्यु कराने के लिए २५० रुपये का खर्च बर्दाश्त कर सकेंगे ? मंत्री महोदय का हाउस में यह कहना कि सिर्फ ३३–३४ आदमियों के पास 'बी' लाइसेंस हैं मेरी समझ में तथ्यों को पूरी तरह से पेश करना नहीं है और उनको हाउस से छिपाने जैसी बात है। मंत्री महोदय के पास ऐसे बेकार पायलेट्स के पास से सूचनायें आ गई होंगी जिनको कि अभी तक रोजगार नहीं मिला है और मंत्री महोदय को हाउस को उनके बारे में बतलाना चाहिए था। मंत्री महोदय को हाउस को बतलाना चाहिए था कि जिन्होंने अपने लाइसेंस रैन्यु कराये हैं उनमें से कितनों को काम मिला है और कितनों को अभी तक काम नहीं मिल सका है। लेकिन मंत्री महोदय यह सब बतलाना नहीं चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बार बार मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा जाता है कि सी० ए० टी० सी० में जिन पायलेट्स को हम प्रशिक्षित करते हैं ट्रेनिंग देते हैं उनको नौकरी दिलाने की हमारी कोई जिम्मेदार नहीं है। अब यह अजीब बात है। सरकार ५२००० रुपया पर हैड पायलेट्स की ट्रेनिंग पर खर्च कर रही है। यह खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं है। अध्यक्ष महोदय आपने ठीक ही यह तमाम मामला एस्टिमेट्स कमेटी के सुपुर्द किया था। एस्टिमेट्स कमेटी ने तमाम मामले पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट दे दी। उसने डी० जी० सी० ए० और चेयरमैन आई० ए ०सी ०के बीच पायलेट्स को क.म देने के बारे में जो पत्र व्यवहार हुआ है, उन पत्रों का भी हवाला दिया है और उनसे पता लगता है कि सरकार की कानूनी रूप से ही उनको काम दिलाने की भले ही जिम्मेदारी न हो लेकिन उन पायलेट्स पर सरकार ने जो इतनी बड़ी रकम खर्च की है अर्थात् ५२ हजार रुपया पर कैपिटा और पर ट्रेनी आता है तो उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह रुपया बेकार न जाय और वह टेलेंट्स वेस्ट न जायें।

जो उद्धरण एस्टिमेट्स कमेटी ने दिये हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि ५० पायलेट्स की हर साल जरूरत होगी। उसमें से आधे पायलेट्स को आई० ए० एफ० ले लेगी और २५ पायलेट्स सी० ए० टी० सी० ले लेगी। इसके अलावा कुछ और जगहें हो सकती हैं क्योंकि कुछ इस्तीफे दे सकते हैं। इस तरह ३० पायलेट्स को हम हर साल ट्रेनिंग देंगे, हर साल ३० पायलेट्स लगते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके की योजना है किस तरीके की प्लानिंग है ? मैं बतलाना चाहता हूं कि जब इस तमाम मामले को एस्टिमेट्स कमेटी को जांच के लिए सुपुर्द किया गया उसके बाद भी सरकार ने एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है जिसमें कि ३० व्यक्तियों को ट्रेन किया जा चुका है। उनमें १५ हिन्दुस्तान के हैं और १५ बाहर के हैं। उन १५ के बारे में सोचा जाय। वे बेकार हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। अब आप यह स्टैंड लेते हैं कि उनको काम दिलाने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो यह तो अजीब बात है कि आप इस तरह से ५२००० रुपया प्रति व्यक्ति पर बेकार ही खर्च करते हैं और इसके मानी यह हैं कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल डिफैक्टिव है और बिल्कुल बेकार तरीके से सरकार देश के धन को खर्च कर रही है। आप जब इतना रुपया खर्च करके उनको ट्रेन करते हैं तो उनको काम पर लगाने की भी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे ताज्जुब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को पायलेट्स को आई० ए० एफ० में लगाने के लिए साल भर से ऊपर सोचते हुए हो गया है लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और वह आज भी उस पर विचार कर रही है। आखिर कब तक इस पर विचारचलता रहेगा ?

आज सवेरे डा० प० सुब्बरायन ने मंत्रालय के खर्च की मांगों के बारे में उत्तर देते हुए बतलाया कि इन बेकार ट्रेंड सिविलियन पायलेट्स को आई० ए० एफ० में शायद इसलिए भरती नहीं

[श्री ब्रजराज सिंह]

किया जायेगा क्योंकि वे ओवर एज हो जायेंगे लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह उनको भरती न करने का एक बहाना ही है। मंत्री महोदय ने बतलाया कि आई० ए० एफ० में २८ साल तक के लोगों को ही लिया जायगा तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जिनको पिछले दो साल से काम नहीं मिला है और बेरोजगार हैं उनकी उम्र कोई २३, २४, २५ या २६ साल की ही होगी। इसलिए यह बहाना भी ठीक नहीं है कि उन लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे स्पष्ट है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी है और कुछ लोग सरकारी रुपये को बर्बाद करना चाहते हैं—जिन लोगों को सरकारी रुपये से, ५२ हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है, उनको नौकरी दिलाना नहीं चाहते हैं। अगर दिलाना चाहते, तो सरकार का एक अपना विभाग आई० ए० एफ० मौजूद है। उसको इस विषय में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर उनको किसी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो वह दी जानी चाहिए, हालांकि वे पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं और प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार का ५२ हजार रुपया खर्च हो चुका है।

कहा जाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस विषय पर विचार कर रही है। क्यों विचार कर रही है? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट एण्ड कम्युनिकेशन्ज दो अलग सरकार हैं कि एक सरकार का दूसरी सरकार के पास कोई प्रस्ताव जाये और वह उस पर विचार करती र और कोई निश्चय न हो ? मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इस विषय पर मंत्री-मंडलीय स्तर पर विचार होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए कि इन बेकार पायलेट्स को आई० ए० एफ० में अथवा किसी अन्य स्थान पर काम दिया जाये।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिविल एवियेशन के डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जिन अन्य मिनिस्ट्रीज़ आदि का जिक्र किया है, उन से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि दस पायलेट्स आई० ए० सी० में ले लिये जायेंगे और छः पायलेट्स को एयरोड्रोम आफिसर्ज के रूप में ले लिया जायगा, जिनको यू० पी० एस० सी० सिलेक्ट करेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि एयरो-ड्रोम आफ़िसर के पद के लिए कोई भी ग्रेजुएट एप्लाई कर सकता है और उसके लिये किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यू० पी० एस०सी० के सामने जो भी ग्रेजुएट आना चाहेगा, आ सकेगा। इसलिये इस बात की क्या गारण्टी है कि उन पदों के लिये ये ही लोग सिलेक्ट किये जायेंगे? इसके अतिरिक्त ये एक विशेष ट्रेनिंग प्राप्त लोग हैं। उनके विषय में यह कहना कि उनको एयरोड्रोम आफ़िसर के रूप में एवज़ार्व किया जा सकता है, किसी भी दृष्टि से उचित बात नहीं है। उससे इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। ये भी कहा गया है कि क्राप डस्टिंग के लिये कुछ लोग भर्ती हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि उस से भी यह समस्या हल नहीं होगी।

इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि दोनों मिनिस्ट्रीज़ इस बारे में आपस में विचार-विमर्श करें, मंत्री-मंडलीय स्तर पर इस बिषय पर विचार किया जाये और आई० ए० एफ़० को इन लोगों को लेने के लिये मजबूर किया जाये। इस के साथ ही अगर आगे के लिये ट्रेनिंग सैंटर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उन को बन्द कर दिया जाये। जब सरकार के कथनानुसार देश में पायलेट्स की ज़रूरत नहीं है, जब वह कहती है कि उन को काम देने की उस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर हिन्दुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई के रुपये को इस काम पर खर्च नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से इन लोगों को आई० ए० एफ़० में काम नहीं दिया जा सकता है, तो अफ़रीका और एशिया के मित्र देशों में, जहां पायलेट्स की ज़रूरत हो सकती है, उन को

काम दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस देश में सिविलियन पायलेट्स की ज़रूरत है और वहां उन को नौकरी दिलाई जाये। जिन लोगों को ५२ हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है, जो यंगमैन हैं, नौजवान हैं, अगर यह सरकार उन को नौकरी नहीं दिला सकती है, तो इस के साफ़ माने ये हैं कि इस का प्लानिंग डिफ़ेक्टिव है, त्रुटिपूर्ण है और दोषपूर्ण है और न जाने कितने और मामलों में इस प्रकार की प्लानिंग की त्रुटियां होंगी।

मैं यहां पर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उस से यह स्पष्ट है, पूरी तरह साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि इस विषय में सरकार की ग़लती है। उस ने बार बार इस बात का ज़िक्र किया है कि पायलेट्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक के बाद एक अन्दाज़े लगाये गये—पहले ३० से ४५ का अन्दाज़ा लगाया गया, फिर कोई और अन्दाज़ा लगाया गया और अब १० का अन्दाज़ा हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, जो ठीक अन्दाज़ा नहीं लगा सकते हैं, यह अन्दाज़ा नहीं लगा सकते कि दो साल बाद कितने पायलेट्स की ज़रूरत होगी।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चूंकि अब तेज़ चलने वाले, हैवी और फ़ास्टर एयरक्राफ्ट प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिये कम पायलेट्स की ज़रूरत होगी, मैं यह बताना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी के सामने सरकार के अपने लोगों ने यह मन्ज़ूर किया कि यह ज़रूरी नहीं है कि हैवी और फ़ास्टर एयरक्राफ्ट चलाये जायें, तो कम सिविलयन पायलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी—यह आवश्यक बात नहीं है।

इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई मौलिक ग़लती है। अगर इस तरह की कोई ग़लती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ग़लती की वजह से हिन्दुस्तान के ग़रीब आदमियों का पैसा बरबाद नहीं होना चाहिए, उन नौजवानों की शक्ति, जिन को प्रशिक्षित कर के तैयार किया गया है, बरबाद नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने प्लानिंग और अन्दाज़े के विषय मे ग़लती की है, अगर सरकार में हिम्मत है, तो उन को वह सज़ा दे। जिन लोगों को सरकारी रुपये से प्रशिक्षित किया गया है, उन को काम देने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। उन को क्राप डस्टिंग, एन्टी-मलेरिया आदि काम में, प्राईवेट लाइन्ज़ में, या विदेशों में काम दिया जा सकता है। जहां भी सम्भव हो, उन को काम दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आई० ए० एफ़० तो सरकार का अपना डिपार्टमेंट है। इन लोगों को उस में काम दिलाया जा सकता है।

अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और भविष्य के लिये ट्रेनिंग बन्द कर देनी चाहिए, जब तक कि सरकार को यह आशा नहीं होती कि उस को इन पायलेट्स की ज़रूरत होगी। यदि सरकार उन को नौकरी नहीं दिला सकेगी, तो उस की सारी योजनाओं पर से जनता का विश्वास उठ जायगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): देश की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या यह सच नहीं है कि हमारे यहां जितने असैनिक प्रशिक्षित विमान चालक हों उतने ही कम हैं? क्या सरकार किसी ऐसी एजेन्सी का निर्माण नहीं कर सकती जो इन विमान चालकों को प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर रोज़गार दिलायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने प्राक्कलन समिति के सामने कहा था कि यह सोचना गलत है कि द्रुतगामी तथा भारी विमानचालकों के लिये अधिक वायुयान चालकों की आवश्यकता नहीं है । इस बारे में माननीय मंत्री महोदय का क्या विचार है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सहायक हवाई अड्डे के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने से क्या लाभ है जब कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउदीन)** : मैं प्राक्कलन समिति का आभारी हूं कि उन्होंने बेरोजगार विमान चालकों के बारे में हमारा ध्यान दिलाया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है । वायुयान चालक तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगार की समस्या सामयिक है । ये वायुयान चालक जिनको रोजगार नहीं मिला था उनकी संख्या 'बी' लाइसेंस विभाग के थे । १९५६-५७ में प्रशिक्षण प्राप्त विमानचालकों की वास्तव में बड़ी कमी थी । और सी० ए० टी० सी० अलाहाबाद में काफ़ी संख्या में प्रशिक्षण के लिये विमान चालकों की भर्ती की गई ।

असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने बेरोजगार विमानचालक संस्था को १९६ पत्र लिखा । ७३ विमानचालकों को पत्र लिखे गये और उनमें से ५१ विमानचालकों से पत्रप्राप्त हुए। महानिदेशक ने फिर उनको लिखा लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

लाइसेंस हर छटे महीने फिर से जारी किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में नियम का पालन तो करना होगा ही ।

यह बात ठीक है कि विमानचालकों की आवश्यकता को देखते हुए भारी तथा द्रुतगामी विमानों को शुरू करने के प्रभाव को देख लेती लेकिन यह स्थिति हर जगह उत्पन्न हो गई है और यह पता लगाना बड़ा कठिन है कि हर जगह कितने विमानचालकों की आवश्यकता होगी ।

आई० ए० एफ० में कुछ विमानचालकों को भर्ती करने के लिये प्रयत्न किया जायगा । लेकिन प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस बात के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह इन विमानचालकों को भर्ती करे ही ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा समाप्त हुई ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१

---

१७ चैत्र, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४६०३—२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३८१	यमुना नदी पर दूसरा रेलवे पुल	४६०३–०४
१३८२	हिन्दू रावल अस्पताल, दिल्ली में नर्सों के लिए स्कूल	४६०५
१३८३	आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्माण	४६०५—०७
१३८४	भाखड़ा बांध	४६०७–०९
१३८५	नागपुर में रेल दुर्घटना	४६०९–१०
१३८६	रेलों के प्रशिक्षण	४६१०
१३८८	असैनिक विमान–चालक	४६११—१३
१३८९	उड़ीसा में डाक्टरों की कमी	४६१३—१६
१३९०	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	४६१६–१७
१३९१	मत्स्यपालन प्रशिक्षण संस्था	४६१७—१९
१३९४	दिल्ली में विद्युत् संभरण	४६१९–२०
१३९५	पंचायतें और पंचायत समितियां	४६२०—२३
१३९७	इम्फाल-तमेंलांग सड़क पर चट्टान का गिरना	४६२३–२४
१३९८	नंगल उर्वरक कारखाना	४६२४—२६
१३९९	विमान द्वारा तस्कर व्यापार	४६२६–२७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४६२७—६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३८७	एयर इण्डिया इन्टर नेशनल द्वारा उद्घाटन उड़ानें	४६२७
१३९२	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	४६२७–२८
१३९३	इम्फाल-गोहाटी तार-संचार	४६२८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३६६	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय	४६२८—२६
१४००	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	४६२६
१४०१	मलेरिया	४६२६
१४०२	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एस्कलेटर	४६२६—३०
१४०३	पंजाब में बिजली का उत्पादन	४६३०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२८६२	राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन	४६३०—३१
२८६३	यात्री तथा माल यातायात से आय	४६३१
२८६४	उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन	४६३१
२८६५	एस० एस० "इण्डियन नेवीगेटर" का डूब जाना	४६३१—३२
२८६६	उम्मीद वारों की प्रतीक्षा सूची	४६३२
२८६७	उड़ीसा को दी गयी चीनी और गेहूं	४६३२—३३
२८६८	उड़ीसा में स्त्रियों के लिये चिकित्सा प्रशिक्षण	४६३३
२८६६	रेलों में भोजन व्यवस्था ठेकेदार	४६३४
२६०१	खाये जा सकने वाले कुकुरमुत्ते	४६३४
२६०२	वन महोत्सव	४६३४—३५
२६०३	व्यापार के लिए काम में लायी गयी लकड़ी	४६३५
२६०४	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	४६३५
२६०५	नारियल और सुपारी वृक्षों के रोग	४६३६
२६०६	केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र, कृष्णपुरम्	४६३६
२६०७	मुर्गियों की जल्दी बढ़ने वाली किस्में	४६३६—३७
२६०८	सुपारी अनुसन्धान केन्द्र, पलोड	४६३७
२६०६	सुपारी की प्रति एकड़ पैदावार	४६३७—३८
२६१०	दूध की पैदावार	४६३८—३६
२६११	केरल में दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग	४६३६
२६१२	मेंढक का मास	४६३६—४०
२६१३	मेंढकों का पालन	४६४०
२६१४	मेंढक के मांस का मूल्य	४६४०
२६१५	केकड़े का मांस	४६४०

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९१६	कृषि आदि सम्बन्धी शिक्षा .	४६४१
२९१८	मत्स्यपालन का अनुसन्धान कार्यक्रम .	४६४१–४२
२९१९	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	४६४२–४३
२९२०	वेज बैंक और पैडरो बैंक पर वाणिज्यिक स्तर पर मत्स्य ग्रहण .	४६४३
२९२१	वेज बैंक पर मछली पालने की सम्भाव्यता	४६४३
२९२२	तेल वाली सारडीन मछलियां	४६४४
२९२३	मत्स्यपालन विभाग के लिये भारतीय नौसेना की सहायता	४६४४
२९२४	(वेज बैंक) पर मछलियां पकड़ने के अधिकार .	४६४४–४५
२९२५	ढोरों में क्षय रोग . .	४६४५
२९२६	ढोरों की खुराक में कंसेंट्रेट्स का उपयोग	४६४५–४६
२९२७	खाद्य अपमिश्रण	४६४६–४७
२९२८	आयात किये गये खाद्यान्न .	४६४७
२९२९	खाद्य सलाहकार तालिका . .	४६४७
२९३०	वनस्पति का निर्यात	४६४८
२९३१	वनस्पति में विनौले के तेल का अंश . . .	४६४८
२९३२	वनस्पति में रंग मिलाना	४६४९
२९३३	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	४५४९
२९३४	अखिल भारतीय चितकिसा विज्ञान संस्था . . .	४६५०
२९३५	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . . .	४६५०
२९३६	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	४६५०–५१
२९३७	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	४६५१
२९३८	भारत में चेचक	४६५१–५२
२९३९	नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन	४६५२–५२
२९४०	अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति . .	४६५३
२९४१	आदर्श नगर आयोजन विधान	४६५३
२९४२	परती भूमि सम्बन्धी समिति . .	४६५४
२९४३	परदीप पत्तन . .	४६५४–५५
२९४४	हिमाचल प्रदेश का वन विभाग	४६५५
२९४५	हिमाचल प्रदेश में छोटे चिड़िया-घर .	४६५५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२६४६	जहाजों के मास्टरों के लिये कार्यदक्षता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	४६५५–५६
२६४७	पश्चिमी बंगाल में कुष्ठ रोग	४६५६
२६४८	पत्तनों में चोरियां	४६५६–५७
२६४९	बम्बई नगर निगमों का सम्मेलन	४६५७
२६५०	नारनौल और चरखी दादरी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	४६५७
२६५१	लुधियाना में तिलहन अनुसन्धान केन्द्र	४६५७–५८
२६५२	कृषि कालिज, लुधियाना	४६५८–५९
२६५३	हृदय–फेफड़ा मशीन	४६५९
२६५४	इम्फाल नगरपालिका	४६५९
२६५५	मत्स्य भोजन	४६५९–६०
२६५६	पुरी (उड़ीसा) में बाढ़-नियंत्रण	४६६०
२६५७	पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का नव-निर्माण	४६६०–६१
२६५८	तांबे के तारों की चोरी	४६६१
२६५९	फसलों का उत्पादन	४६६२
२६६०	तिरुवन्नमले स्टेशन	४६६२
२६६१	तिरुवन्नमले (मद्रास राज्य) के डाक इन्सपेक्टर	४६६२
२६६२	डाक टिकट	४६६३
२६६३	विलमपुरम्—काटपाडी लाइन (दक्षिण रेलवे) पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६६३
२६६४	थाना में ऊपरी पुल	४६६४
२६६५	रेलवे में अस्थायी इंजीनियर	४६६४–६५
२६६६	राजगीरी और मिट्टी के काम की दरें	४६६५
२६६७	संघ राज्य-क्षेत्रों में मोटर-दुर्घटनायें	४६६५
२६६८	हिमाचल प्रदेश में सड़क	४६६६
२६६९	उड़ीसा में जागीरी भूमि	४६६६
२६७०	घोड़ों का आयात	४६६६–६७
२६७१	डाक तथा तार विभाग में सैलेक्शन ग्रेड के पद	४६६७
२६७२	मनीपुर में जल संभरण	४६६७–६८
स्थगन प्रस्ताव		४६६८–७०

अध्यक्ष महोदय ने ५ अप्रैल, १९६१ को जम्मू तथा काश्मीर के कठुआ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री आसर ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४६७०—७२

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा, गुन्टूर और नेल्लोर जिलों में बाल पक्षाघात के महामारी के रूप में फैलने के समाचार और उसके संक्रमण को रोकने के लिये की गई कार्यवाही की ओर स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान दिलाया।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४६७२—७३

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) पहला विवरण तेरहवां सत्र, १९६१

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ बारहवां सत्र, १९६०

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ दसवां सत्र, १९६०

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १७ आठवां सत्र, १९५९

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २३ सातवां सत्र, १९५९

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ छटा सत्र, १९६१

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २५ पांचवां सत्र, १९५८

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच० (टी) १४—९२५/५८ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ की एक प्रति।

लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७३

छतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७४

एकसौ सत्रवां तथा एकसौ छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये।

विषय पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४–७५

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :

१. श्री अ० क० गोपालन
२. श्री चण्डिकेदवर शरण सिंह जू देव
३. श्री स्वामी
४. श्री रामेश्वर राव
५. श्री मथुरामूलिग तेवर
६. डा० गंगाधर शिव
७. श्री पीकर साहेब
८. सेठ अचल सिंह
९. श्री नरसिंह मल देव
१०. श्री कनकसेब
११. श्री वारियर
१२. श्री फतेहसिंह घोडासर
१३. श्री अतुल्य घोष
१४. श्री दुरियास्वामी गोंडर
१५. श्री अशण्णा
१६. श्री कंसारी हाल्दर
१७. श्री जोगेन्द्र सेन मण्डी
१८. सरदार बलदेव सिंह

समिति के लिये निर्वाचन ४६७

१. श्री दासप्पा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा अपने में से तीस सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

२. श्री बर्मन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा अपने में से पन्द्रह सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों के सम्बद्ध होने के बारे में प्रस्ताव ४६७५–७६

श्री बर्मन ने प्रस्ताव 'प्रस्तुत किया कि लोक लेखा समिति के साथ के सम्बद्ध होने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत किये जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—

१. परिवहन तथा संचार मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं। ४६७७-८२

२. वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई। ४६८१-४७०६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक विचाराधीन—

१. २८-३-६१ को श्री झूलन सिंह द्वारा प्रस्तुत तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक सम्बन्धी विचार प्रस्ताव पर अग्रेतर चचा जारी रही। प्रस्ताव पर मत दान २९-४-६१ तक के लिये निलम्बित कर दिया गया। . . . ४७०७-१९

२. श्री सुब्बय्या अम्बलम् ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) पर विचार किया जाय। विधेयक पर राय जानने के लिये उसको परिचालित करने का संशोधन श्री थानू पिल्ले ने प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई। . . . ४७१९-२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१-२६

श्री अजराज सिंह ने असैनिक विमान चालकों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १३८८ के आज दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) वाद विवाद का उत्तर दिया।

सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान और प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—383 (Ai) LS—2-6-61—125.